(केवल विभागीय उपयोग हेतु)

भाग–4

मध्यप्रदेश पुलिस

महिला अपराध से संबंधित परिपत्रों का संकलन

(अवधि : मार्च 2017 से जून 2019)

महिला अपराध शाखा

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश

भोपाल

(केवल विभागीय उपयोग हेतु)

भाग–4

मध्यप्रदेश पुलिस

महिला अपराध से संबंधित परिपत्रों का संकलन

(अवधि : मार्च 2017 से जून 2019)

महिला अपराध शाखा

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश

भोपाल

अनुक्रमणिका

क्र0	परिपत्र	पृष्ठ क्र0
1	धारा 354 ''क''ख''ग''घ'' दण्ड विधि संशोधन अधि0 2013 के संबंध में दिशा निर्देश।	1–2
2	स्वप्रेरणा याचिका क्र0 डब्ल्यू.पी.18879/14 विरूद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में गठित विशेषज्ञ समिति की बैठक में महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने, पीड़िता का पुनर्वास करने के संबंध में लिये गये निर्णय पर जारी निर्देश।	3–4
3	गंभीर घटनाओं में घायल महिलाओं को तत्काल चिकित्सीय सहायता/मृत्युकालीन कथन कराये जाकर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने विषयक्।	5–6
4	महिलाओं, बालको, निःशक्तजनों, बुजुर्गो एवं कमजोर वर्ग के प्रति घटित अपराधों के शीघ्र विचारण एवं अभियोग प्रस्तुति के समय न्यायालयीन Contstruction Industry Scheme(CIS) साफ्टवेयर में इन्द्राज करने विषयक्।	7
5	महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों को रोकने हेतु कार्य योजना बनाने के संबंध में।	8–9
6	बालिकाओं एवं महिलाओं के विरूद्ध घटित बलात्संग के प्रकरणों की रोकथाम, विवेचना एवं पर्यवेक्षण हेतु दिशा निर्देश।	10–11
7	प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश।	12–15
8	महिलाओं के विरूद्ध घटित हो रहे ऐसिड अटैक के अपराधों मे पीड़िता को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश।	16–17
9	यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में।	18
10	धारा 363, 366 भादवि के प्रकरणों के पर्यवेक्षण एवं मॉनीटरिंग के संबंध में।	19–20
11	दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश 2018 में दिये गये प्रावधानों के तहत विधिक कार्यवाही करने के संबंध में।	21–22
12	पिटीशन क्र0 231/2010 में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.03.18 में दिये गये दिशा निर्देशों के संबंध में।	23–26
13	रिट पिटीशन क्र0 76/2018 आलोक श्रीवास्तव विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय में दिये गये दिशा निर्देशों के संबंध में।	27–28
14	बलात्संग के प्रकरणों में डी0एन0ए0 परीक्षण कराने के संबंध में।	29–30
15	आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2018 के अनुसार बलात्संग के अपराधों का 60 दिवस के अन्दर निराकरण।	31–40
16	बालिकाओं के यौन उत्पीड़न मामलों में त्वरित कार्यवाही–चिन्हित अपराध।	41–42
17	माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा एमसीआरसी क्र0 10517/18 रामसिंह विरूद्ध म0प्र0 शासन में पारित आदेश दिनांक 09.07.18 के कियान्वयन के संबंध में।	43
18	Collection, Storage and Transportation of Crime Scene Biological Samples and Forensic Medical Examination in Sexual Assault cases के संबंध में।	44
19	स्वाधार केन्द्र में रखी जाने वाली महिलाओं की उम्र के संबंध में।	45

अनुक्रमणिका

क्र0	परिपत्र	पृष्ठ क्र0
20	माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली द्वारा आपराधिक अपील कमांक 1375–1376/2013 एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य विरूद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों मे पारित निर्देश के कियान्वयन के संबंध में।	46–47
21	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 498–ए भादवि के प्रकरणों में अनुसंधान एवं गिरफ्तारी के संबंध में पारित दिशा निर्देश विषयक।	48
22	ट्रांसजेण्डर/थर्ड जेण्डर (हिजड़ा) के मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बरतने के संबधं में।	49–51
23	ऐसिड अटैक/बलात्संग/लैंगिक शोषण की पीड़िता के मेडीकल परीक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन किये जाने विषयक।	52
24	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि0 2012 की धारा 19(6) का पालन करने के संबंध में ।	53
25	पोक्सो एक्ट के प्रकरणों मे पीड़ित/पीड़िता की आयु निर्धारण संबंधी साक्ष्य संकलन विषयक।	54–56
26	पीड़ितों का मेडीकल परीक्षण अविलम्ब एवं सुविधापूर्ण रूप से कराये जाने विषयक।	57–58
27	महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध घटित हो रहे बलात्संग के प्रकरणों में की जा रही विवेचनाओं के संबंध में दिशा निर्देश।	59–69
28	मानव दुर्व्यापार रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही विषयक।	70–71
29	दुष्कर्म से पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु की बालिका के गर्भवती होने की स्थिति में गर्भ समापन कराये जाने विषयक।	72–73
30	पीड़िता/संरक्षक द्वारा लिखित आवेदन पत्र या सलाह मशवरा उपरांत एफ0आई0आर0 कराने के संबंध में।	74–75
31	माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा एमसीआरसी क0 24561/18 अजय उर्फ बालकराम उर्फ बल्कू विरूद्ध म0प्र0 शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.11.18 के संबंध में ।	76–77
32	धारा 498–ए भादवि का न्यायालय में विचारण एवं अपराध कायमी एवं विवेचना में थानों का स्थानीय क्षैत्राधिकार।	78
33	जिलों में Anti Human Trafficking Unit को प्रभावी किये जाने के संबंध में।	79–80
34	थानों में लैंगिक हमलों की पीड़ितों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में वकीलों की सूची प्रदर्शित किये जाने के संबंध में।	81–82
35	बालक/बालिकाओं के विरूद्ध घटित हो रहे प्रकरणों में आयु निर्धारण के संबधं में साक्ष्य संकलन की प्रकिया एवं साक्ष्य प्रस्तुतीकरण के विषय में विधिक टीप।	83–89
36	नाबालिग बालक/बालिकाओं को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यवाही कराये जाने विषयक।	90–92

महिला अपराध अनुसंधान को दृष्टिगत रखते हुये अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के महत्वपूर्ण परिपत्र

क्र0	परिपत्र	पृष्ठ क्र0
1	गुम इंसान जांच/अनुसंधान के संबंध में मानक प्रक्रिया एवं चेक लिस्ट।	93–108
2	विवचेकों एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा विवेचना/जांच के अनुक्रम में विषयवस्तु से हटकर अभिमत अथवा अनुशंसा न करने के संबधं में।	109–110
3	माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत एमसीआरसी क्रमांक 17896/18 अलीम उर्फ अन्नू खान विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य के संबधं में।	111–112

महिला अपराध अनुसंधान को दृष्टिगत रखते हुये राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के महत्वपूर्ण परिपत्र

क्र0	परिपत्र	पृष्ठ क्र0
1	सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रोजनामचा लेखन के संबंध में दिशा–निर्देश।	113–114
2	प्रदेश के समस्त थानों द्वारा दिनांक 01.04.16 से समस्त कार्यवाही सीसीटीएनएस केस के माध्यम से किये जाने के संबंध में।	115–116
3	सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के अंतर्गत केस (कोर ऐप्लीकेशन साफ्टवेयर) में उपलब्ध सभी 24 आई0आई0एफ0 फॉर्म की एन्ट्री को बेहतर बनाने के संबंध में दिशा–निर्देश।	117–118
4	सीसीटीएनएस में रोजनामचा एवं केस डायरी लेखन के संबंध में।	119
5	सीसीटीएनएस में उपलब्ध सर्च सुविधा के उपयोग संबधी दिशा–निर्देश।	120
6	आईसीजेएस पोर्टल के क्रियान्वयन/उपयोगिता के संबंध में दिशा–निर्देश।	121–122
6	आईटीएसएसओ (ITSSO) पोर्टल के क्रियान्वयन/उपयोगिता के संबंध में दिशा–निर्देश	123–124
7	एनडीएसओ पोर्टल के क्रियान्वयन/उपयोगिता के संबंध में दिशा निर्देश।	125

पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल
(POLICE HEAD QUARTERS BHOPAL)

क्रमांक/File No /परिपत्र/अ.म.नि./महिलाअपराध/ 104/2017 दिनांक 23.03.2017

परिपत्र

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– धारा 354 **'क' 'ख' 'ग' 'घ'** दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 2013 के अपराधों के संबंध में दिशा–निर्देश ।

दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 2013 की धारा 354 **"क" "ख" "ग" "घ"** में घटित होने वाले अपराधों की विवेचना के दौरान निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेः–

(1) इन अपराधों की विवेचना में काफी विलम्ब किया जा रहा है जिससे पीड़िता को बार–बार छेड़छाड़ की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है । निर्देशित किया जाता है कि इन प्रकरणों में त्वरित एवं ठोस साक्ष्य तीव्र गति से संकलित कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जावें।

(2) इन अपराधों में गिरफतार अभियुक्तों की जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा प्रभावी ढंग से विरोध किया जावें। ऐसे प्रकरणों में जमानत का लाभ प्राप्त होने पर आरोपी द्वारा पीड़िता से पुनः छेड़छाड करने की प्रबल संभावना बनी रहती है।

(3) छेडछाड की घटनाओं को पूर्ण गंभीरता से लिया जाकर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावें । प्राथमिक स्तर पर कार्यवाही न करने पर इस तरह की घटनाएं विकराल रूप लेने की संभावना रहती है।

(4) छेडछाड के सभी पंजीबद्ध प्रकरणों की विवेचना अनुविभागीयं अधिकारी (पुलिस) /नगर पुलिस अधीक्षकों द्वारा तत्काल समीक्षा की जाकर उनके मार्गदर्शन में इन प्रकरणों का निराकरण किया जावे ।

(5) छेड़छाड के पंजीबद्ध प्रकरणों में संबंधित थानाप्रभारी तथा थाने में पदस्थ पुलिस महिला अधिकारियों द्वारा विद्यालय/महाविद्यालयों के प्रबंधन से सम्पर्क कर पीड़ित बालक /बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही/परामर्श दिया जावे ।

(6) थाना क्षेत्र में ऐसे स्थानों का चयन किया जावे जहां सार्वजनिक रूप से छेड़छाड की घटनाओं की संभावना रहती है । ऐसे स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया जावे तथा ऐसी घटनाओं का प्रकाश में आने पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही अपराधियों के विरूद्ध सुनिश्चित की जावे ।

(7) इन प्रकरणों में न्यायालय विचारण में जारी किये गये संमस एवं वारंट को प्राथमिकता से तामील किया जाना सुनिश्चित किया जावें ताकि इन प्रकरणों में सुनवाई की प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न हो सकें।

माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा सिविल अपील कं 8513/12 में लोक स्थान एवं लोक वाहन में महिलाओं एवं लडकियों के साथ हो रहे छेडछाड की घटनाओं एवं उनके विरूद्ध घटित अपराधों के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जावे :–

मानव दुर्व्यापार प्रछन्न अपराध है जिसका पता लगाने से लेकर रोकथाम करने तथा इस क्षेत्र में सक्रिय रैकेटो व एजेन्टों के विरूद्व कार्यवाही करने हेतु जिला स्तर पर विशेष टीम का गठन किया जाकर जिसकी समीक्षा नियमित अंतराल में स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा की जावे व मासिक रिपोर्ट से इस कार्यालय को नियमित रूप से अवगत कराया जावे ।

(अरूणा मोहन राव)
अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः–

(1) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ
(2) पुलिस महानिरीक्षक(महिला अपराध) इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।

अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

कार्यालय अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)

(CRIME AGAINST WOMEN)

पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल – 462 008
POLICE HEAD QUARTERS, JEHANGIRAGAD, BHOPAL - 462 008
दूरभाष : 0755–2443568 (कार्यालय) / फैक्स 0755–2440107

क्रमांक / **File No81 / परिपत्र** / अ.म.नि. / महिलाअपराध / **81-A (2017)** / 2017 दि0 13.07.17

परिपत्र

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक, म.प्र.
समस्त शासकीय रेल पुलिस अधीक्षक, म.प्र.

विषयः– स्वप्रेरणा याचिका क.डब्ल्यू.पी.18879 / 14 विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में गठित विशेषज्ञ समिति की बैठक में महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने, पीड़िता का पुर्नवास करने के संबंध में लिए गए निर्णय पर जारी निर्देश ।

स्वप्रेरणा याचिका कमांक डब्ल्यू.पी.18879 / 14 विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में– गठित विशेषज्ञ समिति की दिनांक 27.04.2017 को आयोजित बैठक में समिति द्वारा उषा किरण योजना के तहत पीड़िता का पुर्नवास करने, इस योजना के अन्य प्रावधानों का पीड़िता के हित में क्रियान्वयन करने तथा इनसे संबंधित अपराधों की विवेचना के दौरान निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें–

(1) घटना / अपराध के अन्वेषण में अनावश्यक विलंब न हो, जिससे कि अपराधी द्वारा किसी तरह के प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष दबाव की स्थिति में आरोपी पीड़िता का लाभ न उठा सके, इस ओर विशेष ध्यान दिया जावें।

(2) साक्ष्य जो घटना के सुसंगत न हो, को शामिल नहीं किया जावें। केवल सुंसगत साक्ष्य को ही अन्वेषण के समय शामिल किया जावें।

(3) बलात्कार की घटना पर अंकुश / रोकथाम हेतु निचले स्तर से प्रयास किये जाने चाहिए। बालिकाओं से अधिक बालकों को काउन्सलिंग कार्यक्रम से जोड़ा जाकर उनके मनोव्यवहार में परिर्वतन लाया जा सकता है। यह कार्य स्कूल स्तर से प्रारंभ किया जावें।

(4) बलात्कार पीड़ित महिलाओं / बालिकाओं को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु पूर्ण सुरक्षा एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के उपरांत भी सुरक्षा देना सुनिश्चित किया जावें।

(5) बलात्कार की घटनाओं के संबंध में अर्न्तविभागीय अर्न्तसंबंध तीव्र एवं गोपनीय हो। उदाहरणार्थ– मेडिकल रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में शीघ्रता, घटित अपराध की जांच में तत्परता एवं सटिकता पर अधिक ध्यान दिया जाये, तथा पुलिस की जांच किसी भी स्तर पर प्रकट नहीं होनी चाहिए।

(6) मीडिया तथा संचार माध्यम का सहयोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुदेशानुसार बलात्कार पीड़िता की पहचान, नाम एवं बलात्कार के स्थान आदि की गोपनीयता बनाये रखने के लिये मीडिया को स्व स्वायत्त अनुशासन का पालन करना सुनिश्चित करें।

(7) बलात्कार पीड़िता के साथ कई बार उनके परिवार, परिवार से जुडे सदस्यों का बर्ताव भी नकारात्मक होता है। ऐसी स्थिति में परिवार के उन सदस्यों को चिन्हित कर

उनकी परिवारिक काउन्सलिंग की जावें। केवल उस दंपत्ति के अभिरक्षा में बलात्कार पीड़िता को भेजा जाये, जिनका दृष्टिकोण सकारात्मक हो, तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे परिवार से अलग ऐसे वातावरण में रखा जावे, जहॉ उनकी मनोदशा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(8) प्रत्येक महाविद्यालयों/विद्यालयों में इन विषयों पर सेमिनार एवं कार्यशालायें अनिवार्य रूप से आयोजित की जावें

(9) प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने हेतु थाने जाने की अनिवार्यता न हो, बल्कि पीड़िता अगर चाहे अथवा ऐसी स्थिति आवश्यक हो तो स्वंय उसके पास जाकर उसकी सुविधानुसार (उदाहरणार्थ–चिकित्सालय) तथा अनुकूल स्थान पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जावें।

(10) सीसीटीवी कैमरे लगाकर उनमें प्राप्त फुटेज का शीघ्र परीक्षण सुनिश्चित किया जावे ।

(11) हेल्प लाईन नंबर के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लिया जावें, तथा इसकी पुष्टि भी करा ली जावें। हेल्प लाईन 1090 के प्रचार –प्रसार के निरंतर प्रयास जारी रखा जावें।

(12) कार्यस्थल, संस्थानों, सड़कों तथा अत्यधिक अपराधिक घटनाओं वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी, अवलोकन एवं विश्लेषण सतत रूप से किया जावें।

(13) घटित अपराध/घटना की जांच, पुर्नवास, दोषी को दंडित करने के लिये न केवल जांच को अधिक वैज्ञानिक और तकनीकि पूर्ण बनाया जावें, बल्कि जांच बेहद संवेदनशीलता के साथ त्वरित रूप से अभियोजन के लिये तैयार की जावें।

13/7/17

(अरूणा मोहन राव)
अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः–

(1) समस्त झोनल पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
(2) पुलिस महानिरीक्षक (महिला अपराध) भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।

13/7/17

अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

कार्यालय अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
(CRIME AGAINST WOMEN)
पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल – 462 008
POLICE HEAD QUARTERS, JEHANGIRAGAD, BHOPAL - 462 008
दूरभाष : 0755–2443568 (कार्यालय)/फैक्स 0755–2440107

क्रमांक/File No/परिपत्र/अ.म.नि./महिला अपराध/ W-3/288/17(2017)/2017 दि0 28/03/17

परिपत्र

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक, म.प्र.
समस्त शासकीय रेल पुलिस अधीक्षक, म.प्र.

विषयः– गंभीर घटनाओं में घायल महिला पीड़िता को तत्काल चिकित्सकीय सहायता/मृत्युकालीन कथन कराये जाकर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने विषयक ।

मध्यप्रदेश मानव अधिकार द्वारा गंभीर घटिनाओं में घायल महिला पीड़िताओं को तत्काल चिकित्सकीय सहायता/मृत्युकालीन कथन कराये जाकर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है । गंभीर घटनाओं में महिलाओं को तत्काल मेडिकल सहायता/मृत्युकालिक कथन संबंधित जॉच/विवेचना को गंभीर प्रकृति का घटनाक्रम मानते हुये निम्न निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे

(1) गंभीर घटना में घायल महिला/पीड़िता के मृत्युकालिक कथन तत्काल दंडाधिकारी अथवा डॉक्टर से थाना प्रभारी स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे, एवं उसके परिवारजन, घटना स्थल के साक्षीगणों के कथन तत्काल कराये जावे एवं घटना स्थल को सुरक्षित कर Forensic Expert को घटना स्थल पर बुलाकर भौतिक साक्ष्य बिना विलंब के एकत्रित कर उन्हें विधि विज्ञान प्रयोग शाला को यथाशीघ्र प्रेषित किया जावे ।

(2) यदि दंडाधिकारी एवं डॉक्टर पीड़िता के मृत्युकालिक कथन हेतु उपलब्ध नहीं है, उस स्थिति में थाना प्रभारी स्वंय दो अथवा अधिक साक्षीगणों की उपस्थिति में साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत मृत्युकालिक कथन विधिवत (प्रश्न उत्तर में) लिपिबद्ध किये जावे ।

(3) गंभीर घटना में घायल पीड़िता (किसी भी उम्र की), को गंभीर घटना मानते हुये उसकी जॉच/विवेचना थाना प्रभारी द्वारा स्वंय त्वरित एवं वैधानिक नियमों का पालन करते हुये सुनिश्चित की जावे । महिलाओं से संबंधित अपराधों की विवेचना तत्काल पूर्ण की जाकर चालान न्यायलय में प्रस्तुत किया जावे तथा महत्वपूर्ण साक्षियों के कथन धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लिपिबद्ध किये जावे । विवेचना में आरोप पत्र की स्क्रूटनी में अनावश्यक विलंब होता है । इस हेतु त्रुटियों की यथासंभव पूर्ति विवेचना के दौरान ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

(4) प्रत्येक गंभीर घटना में घायल महिला/पीड़िता से संबंधित मर्ग/अपराध के घटना स्थल का निरीक्षण उप पुलिस अधीक्षक स्वंय करेंगे एवं मर्ग एवं जांच में अग्रिम कार्यवाही हेतु वैधानिक युक्तियुक्त दिशा निर्देश जारी किये जावे ।

(5) प्रत्येक गंभीर घटना में घायल महिला/पीड़िता से संबंधित मर्ग/अपराध को गंभीर श्रेणी का मानकर पुलिस अधीक्षक उक्त मर्ग/अपराधों की मॉनीटरिंग स्वंय करें एवं वैधानिक दिशा निर्देश विवेचना अधिकारी को जारी किये जावे । प्रत्येक गंभीर मर्ग/अपराध की जॉच/विवेचना के प्रगति प्रतिवेदन एवं अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट तत्काल महिला अपराध शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल को भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे ।

(6) प्रत्येक गंभीर घटना में घायल महिला/पीड़िता से संबंधित मर्ग/अपराध जांच का पर्यवेक्षण उप पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

(अरूणा मोहन राव)
अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः–

(1) समस्त झोनल पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
(2) पुलिस महानिरीक्षक (महिला अपराध) भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।

अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

कार्यालय अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
(CRIME AGAINST WOMEN)

पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल – 462 008

POLICE HEAD QUARTERS, JEHANGIRAGAD, BHOPAL - 462 008

दूरभाष : 0755–2443568 (कार्यालय) / फैक्स 0755–2440107

क्रमांक / **File No / परिपत्र** / अ.म.नि. / महिला अपराध / **PA/** 232 | **(2017)** / 2017 दि0 06.09.17

परिपत्र

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
(मध्यप्रदेश)

विषयः– महिलाओं, बालकों, निःशक्तजनों, बुजुर्गो एवं कमजोर वर्ग के प्रति घटित अपराधों के शीघ्र विचारण एवं अभियोग प्रस्तुती के समय न्यायालयीन Construction Industry Scheme(CIS) साफ्टवेयर में इन्द्राज करने विषयक ।

कृपया माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त पत्र की **छायाप्रति संलग्न** है । मुख्य न्यायाधीश कान्फ्रेंस 2016 के एजेण्डा **बिन्दु कमांक 11** अनुसार महिलाओं, बालको, निःशक्तजनों, बुजुर्गो एवं कमजोर वर्ग के समस्यों के प्रति घटित अपराधों के शीघ्र विचारण हेतु अभियोग पत्र प्रस्तुती के समय ही न्यायालय के Construction Industry Scheme(CIS) साफ्टवेयर में अपराध के सबंध में निम्नांकित जानकारियों का तत्समय ही समावेश (Infiltration) किये जाने के संबंध में संबंधित थानाप्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी से समन्वय स्थापित कर इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करे ।

(1) प्रकरण की विषयवस्तु जैसे अधिनियम, धारा आदि
(2) पीडित की आयु ।
(3) पीडित की श्रेणी जैसे महिला, बालक, निःशक्तजन,बुजुर्ग एवं अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग का सदस्य ।
(4) पीड़ित का लिंग ।
(5) ई–मेल एड्रेस (वैकल्पिक)
(6) आधार कार्ड नंबर ।
(7) मोबाईल नंबर ।
(8) पीड़ित की आयु / जन्मतिथि ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

6/9/17
(अरूणा मोहन राव)
अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः–

(1) महानिदेशक / संचालक, लोक अभियोजन मध्यप्रदेश भोपाल को उनके पत्र क / लोक अभि. संचा / विधि–याचिका / 2535–बी / 17 दिनांक 19.07.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

कार्यालय अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
(CRIME AGAINST WOMEN)

पुलिस मुख्यालय,जहांगीराबाद,भोपाल–462008
POLICE HEAD QUARTERS,JEHANGIRABAD,BHOPAL-462008
दूरभाष :0755–2443568(कार्यालय) / फैक्स 2550367

क्रमांक / पु.मु. / अ.म.नि. / म.अप. /PA-264/ 17, भोपाल दिनांक 19 /09/2017

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
मध्य प्रदेश ।

विषय :– महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों को रोकने हेतु कार्य योजना बनाने के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि जिले स्तर पर महिलाओं के विरूद्ध प्रकरणों व महिला फरियादियाओं की शिकायतों की सतत् पर्यवेक्षण व समीक्षा करने हेतु निम्नानुसार बिन्दुओं पर कार्य योजना बनाकर उनकी मासिक स्तर पर समीक्षा की जावें–

1. महिलाओं के विरूद्ध प्रकरणों पर विलंब न करते हुये तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया जावे एवं थाना स्तर पर इसकी सतत् मॉनिटरिंग की जावें।
2. पूर्व में जारी निर्देशानुसार बलात्कार के प्रकरणों में 15 दिवस में चालानी कार्यवाही सुनिश्चित की जाकर उसकी मासिक समीक्षा की जावें।
3. महिला आवेदिकाओं व पीड़ितों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाकर उसकी मासिक समीक्षा की जावें।
4. आपके जिले के अपराधिक परिदृश्य अनुसार कार्य योजना बनाकर उसकी समीक्षा की जावें।
5. जिला महिला अपराध प्रकोष्ठ में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक एवं निरीक्षकों हेतु निर्देशानुसार विवेचना व पर्यवेक्षण आवंटित कर उसकी समीक्षा की जावें।
6. महिला फरियादी हेतु प्रत्येक थानें में सम्मानजनक स्थान व संवेदनशीलता पूर्वक सुनवाई की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
7. जिला मॉनिटरिंग सेल की नियमानुसार बैठक सुनिश्चित की जावें।
8. मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशानुसार महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों के निर्दिष्ट सक्षम विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना की जाना सुनिश्चित किया जावें।
9. गुम बच्चों व चार माह की अदम दस्तयाबी उपरांत मानव दुर्व्यापार निरोधी इकाई को स्थानान्तरित किये गये प्रकरणों की मासिक समीक्षा की जावें।
10. पीड़ित प्रतिकर योजना के अन्तर्गत प्रकरण प्रस्तुति सुनिश्चित की जाकर, उनकी मासिक समीक्षा की जावें।
11. जिलें के संवेदनशील स्थलों का चयन किया जाकर ऐसे स्थानों पर पेट्रोलिंग आदि की सतत मॉनिटरिंग की जावें।
12. मासिक स्तर पर निर्भया पेट्रोलिंग पर प्राप्त शिकायतों व पेट्रोलिंग द्वारा किये गये कार्यो की मासिक समीक्षा की जावें।
13. समर्थ संगिनी समूहों की समीक्षा बैठक ली जाकर उनका उचित कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें।

14. थानों के नामांकित कोर्ट अधिकारियों द्वारा निराकृत किये गये लंबित प्रकरणों की मासिक समीक्षा सुनिश्चित की जावें।
15. थानों में विधिक सहायता हेतु उपलब्ध एडवोकेट/विधिक सहायता अधिकारियों की सूची चस्पा की जावें तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई विधिक सहायता की मासिक समीक्षा की जावें।
16. पुलिस अधिकारियों हेतु संवेदनशीलता कार्यक्रमों का आयोजन थाना स्तर पर मासिक, जिले स्तर पर त्रैमासिक व जोनल स्तर पर प्रत्येक छः माह में आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
17. नियमित रूप से संवाद शिविरों का आयोजन किया जावें एवं माह में एक बार पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वंय संवाद शिविर में जाना सुनिश्चित किया जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं/निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

19/9/17

अरूणा मोहन राव
अति0पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

प्रतिलिपिः–

1–समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोनल की ओर सूचनार्थ।

2–समस्त पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध भोपाल, जबलपुर, इंदौर व ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

19/9/17

अति0पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध),
पुलिस मुख्यालय भोपाल

पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल
(POLICE HEAD QUARTERS BHOPAL)

क्रमांक/File No /परिपत्र/अ.म.नि./महिलाअपराध/ 323/2017 दिनांक 09.11.2017

परिपत्र

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश ।

म0प्र0 मे बालिकाओं एवं महिलाओं के विरूध्द घटित हो रहे बलात्कार के अपराधों की रोकथाम तथा विवेचना एवं पर्यवेक्षण उच्च प्राथमिकता से किया जाकर निम्न दिशा–निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जावे–

1. महिला एवं बालिकाओं के द्वारा पुलिस में किसी भी प्रकार की सूचना/शिकायत अथवा रिपोर्ट दर्ज कराने पर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ अत्यंत संवेदनशीलता से कार्यवाही की जावे तथा किसी भी छोटी से छोटी घटना को महत्वपूर्ण मानकार गंभीरतापूर्वक तत्काल विधिवत कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

2. थाने में पीड़िता/फरियादी द्वारा संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज/लेख कराने पर तत्काल '0' पर अपराध की कायमी की जाकर तत्काल चिकित्सीय परीक्षण व कथन लेखबद्व करने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

3. बलात्कार के प्रकरणों में आवेदन/शिकायत/रिपोर्ट प्राप्त होने पर तत्क्षण प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान अनिवार्य रूप से प्रारंभ किया जावे व वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराते हुये कन्ट्रोल रूम को भी नोट करावे ।

4. इस संबंध में घटनास्थल के थानाक्षेत्र एवं परिसीमा संबंधित निर्धारण प्रारंभिक विवेचना के उपरान्त ही किया जावे ।

5. पीड़िता के बताए अनुसार तत्काल घटनास्थल निरीक्षण एवं भौतिक साक्ष्यादि संकलन कर अविलम्ब आरोपी को हिरासत में लिया जावे ।

6. विवेचना के दौरान अनिवार्य रूप से पुलिस से पृथक स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में निरपेक्ष कार्यवाही की जाकर पंचनामा तैयार किया जावे ।

7. घटनास्थल की वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से करायी जावे, पीड़िता के वीडियो कथन अबाध रूप से नियमानुसार कराये जावें ।

8. पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में अविलम्ब महिला पुलिस अधिकारी द्वारा यथाशीघ्र संबंधित चिकित्सक से सम्पर्क करते हुये पूर्ण कराया जावे ।

9. महिला फरियादी द्वारा एक बार थाने में रिपोर्ट करने के उपरान्त यथा संभव थाना में न बुलाया जावे । फरियादि की सुविधा एवं शालीनता के दृष्टिगत विवेचना में कथनादि अनुसंधान कार्य पूर्ण किया जावे ।

10. रिपोर्ट दर्ज करने के तत्काल बाद धारा 161 व 164 द.प्र.सं. के तहत कथन लिए जावे । विलम्ब की स्थिति में फरियादिया को किसी भी प्रकार का प्रलोभन/दबाव

आदि प्रभावित कंरने की स्थिति निर्मित हो सकती है अतएव ऐसी किसी भी संभावना को समाप्त किया जावे ।

11. आरोपियों के दस्तयाब होने पर उसे विधिवत बापर्दा रखा जाकर विवेचना के दौरान शिनाख्ती कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

12. विवेचना के दौरान जप्त की जाने वाली सामग्री का विवरण पंचनामा में सुस्पष्ट किया जावे एवं अस्पताल से प्राप्त होने व रासायनिक जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने के लिये तैयार किए गए ड्राफ्ट में सूची की एकरूपता सुनिश्चित की जावे ।

13. ऐसे प्रत्येक संवेदनशील प्रकरण की विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी को अन्य कार्यो/कानून–व्यवस्था/ड्यूटी से अनिवार्यतः पृथक रखा जावे ।

14. ऐसे जघन्य व सनसनीखेज प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक स्वयं न केवल प्रतिदिन समीक्षा सुनिश्चित कर विववेचना में प्रगति लावें, अपितु विचारण के दौरान पैरवीकर्ता के माध्यम से सतत् मॉनीटरिंग भी किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

15. प्रकरण की विवेचना 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय से आग्रह कर **फास्ट ट्रेक कोर्ट** में सूचीबद्व कराते हुये अभियोजन के साथ समन्वय रखते हुये कम से कम समय में निराकरण कराये जाने का प्रयास किया जावे ।

16. ऐसे प्रकरणों की FSL/DNA Report को प्रयोगशाला से प्राप्त करने हेतु प्राथमिकता के आधर पर विशेष प्रयास किये जावें ।

(ऋषि कुमार शुक्ला)
पुलिस महानिदेशक
म.प्र. भोपाल

प्रतिलिपिः–

01– समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
02– उप पुलिस महानिरीक्षक(महिला अपराध) भोपाल, जबलपुर, इन्दौर एवं ग्वालियर ।
02– समस्त रेल पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।

पुलिस महानिदेशक
म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय
वल्लभ–भवन, भोपाल.

कमांक एफ–12–124/2017/बी–1/दो भोपाल, दिनांक 16/11/2017

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त पुलिस अधीक्षक,
   मध्यप्रदेश।

विषयः– प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दिशा–निर्देश।

———

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते है :–

1. महिला उत्पीड़न संबंधित कानून एवं प्रावधानों तथा इसकी रोकथाम के लिए जो–जो विकल्प विद्यमान हैं, उनका प्रिंट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए, विशेषकर शैक्षणिक संस्थाओं में पोस्टर–बेनर इत्यादि के माध्यम से वूमेन हेल्पलाईन, चाईल्ड हेल्पलाईन, वन–स्टॉप सेंटर इत्यादि के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए । आपातकाल में महिलाओं तक तुरंत मदद पहुंचाने के संबंध में जो Mobile App बनाई गयी है, उसका भी व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। इस कार्यवाही को एक अभियान के रूप में समस्त जिलों में क्रियान्वयन किया जाए।

   सभी जिलों में एवं राज्य–स्तर पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाए, जिसमें महिला उत्पीड़न से संबंधित कानून एवं महिला अपराधों की रोकथाम एवं महिला सशक्तीकरण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा जो व्यवस्थाएं विद्यमान हैं, उन पर व्यापक चर्चा हो सके एवं जन–सामान्य को इस विषय से अवगत कराया जाए । ऐसे सम्मेलनों में स्कूल/कॉलेजों की छात्राओं एवं उनके अभिभावकों/ सामाजिक कार्यकर्ताओं/गणमान्य नागरिकों/स्थानीय मीडिया को बुलाया जाए, ताकि इस तरह के प्रयास से अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके।

2. महिलाओं/बालिकाओं के छात्रावासों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के गर्ल्स हॉस्टल/अनाथालयों एवं बाल संप्रेक्षण गृह के प्रभारी अधिकारियों की बैठक बुलाई जाए एवं उन्हें महिला सुरक्षा एवं महिलाओं पर होने वाले अपराधों एवं उनके उत्पीड़न के संबंध में संवेदनशील बनाया जाए। महिलाओं के छात्रावासों में स्वीपर, रसोईयों अन्य सहयोगी स्टाफ पर महिला कर्मचारी की ही नियुक्ति की जाए। स्कूलों में बच्चों की life skills विकसित करने हेतु सुनियोजित कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाए। महिलाओं के छात्रावासों में निजता को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य प्रवेश एवं निर्गम गेट पर सीसीटीवी कैमरा लगया जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी एवं पुलिस विभाग से महिला अधिकारी संयुक्त

रूप से ऐसी संस्थाओं का नियमित रूप से भ्रमण करें, ताकि अगर वहां पर कोई शोषण प्रकाश में आए तो उस पर समय रहते निवारक कार्यवाही की जा सके। परिवार परामर्श केन्द्र का सुदृढ़ीकरण किया जाए। वर्तमान योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं को मिल सके, इसके लिए स्थानीय पुलिस अधिकारी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाए।

3. महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही One Stop Crisis केन्द्र की स्थापना अपने जिलों में कराई जाए, जिससे पीड़ित महिला को एक ही छत के नीचे समस्त प्रकार की राहत मिल सके । गंभीर शिकायतों पर पुलिस विभाग, महिला बाल विकास विभाग, विधिक सहायता तथा परामर्श की कार्यवाही एकीकृत होकर पीड़िता को राहत प्रदान की जावे।

4. महिलाओं की सुरक्षा में कार्य कर रही शौर्य दल के सदस्यों, आशा कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संगठनों तथा समर्थ संगनी का युक्तियुक्त उपयोग किया जावे।

5. लोक परिवहन (Public Transport) को महिलाओं के लिए और अधिक सुरक्षित बनाने हेतु प्रयास किये जाएं । स्कूल/कॉलेज की बसों एवं लोक परिवहन के सवारी वाले वाहनों के चालको की चेकिंग की जाए एवं उनका चरित्र सत्यापन किया जाए। लोक परिवहन के वाहनों खासकर स्कूल बसों में पंजीयन के समय जीपीएस एवं सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किये जाने बाबत् आवश्यक कार्यवाही की जाए । सभी स्कूल बसों में महिला कंडक्टर अथवा महिला टीचर की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए एवं परिवहन विभाग द्वारा जारी सुरक्षा संबंधित निर्देशों का पालन न करने पर शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

6. स्कूलों में पढ़ रहे छोटे बच्चों को बुरे स्पर्श (bad-touch) अच्छे स्पर्श (good-touch) बारे में शिक्षित किया जाए तथा प्रिंट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से भी जन–सामान्य को इस विषय में जागरूक किया जाए। सिनेमा घरों में भी बुरे स्पर्श (bad-touch) के संबंध में वीडियो–क्लिप के माध्यम से जागृति पैदा की जाए। स्कूल/कॉलेजों में बच्चियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए कैम्प लगाए जाए।

7. जिलों में जिन–जिन स्थानों पर शराब की ऐसी दुकानें स्थापित हैं, जहां पर निरंतर महिलाओं का आवागमन होता है, उन्हें चिन्हित किया जाए, ताकि अगले वर्ष नीलामी के समय इन्हें बंद करने की कार्यवाही की जा सके। गर्ल्स हॉस्टल, धार्मिक स्थलों एवं स्कूलों के पास स्थित शराब दुकानें बंद कराई जाए। शराब दुकानों के साथ स्थित आहतों में भी लगातार चेकिंग की जाए एवं इनके संचालन के संबंध में सभी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए ।

8. जिले में ऐसे स्थान चिन्हित किये जाएं, जो महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हैं । ऐसे स्थानों पर पुलिस प्वाईंट लगाए जांए, सतत पेट्रोलिंग की जाए एवं डायल–100 का बेहतर इस्तमाल किया जाए । ऐसे स्थनों पर सीसीटीवी कैमरे

भी लगाए जाएं एवं इनमें से जिन स्थनों पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, वहां पर स्ट्रीट–लाईट लगाई जाएं।

9. अपराधों की कायमी में कोई विलम्ब न करते हुये जीरो पर कायमी सुनिश्चित किया जाकर प्रारम्भिक कार्यवाही तत्काल सूंचना प्राप्त होने वाले थाने पर की जावे। आगामी एक माह में समस्त थाना में लंबित महिला अपराधों के प्रकरणों की समीक्षा पुलिस अधीक्षकों द्वारा की जावे एवं उनका निराकरण त्वरित गति से सुनिश्चित किया जावे।

10. अपराध से पीड़ित समस्त महिलाओं का चिकित्सा परीक्षण तत्काल वरिष्ठ महिला चिकित्सक से कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। किसी भी दिनांक को किसी भी समय इस तरह के चिकित्सा परीक्षण हेत कौन महिला चिकित्सक डयूटिरत रहेगी इसका निर्धारण प्रत्येक चिकित्सक के लिए किया जाए एवं परीक्षण उपरांत रिपोर्ट तत्काल अनुसंधान अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए।

11. पुलिस अधिकारी/कर्मचारी महिला अपराधों के प्रति संवेदनशील करने हेतु समयबद्व प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है जिसमें आगामी 03 माह में प्रधान आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक के अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जावे । इसी क्रम में आरएपीटीसी इन्दौर, जेएनपीए सागर, पुलिस अकादमी भौर एवं 6वीं वाहिनी विसबल जबलपुर में उप निरीक्षक से लेकर उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों का 04 दिवसीय वर्टीकल इन्ट्रेक्शन कोर्स का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक बैच में 75–75 समूह में अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में अपने जिले के अधिकारियों को सीट आवंटन के अनुसार प्रशिक्षण दिलाया जाए।

उपरोक्त निर्देशों का क्रियांवयन समयबद्व तरीके से हो इस हेतु प्रति सप्ताह अपने जिले में एक बैठक का आयोजन किया जाए जिसमें जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक/ जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/जिले के Lead College के प्राचार्य/जिला आबकारी अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी /आयुक्त नगर निगम इत्यादि अधिकारी मौजूद रहें।

16/10/12

(विवेक शर्मा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन,गृह विभाग

पृष्ठा0 कमांक एफ–12–124/2017/बी–1/दो भोपाल, दिनांक 16/11/2017

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव के उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, म0प्र0
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्रीजी
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिकर विभाग,
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग,
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास तथा पर्यावरण विभाग,
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,
10. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जन जातीय कार्य विभाग,
11. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग,
12. वि0क0अ0, माननीय मुख्यमंत्रीजी,
13. अति0 पुलिस महानिदेशक, महिला अपराध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
14. अति0 पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
15. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
16. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग
17. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास तथा पर्यावरण विभाग
18. आयुक्त महिला तथा बाल विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल,
19. आयुक्त परिवहन, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
20. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश,
21. समस्त झोन/रेन्ज, पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

16/11/17

सचिव

मध्यप्रदेश शासन,गृह विभाग

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक / अति.म.नि. / महिलाअपराध / नि.स. / 380 / 2017 दिनांक : 04.12.2017

परिपत्र

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश ।

महिलाओं के विरूद्ध घटित हो रहे अपराधों में Acid Attack (तेजाब द्वारा किये गये हमले) एक गंभीर अपराध है, जिसकी विवेचना व्यवसायिक दक्षता एवं संवेदनशीलता के साथ की जावे। Acid (तेजाब) की बिक्री पर संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर इस पर कड़ी निगरानी रखी जावे।

- इन प्रकरणों की प्रथम सूचना दर्ज करते समय सम्पूर्ण घटनाक्रम का उल्लेख कर पीड़िता का तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया जावे।
- अपराधियों की गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित की जावे ताकि आरोपी अग्रिम जमानत का लाभ न उठा सके।
- अनुसंधान के दौरान यह सुनिश्चित किया जावे कि किस तरह का अम्ल पीड़िता पर डाला गया है, इसका विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर से परीक्षण कराया जावे।
- विवेचना के दौरान इन तथ्यों पर भी ध्यान दिया जावे कि प्रतिबंधित द्रव्य होने के बाद भी आरोपी ने ऐसिड कहॉ से प्राप्त किया। इस पर भी तत्परता से विवेचना की जाना सुनिश्चित की जावे।
- Acid Attack के समस्त प्रकरणों का निकाल फास्ट–ट्रेक न्यायालय से कराने की पहल कर इन प्रकरणों की जल्द से जल्द सुनवाई के प्रयास किये जावे तथा अपना पक्ष मजबूती से प्रस्तुत कर आरोपी को सजा दिलाये जाने के हर संभव प्रयास किये जावे।

Acid Attack (तेजाब द्वारा किये गये हमले) से पीड़ित महिलओं को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को न्यूनतम तीन लाख रूपये मुआवजा केन्दीय पीडित मुआवजा योजना (Central Victim compensation) के तहत दिये जावेगे, इसके अतिरिक्त एसिड अटैक से प्रभावित महिलाओं को एक लाख रूपये प्रधानमंत्री राहत कोष से भी दिये जाने का प्रावधान किया गया है । भारत सरकार द्वारा Victim compensation में निम्नानुसार राशि दिये जाने के दिशा–निर्देश जारी किये गये है ।

S.No.	Description of Injures/loss	Minimum Amount of Compensation
1.	Acid attack	**Rs. 3 lakhs**
2.	Rape	**Rs. 3 lakhs**
3.	Physical abuse of minor	**Rs. 2 lakhs**
4.	Rehabilitaion of victim of Human Trafficking	**Rs. 1 lakh**
5.	Sexual assault (Excluding rape)	**Rs. 50,000/-**

6.	Death	**Rs. 2 lakhs**
7.	Permanent Disability (80 % or more)	**Rs. 2 lakhs**
8.	Partial Disability (40 % to 80%)	**Rs. 1 lakh**
9.	Burns affecting greater than 25 % of the body (exculding Acid Attack cases)	**Rs. 2 lakhs**
10.	Loss of foetus	**Rs. 50,000/-**
11.	Loss of fertility	**Rs. 1.5 lakhs**

Note : If the victim is less than 14 years of age, the compenation shall be increased by 50 % over the amount specified above.

केन्दीय पीडित मुआवजा योजना (Central Victim compensation) के तहत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के तहत उपरोक्तानुसार घटित अपराधों में पीडित महिलाओ को वित्तीय सहायता दिये जाने संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

(ऋषि कुमार शुक्ला)
पुलिस महानिदेशक
म.प्र. भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

पुलिस महानिदेशक
म.प्र. भोपाल

पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल
(POLICE HEAD QUARTERS BHOPAL)

क्रमांक/File No /परिपत्र/अ.म.नि./महिलाअपराध/ 393 /2017 दिनांक 12/12/17

परिपत्र

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश ।

विषयः— यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में

(1) **पुलिस मुख्यालय के परिपत्र क/अमनि/महिला अपराध/445/2015दि. 27.07. 2015 का अवलोकन करें ।** उच्च न्यायालय द्वारा यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं को तत्काल विधिक सहायता प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये थे । पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता प्रदान किया जाना आवश्यक है । अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले में विधिक सेवा प्राधिकरण (Legal Service Authority) एवं जिला न्यायाधीश से सम्पर्क कर ऐसे सभी सूचीबद्व अधिवक्ताओं की सूची तैयार करें । इन अधिवक्ताओं का पता दूरभाष क्रमांक सहित सभी थानों में प्राथमिकता से प्रदर्शित किया जावे । यह कार्य करने हेतु पूर्व में भी निर्देशित किया गया था, लेकिन इनका पालन थानास्तर पर नहीं किया गया है । अब यह कार्य तत्काल सुनिश्चित किया जावे ।

(2) यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं को उनके विधिक अधिकारों के बारे में अवगत कराया जावे । महिलाओं की इच्छा अनुसार उन्हें अधिवक्ता का चयन करने का अधिकार दिया जावे एवं पीड़ित महिला द्वारा किसी भी स्तर पर स्वेच्छा से अधिवक्ता को बदलने का अधिकार प्रदान किया जावे । संबंधित अधिवक्ता को प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने से लेकर अग्रिम कार्यवाही तक सहयोग प्रदान किया जावे ।

(3) यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं को ऐसे अधिवक्ताओं के चयन में सहयोग प्रदान किया जावे जो आपराधिक न्याय प्रणाली से भलीभांति परिचित हो । इन पीड़ित महिलाओं को पुलिस थाना तथा न्यायालय में भी मार्गदर्शन के साथ–साथ प्रकरण के अंत तक पीड़िता के हित में आवश्यक कार्यवाही करेगें। पुलिस का यह कर्तव्य है कि पीड़ित महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया जावे एवं इसका इन्द्राज अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया जावे । पीडित महिलाओं को अपने अधिकारों के संबंध में जानकारी थानास्तर पर प्राथमिकता से प्रदर्शित की जावे । पीड़ित महिला को विधिक सहायता प्रदान करने में किसी प्रकार का विलम्ब न किया जाये ।

(ऋषि कुमार शुक्ला)
पुलिस महानिदेशक
म.प्र. भोपाल

प्रतिलिपिः—

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

पुलिस महानिदेशक
म.प्र. भोपाल

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/ अति.म.नि./महिलाअपराध/नि.स./ 413 /2017 दिनांक :26.12.2017

परिपत्र

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश ।

विषयः— धारा 363,366 भादवि के प्रकरणों का पर्यवेक्षण एवं मॉनीटरिंग के संबंध में

प्रदेश में काफी अधिक संख्या में नाबालिग बच्चियों के गुमने की शिकायते प्राप्त होती है, जिसपर धारा 363,366 भा.द.वि. के अपराध पंजीबद्व होकर विवेचना की जा रही हैं । कई प्रकरणों मे गुम बच्चियॉ नही मिलने से परिजनों द्वारा शिकायते की जाती है एवं कई मामले न्यायालय में भी चल रहे है । ऐसी स्थिति में इन प्रकरणों की त्वरित विवेचना के साथ–साथ सक्रिय पर्यवेक्षण एवं मॉनीटरिंग की आवश्यकता हैं । अतः धारा 363,366 भादवि के प्रकरणों का पर्यवेक्षण एवं मॉनीटरिंग करने हेतु निम्न निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

(1) महिलाओं/नाबालिग बच्चों की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल अपराध कायम कर गुमशुदा बच्चों की तलाश प्रारम्भ कर, इन प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ताकि नाबालिग बच्चों के साथ कोई अप्रिय घटना घटित न हो सके।

(2) गुमशुदगी की पुलिस में किसी भी प्रकार की सूचना/शिकायत अथवा रिपोर्ट दर्ज कराने पर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ अत्यंत संवेदनशीलता से कार्यवाही की जावे तथा किसी भी छोटी से छोटी घटना को महत्वपूर्ण मानकर गंभीरतापूर्वक तत्काल विधिवत कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

(3) घटना/अपराध के अन्वेषण में अनावश्यक विलम्ब न हो, जिससे कि अपराधी द्वारा किसी तरह के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव की स्थिति में पीड़िता का लाभ न उठा सके, इस ओर विशेष ध्यान दिया जावे ।

(4) अपहृता पीड़िता के साथ कई बार उनके परिवार, परिवार से जुड़े सदस्यों का बर्ताव भी नकारात्मक होता है । ऐसी स्थिति में परिवार के उन सदस्यों को चिन्हित कर उनकी पारिवारिक काउन्सलिंग की जावे ।

(5) कार्यस्थल, संस्थानों, सडको तथा अत्यधिक अपराधिक घटनाओं वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी, अवलोकन एवं विश्लेषण सतत् रूप से किया जावे ।

(6) घटित अपराध/घटना की जांच, पुर्नवास, दोषी को दण्डित करने के लिये न केवल जांच को अधिक वैज्ञानिक और तकनीकि पूर्ण बनाया जावे, बल्कि जांच बेहद संवेदनशीलता के साथ त्वरित रूप से अभियोजन के लिये तैयार की जावे।

उपरोक्त के अतिरिक्त धारा 363,366 भादवि के लंबित प्रकरणों में पर्यवेक्षण/मॉनीटरिंग के लिये निम्नानुसार पर्यवेक्षण एवं मॉनीटरिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे :–

- धारा 363,366 भादवि के प्रत्येक लंबित प्रकरण का पर्यवेक्षण एवं मॉनीटरिंग जिले में पदस्थ नगर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी एवं उ.पु.अ.(महिला अपराध) द्वारा **15 दिवस** में करेगें ।
- धारा 363,366 भादवि के **01 माह** से ऊपर के लंबित प्रकरणों का पर्यवेक्षण एवं मॉनीटरिंग **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर** के अधिकारी द्वारा की जावेगी ।
- धारा 363,366 भादवि के **03 माह** से ऊपर के लंबित प्रकरणों का पर्यवेक्षण एवं मॉनीटरिंग **पुलिस अधीक्षक** द्वारा की जावेगी ।
- धारा 363,366 भादवि के **04 माह** से लंबित प्रकरणों का पर्यवेक्षण एवं मॉनीटरिंग **उ.म.नि.(महिला अपराध)** द्वारा की जावेगी ।
- धारा 363,366 भादवि के **05 माह** से लंबित प्रकरणों का पर्यवेक्षण एवं मॉनीटरिंग **झोनल पुलिस महानिरीक्षक** द्वारा की जावेगी ।

धारा 363,366 भादवि के लंबित प्रकरणों की माहवार सूची तैयार की जाकर इसे समय–समय पर अद्यतन किया जावे । इस व्यवस्था को सुचारू रूप से कार्य योजना तैयार कर किया जावे एवं **प्रत्येक माह की 10 तारीख तक** इस कार्यालय को प्रतिवेदन भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे ।

(ऋषि कुमार शुक्ला)
पुलिस महानिदेशक
म.प्र.भोपाल

प्रतिलिपिः– की ओर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु ।
01– समस्त झोनल पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश ।
02– पुलिस महानिरीक्षक(महिला अपराध) भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर

पुलिस महानिदेशक
म.प्र. भोपाल

पुलिस मुख्यालय, भोपाल
महिला अपराध शाखा
(CRIME AGAINST WOMEN)

पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल -- 462 008
POLICE HEAD QUARTERS, JEHANGIRABAD, BHOPAL - 462 008
दूरभाष : 0755--2443568 (कार्यालय) / फैक्स 2440107

क्रमांक / file No / अति.म.नि. / महिलाअपराध / निस / 237 / 2018 दि0 : 06/06/2018

परिपत्र

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश।

विषयः— दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश 2018 मे दिए गए प्रावधानों के तहत विधिक कार्यवाही करने के संबंध में

महिलाओं एवं बच्चों के साथ घटित हो रहे जघन्य अपराधों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा दि0 21 अप्रैल 2018 को दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश को स्थापित किया गया है। अध्यादेश की प्रतिलिपि संलग्न है। महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नानुसार है।

(1) बलात्कार के आपराधिक मामलों मे भादवि 1860 के अंतर्गत इस अपराध के लिए कम से कम 07 वर्ष के सश्रम कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक का दण्ड दिया जाता है, और साथ मे जुर्माना लगाया जाता है, परंतु नवीन (संशोधन) अध्यादेश में न्यूनतम सजा 10 वर्ष तक की बढ़ा दी गई है, जो शेष प्राकृतिक जीवन काल तक के लिए कारावास होगी,का प्रावधान किया गया है। और 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ किए गए बलात्संग के अपराध के लिए सजा कठोर कारावास जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नही होगी, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दोषी व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक के कारावास की होगी एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

(2) नवीन (संशोधन) अध्यादेश के द्वारा जोड़ी गई नवीन धारा 376 (क,ख) भादवि के अनुसार अब 12 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री के साथ बलात्संग के लिए कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है जो कोई 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग करेगा वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नही होगी, जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल तक के लिए कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माने से भी या मृत्युदण्ड से दण्डनीय होगा।

(3) नवीन संशोधन अध्यादेश के द्वारा जोड़ी गई नवीन धारा 376 (घ,क) भादवि के अनुसार यदि 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग किया जाता है तो ऐसे अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास जो व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए अभिप्रेत होगा, और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(4) नवीन संशोधन अध्यादेश के द्वारा जोड़ी गई नवीन धारा 376 (घ,ख) के अनुसार अब 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग के लिए आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत्त जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, और जुर्माना या मृत्युदण्ड का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार वर्तमान नवीन संशोधन में बलात्संग एवं सामूहिक बलात्संग मे पूर्व मे दिए गए दण्ड में उपरोक्तानुसार वृध्दि की गई है इसके अलावा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सा खर्च को पूरा करने एवं पीड़िता के पुर्नवास के लिए पीड़िता को भुगतान किया जाएगा।

(5) नवीन (संशोधन) अध्यादेश के द्वारा धारा 173 द0प्र0 सं0 में प्रावधान किया गया है, कि अब बलात्संग के निर्दिष्ट मामलों मे विवेचना 02 माह के अंदर पूरी की जावे। इस प्रकार धारा 309 एवं 327 द.प्र.स. में किये गये संशोधन के अनुसार अब इन मामलों मे विचारण भी 02 माह में पूरा किया जाने का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में निर्दिष्ट मामलों में अपील प्रस्तुत की जाती है तो ऐसी अपील प्रस्तुत करने की दिनांक से 06 माह की अवधि के अंदर निराकृत की जावेगी।

(6) द0प्र0सं0 की धारा 438 में नवीन संशोधन के द्वारा 12 वर्ष से कम उम्र की या 16 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्संग या सामूहिक बलात्संग के आरोपी व्यक्ति के संबंध मे अग्रिम जमानत का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, इसी प्रकार धारा 439 द0प्र0 सं0 में संशोधन कर नियमित जमानत के मामलों मे लोक अभियोजक को 15 दिवस का नोटिस देना अनिवार्य कर दिया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि महिला संबंधी गंभीर अपराधों के संबंध मे दण्ड विधि (संशोधन)अध्यादेश 2018 मे दिए गए प्रावधानों को मूलतः अध्ययन कर इन्हे सभी विवेचकों/पर्यवेक्षणों के ध्यान मे लावें, उन्हे आवश्यक विधिक प्रशिक्षण एवं संवेदनशीलता से प्रशिक्षण दिया जावे, तथा नवीन प्रावधान लागू किए जावें। नवीन प्रावधानों को लागू करने के लिए यदि अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता हो तो पृथक से औचित्य पूर्ण मॉग भेजी जावे ताकि शासन को प्रस्ताव पेश किया जा सके।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित

6/6/18

(अन्वेष मंगलम)
अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल ।

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
POLICE HEAD QUARTERS, JEHANGIRABAD, BHOPAL

क्रमांक/file No /अति.म.नि./महिलाअपराध/ 349 /2018 दि0 : 08.06.2018

परिपत्र

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश।

विषयः— पिटीशन (सिविल) क0 231/2010 मे मान0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दि0 27.03.18 मे दिए गए दिशा–निर्देशों के संबंध मे।

कृपया माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पिटीशन (सिविल) क0 231/2010 याचिकाकर्ता शक्ति वाहिनी विरूद्ध Union of India and others में निम्नलिखित निर्देश पारित किये गये हैं:–

(I) प्रतिबधात्मक उपाय (Preventive Steps) –

(a) राज्य सरकार तुरंत ऐसे जिलों/उप सभांगों और, गॉव की पहचान करें जहॉ गत 5 वर्षो में खाप पंचायतों की बैठक अथवा, ऑनर किलिंग के प्रकरणों की घटना हुई हो।

(b) संबंधित राज्यों के गृह सचिव, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक को निर्देश/सलाह जारी करेंगे कि पहचान किए गए क्षेत्रों के अंतरजातीय विषय या अतंर धार्मिक विवाह की घटना/सूचना प्राप्त होने पर सम्बधित थाना प्रभारी अतिरिक्त सतर्कता बरतें।

(c) यदि खाप पंचायत की किसी भी प्रस्तावित सभा के बारे में जानकारी किसी भी पुलिस अधिकारी या जिला प्रशासन के किसी भी अधिकारी के संज्ञान में आता है तो वह तुरंत इसकी सूचना तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेगा और साथ ही साथ उ. पु.अ. तथा पुलिस अधीक्षक को भी इसी सूचना देगा।

(d) ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर उ.पु.अ. या इस तरह के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी क्षेत्र/जिले के तुरंत खाप पंचायत के सदस्यों से बातचीत करेंगे और ऐसे लोगों जो इसका आयोजन करते है, को समझायेगा इस तरह की बैठक/सभा (पंचायत) की कानून में अनुमति नहीं है और ऐसी बैठक करने से बचें। इसके अतिरिक्त ऐसी प्रस्तावित सभा की रोकथाम के लिए पुलिस थानों के अधिकारी प्रभारी को सतर्क रहने और आवश्यक हो तो अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के लिये उचित दिशा–निर्दशों को जारी करना।

(e) इस प्रकार के उपायों के बावजूद भी यदि बैठक (पंचायत) आयोजित की जाती है तो बैठक के दौरान उप पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से वहॉ उपस्थित रहेगें और उन्हें समझायेगा कि विवाहिता जोड़े (couples) या परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान पहुॅचाने के लिए इस पंचायत में कोई निर्णय नही लिया जा सकता है। यदि तथापि पंचायत ऐसा कोई निर्णय लेता है तो आयोजकों के अलावा बैठक में भाग लेने बाले प्रत्येक व्यक्ति आपराधिक अभियोजन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। वे यह भी सुनिश्चित करेगें कि बैठक की वीडिया, रिकॉर्डिंग और असेंबली के सदस्यों की भागीदारी के आधार पर उपयुक्त कानूनी कार्यवाही का सहारा लिया जा सकता है।

(f) यदि उ.पु.अ. को यह समाधान हो जाता है कि सभा को रोका नही जा सकता, और/या विवाहित जोड़े या उसके परिवार के सदस्यों या सदस्यों को नुकसान पहुॅचाने की संभावना है तो वह तत्काल संबंधित क्षेत्र के जिला/सक्षम प्राधिकार के जिला मजिस्टेट/अनुविभागीय मजिस्ट्रेट को सी.आर.पी.सी के तहत निवारक कदम उठाने के

आदेश जारी करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा जिसमें निषेजाज्ञा धारा 144 सी.आर. पी.सी, धारा 151 सीआरपीसी के तहत असेंबली मे प्रतिभागियों की गिरप्तारी के कारण भी शामिल है।

(G) भारत सरकार गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ समन्वय करते हुये कानून लागू करने वाली एजेन्सियों एवं अन्य सभी Stake Holders को शामिल करते हुये इस प्रकार की हिंसा को रोकने के लिये आवश्यक कदमों की पहचान करेंगा और कानून के शासन स्थापित करने तथा सामाजिक न्याय के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय करने के लिये आवश्यक पहल की जावेगी ।

(H) सभी Stake Holders के मध्य आवश्यक समन्वय करने के लिये संस्थागत व्यवस्था की जानी चाहिये। इस प्रकार की हिंसा रोकने के लिये सामाजिक पहल एवं जागरूकता बढ़ाने के लिये कानून लागू करने वाली एजेसियों को सवेंदनशील बनाने के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकारों की आवश्यक उपाय करने चाहिये।

(II) Remedial Measures (वैधानिक उपाय)

(a) समस्त प्रतिवन्धात्मक उपाय करने के पश्चात् भी यदि स्थानीय पुलिस की जानकारी में यह आता है कि कोई खाप पंचायत हुई है और उसमें अतंरजातीय या अंर्तधार्मिक विवाह करने वाले जोड़े या परिवार के विरूद्व कार्यवाही के विषय में कोई निर्णय लिया है तो क्षेत्राधिकार वाले पुलिस अधिकारी तुरन्त भा.द.वि. के उपयुक्त प्रावधानों, जिसमें धारा 141, 143, 503, 506 शामिल है, के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगें ।

(b) प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के उपरान्त इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक को दी जावे एवं वे यह सुनिश्चित करेगें कि अपराध की प्रभावी विवेचना हो और तार्किक निष्कर्ष तक तत्परता से पहुॅचाना सुनिश्चित करेगें।

(c) इसके अलावा विवाहित जोड़ों एवं उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के उपाय तुरन्त किये जावें और यदि आवश्यक हो तो उन्हें उसी जिले में या किसी अन्य जिले में उनकी सुरक्षा एवं उनको दी गई धमकी को मद्देनजर रखते हुए उन्हें Safe House में रखा जावें । राज्य शासन प्रत्येक जिले में इस प्रकार के Safe Houses स्थापित करने के लिये विचार करें । इस तरह के Safe Houses में निम्न को रखा जा सकता है । ऐसे युवा विवाहित अथवा अविवाहित जोड़े जिनका समाज या उनके परिवार के सदस्यों या फिर स्थानीय समुदाय या पंचायत द्वारा विरोध किया जा रहा हो । ऐसे व्यक्तियों को Safe Houses में जिले के पुलिस अधीक्षक, जिला दण्डाधिकारी के पर्यवेक्षण में रखा जावें ।

(d) जिला दण्डाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को ऐसे विवाहित जोड़े एवं परिवार में धमकी मिलने की शिकायत पर तुरन्त ही संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करना चाहिये । सबसे पहले यह निर्धारण किया जाना चाहिये कि विवाहित जोड़े वयस्क हैं या नहीं ? तत्पश्चात् यदि आवश्यक हो तो उनका विवाह कराने के लिये आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिये और यदि आवश्यक हो तो पुलिस सुरक्षा में उनका विवाह कराना चाहिये ।

विवाह के पश्चात् विवाहित जोड़ो द्वारा यदि स्वयं इच्छा प्रकट की जाये तो उन्हें एक माह के लिये अथवा एक वर्ष के लिये मामूली अधिभार में भुगतान करने पर Safe Houses में जगह प्रदान की जा सकती है।

(e) विवाहित या अविवाहित जोड़ों से प्राप्त शिकायत या अन्य स्वतंत्र स्त्रोत से यदि यह जानकारी प्राप्त होती है कि उनके परिवार के सदस्यों/स्थानीय समुदाय/खाप पंचायत द्वारा विरोध किया जा रहा है तो जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, अति. पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से प्रारंभिक जांच करावेगें, वह प्राथमिक जांच करेगा और खतरे की धारणा की प्रमाणीकता एंवं प्रकृति का पता लगायेंगे और ऐसे खतरो की प्रमाणीकता की संतुष्टि होने पर वह तुरन्त एक सप्ताह के अन्दर पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

(f) रिपोर्ट की प्राप्ति पर पुलिस अधीक्षक संबंधित अनुभाग के प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक को ऐसी धमकी देने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध FIR दर्ज करने के निर्देश देंगे और जोड़ों को धमकी देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ यदि आवश्यक हो तो धारा 151 द.प्र. स. के तहत कार्यवाही करें। इसके अतिरिक्त उ.पु.अ. व्यक्तिगत रूप से जांच की प्रगति की निगरानी करेगें और सुनिश्चित करेगें कि जांच के दौरान संबंधित व्यक्तियों को असॅम्बली में भाग लेने वाले सदस्यों सहित किसी भी अपवाद के बिना निर्धारित नहीं किया जाएगा । यदि खाप पंचायत के सदस्यों की भागीदारी सामने आती है तो उनसे षडयंत्र या बहकावे (Abetment) के अपराध के लिये भी आरोप पत्र दायर किया जावेगा ।

III. Punitive Measurees (दण्डात्मक उपाय)

(a) उपरोक्त निर्देशों के पालन में असफल रहने वाले पुलिस अधीक्षक/जिला दण्डाधिकारी के विषय में यह समझा जावेगा कि ऐसे प्रकरणों में उनके द्वारा जानबूझकर लापरवाही की है या कदाचरण किया गया है, इसके लिये सेवा नियमों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जावेगी या विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर यथासंभव 06 माह में सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की जावेगी ।

(b) इन न्यायालय के द्वारा Arumugam Servai के प्रकरण में दिये गये आदेश व्यवस्था अनुसार राज्य को यह निर्देश दिये जाते हैं कि संबंधित अधिकारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे, यदि ऐंसा पाया जाता है कि (1) अधिकारी को घटना की जानकारी होने के पश्चात् भी उसने घटना रोकने के प्रयास नहीं किये या (2) जहां घटना पहले ही हो चुकी है, वहां ऐसे अधिकारी द्वारा तत्परतापूर्वक गिरफ्तारी नहीं की है और उनके विरूद्व वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हुई हो ।

(c) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक/जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला आदिम जाति कल्यण विभाग अधिकारी को मनोनीत कर **"स्पेशल सेल"** बनाया जावेगा जो कि अतंरजातीय या अंर्तधार्मिक विवाह जोड़ो को धमकी और प्रताड़ना की शिकायत/याचिका प्राप्त कर सकते है।

(d) वर्णित **"स्पेशल सेल"** ऐसी शिकायत प्राप्त करना और आवश्यक सहयोग, संरक्षण प्रदान करने के लिये 24 घन्टे कार्यरत हेल्प लाईन स्थापित करेगें और ऐसी शिकायत दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही करेगा ।

(e) ऑनर किलिंग या इस प्रकार के जोडों के विरूद्व प्राप्त प्रकरणों से संबंधित मामलों विर्निदिष्ट न्यायालय या फॉस्ट ट्रेक न्यायालय में भेजे जावें एवं 06 माह के अन्दर प्रकरण में कार्यवाही पूर्ण कर ली जावे । यह निर्देश पूर्व से लंबित प्रकरणों पर भी लागू होगा । संबंधित जिला ऐसे प्रकरणों में यथासंभव एक क्षेत्राधिकार न्यायालय में पेश करेंगे ताकि शीघ्र निराकरण संभव हो सकें ।

उपरोक्त सारं संक्षेप की स्पष्ट और विस्तृत जानकारी के लिए कृपया मूल याचिका निर्णय का अध्ययन करें। अपने–अपने जिलों में न्यायालय की अपेक्षा अनुसार कार्यवाही करें, विवेचकों, थाना प्रभारियों, उप पुलिस ,नगर पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को प्रशिक्षण करावें और उन्हें इस विषय में संवेदनशील बनावें। विस्तृत अध्ययन के लिये न्यायालय निर्णय का स्वयं भी अध्ययन करने की सलाह दी जाती है।

यदि पुलिस मुख्यालय स्तर से किसी अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता हो तो औचित्यपूर्ण प्रस्ताव भेजें। इस प्रकार के मामलों में विवाहित/विवाह करना चाह रहे जोड़ों की सुरक्षा के पुलिस लाईन "Safe Houses" बनाने का प्रस्ताव भेजें। इस हेतु भूमि का चयन कर मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन के इंजीनियर से Stage-1 प्राक्कलन बनवाकर भेजे। पालन प्रतिवेदन दिनांक 30/06/2018 तक भेजा जावे, आंतरिक अधीनस्थों से पत्राचार की प्रतिलिपि पृष्ठाकित न करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(अन्वेष मंगलम)
अति0पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक मध्यप्रदेश।
2. समस्त रेंज़ उप पुलिस महानिरीक्षक मध्यप्रदेश।
3. उप पुलिस महानिरीक्षक (महिला अपराध) ग्वालियर, भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर जिला पुलिस अधीक्षकों से समन्वय कर आवश्यक अपेक्षित कार्यवाही करावें।

अति0पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

//पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल//

:: आदेश ::

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 76/2018 अलख अलोक श्रीवास्तव विरूद्व भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय के पैरा 23(5) में दिए गए निर्देश के पालन में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरणों में उचित विवेचना एवं विचारण में साक्षियों के नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थिति हेतु निम्नानुसार स्पेशल टास्क फोर्स (विशेष कर्मी दल) का गठन किया जाता है।

(1) राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स

1 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)-- समन्वयक
2 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक(अ.अ.वि)– सदस्य
3 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक(रा.अ.अ.ब्यूरो)-- सदस्य
4 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता)–सदस्य
5. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक(रेल)– सदस्य
6. संचालक लोक अभियोजन के प्रतिनिधि– (सदस्य)

नोट– अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अ.अ.वि., रा.अ.ब्यूरो, गुप्तवार्ता के अनुपलब्ध रहने पर उनके प्रतिनिधि के तौर पर पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी इसके सदस्य रहेंगे।

(2) जोन स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स (विशेष कर्मी दल)

1. जोन पुलिस महानिरीक्षक– (अध्यक्ष)
2 पुलिस उप महानिरीक्षक – (सदस्य)
3 जोन उप पुलिस महानिरीक्षक म.अप.–(सदस्य)
4. जिला पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक रेल – (सदस्य)
5 जिला उप संचालक लोक अभियोजन अधिकारी/विधि सलाहकार– (सदस्य)

(3) जिला स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स (विशेष कर्मी दल)

1. जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक रेल– (अध्यक्ष)
2. जिला लोक अभियोजन अधिकारी–(सदस्य)
3. जिले के अति.पु.अ./अति.पु.अ. रेल/उ.पु.अ/उ.पु.अ रेल–(सदस्य)
4 जिला जी.आर.पी. पुलिस अधीक्षक के अधीन समस्त थाना प्रभारी –(सदस्य)

पुलिस महानिदेशक
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरणों के संबंध में स्पेशल टास्क फोर्स (विशेष कर्मी दल) द्वारा निम्न निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(1) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरणों की विवेचना की गति एवं गुणवत्ता की मासिक समीक्षा। (30 दिन से अधिक विवेचना में लंबित प्रकरणों एवं बरी हुए प्रकरणो की समीक्षा सम्मिलित है)
(2) ट्रायल न्यायालय से बरी हुए प्रकरणो / विवेचना या अभियोजन पर विपरीत टीका प्रकरणों में शासन आदेश कं एफ 21 / 16 / 2014 / दो / बी--1 दिनांक 31 / 12 / 2014. के द्वारा गठित समिति को माह में प्रस्तुत किये गये प्रकरणों की समीक्षा।
(3) प्रकरणों के विचारण के दौरान साक्षियों को निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित करने के लिए किये गये प्रयास एवं इनके परिणाम की मासिक समीक्षा।
(4) जोन महानिरीक्षक संलग्न प्रोफार्मानुसार जिलो से जानकारी प्राप्त कर, समीक्षा कर प्रत्येक माह की 15 तारीख तक पु.मु.महिला अपराध को जानकारी हार्ड कॉपी एवं E-mail id mpcaw@mppolice. gov.in पर भेजेंगे।
(5) जिले में यह समीक्षा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक कर ली जावेगी और प्रतिवेदन जोनल महानिरीक्षक को भेज दी जावेगी।

क्र0 / पुमु / अमनि / म0अप0 / 3764 / 18 / W-2/05/18 दिनांक 30/6/18

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(1) संचालक लोक अभियोजन मध्यप्रदेश भोपाल।
(2) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अअवि, गुप्तवार्ता, रेल, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो ।
(3) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।
(4) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध मध्यप्रदेश।
(5) समस्त जोनल उप पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।
(6) उप.पुलिस महानिरीक्षक शहर भोपाल एवं इन्दौर।
(7) समस्त पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक रेल मध्यप्रदेश।
(8) समनि I समनि II एवं डी.डी.पी. महिला अपराध शाखा पु.मु. भोपाल।
(9) स्थापना खण्ड I गार्ड फाईल में संधारण हेतु।

पुलिस महानिदेशक
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

//पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल//

क्रमांक पु0मु0/म0अप0/ W-2/ 3765 /2018 दिनांक– 30 /06/2018

प्रति,

पुलिस उपमहानिरीक्षक(शहर)भोपाल, इन्दौर
समस्त पुलिस अधीक्षक(म.प्र.)
पुलिस अधीक्षक (रेल) भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर परिक्षेत्र

विषयः– बलात्संग के प्रकरणों में डी0एन0ए0 परीक्षण कराने के संबंध में।

संदर्भः– मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा राजा वर्मन @ राहु बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश MCRC-6476/2016 दिनांक 04.05.2016 में दिए गए निर्देश के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा **राजा वर्मन @ राहु बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश MCRC-6476/2016 दिनांक 04.05.2016** में प्रत्येक बलात्संग प्रकरण में डी0एन0ए0 परीक्षण कराये जाने हेतु निर्देशित किया है।

वर्तमान में डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की क्षमता सीमित है। डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु क्षमता वृद्धि होने तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के पालन में निम्न प्रकरणों में डी0एन0ए0 परीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें –

1. सामूहिक बलात्संग;
2. बलात्संग के बाद हत्या/हत्या का प्रयास;
3. 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ बलात्संग ;
4. अज्ञात/अजनबी व्यक्ति द्वारा बलात्संग ;
5. ऐसे प्रकरण जिसमें विवेचक/पर्यवेक्षक/वरिष्ठ अधिकारी को घटना की सत्यता पर संदेह हो तथा नामजद आरोपी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिये डी0एन0ए0 परीक्षण करने की माँग कर रहा हो अथवा डी0एन0ए0 परीक्षण कराने के लिये सहमत हो;
6. ऐसे प्रकरण जिसमें पीड़िता गर्भवती हो गई हो और बच्चे/भ्रूण पितृत्व निर्धारण के लिये डी0एन0ए0 परीक्षण कराया जाना हो;
7. अन्य प्रकरण जिसमें पीड़िता माँग कर रही हो अथवा न्यायालय/आयोग/शासन के तदाशय के आदेश हो अथवा न्याय हित में डी0एन0ए0 परीक्षण कराया जाना आवश्यक हो।

पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

क पु0मु0/म0अप0/ W-2/3765 /2018 दिनांक– 30/06/2018

प्रतिलिपि,:–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

(1) अमनि अजाक/अमनि अअवि/अमनि रेल/अमनि योजना/अमनि प्रबंध/अमनि गुप्तवार्ता की ओर सूचनार्थ।

(2) अमनि (तकनीकी सेवा) न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में डी0एन0ए0 परीक्षण की क्षमता वृद्धि के लिए आवश्यक प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय योजना शाखा को प्रस्तुत करें।

(3) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(4) उप पुलिस महानिरीक्षक (महिला अपराध) भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर ।

(5) सहायक पुलिस महानिरीक्षक (महिला अपराध) I/II एवं उप संचालक (अभियोजन) महिला अपराध।

(6) डब्ल्यू–1 गार्ड फाईल संधारण हेतु।

पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल
(POLICE HEAD QUARTERS BHOPAL)

क्रमांक / New File No14 / परिपत्र / अ.म.नि. / महिलाअपराध / निस / 14 / 2018 दि 17 / 07 / 2018

परिपत्र

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2018 के अनुसार बलात्कार के अपराधों का 60 दिवस के के अंदर निराकरण।

दण्ड प्रक्रिया संशोधन अध्यादेश 2018 में बलात्कार संबंधी प्रकरणों में 60 दिवस में विवेचना पूर्ण कर धारा 173 cr.p.c. में अपेक्षित पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। पु.मु. के परिपत्र क्र पुमु / अमनि / म.अ. / नि.स. / 495 / 2012 दि.24 / 12 / 2012 में 15 दिवस में बलात्कार प्रकरणों की विवेचना पूर्ण करने के निर्देश हैं। पु.मु. के परिपत्र कमांक पु.मु. / अ.म.नि / म.अ. / 137 / 12 दिनांक 24.08.2012 के द्वारा बलात्कार के प्रकरणों में थाना प्रभारी को स्वयं विवचेना करने के निर्देश दिये गये है। कुछ जिलों के इस विषय में प्रदर्शन की समीक्षा करने पर पाया गया कि 15 दिवस में 25 से भी कम प्रकरणों में ही विवेचना पूर्ण हो पा रही है। अधिकांश प्रकरणों में 45 दिवस तक लग रहे हैं। विवेचना भी थाना प्रभारी के अधीनस्थ द्वारा ही की जा रही है।

समीक्षा बैठक में पुलिस महानिदेशक ने निर्देश दिये हैं कि बलात्कार के प्रकरणों में 60 दिन में विवेचना पूर्ण करने का मॉडल एक्शन प्लान एवं चैक लिस्ट बनाया जावें! ज्ञातव्य है कि बलात्कार के प्रकरणों में विवेचना से संबंधित निम्न प्रमुख अधिनियमों मे सुसंगत उपलब्ध हैं।

01 भारतीय दण्ड संहिता 1860 (अद्यतन संशोधित)
02 दण्ड प्रकिया संहिता 1973 (अद्यतन संशोधित)
03 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (अद्यतन संशोधित)
04 अ.जा.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अद्यतन संशोधित एवं इसके अधीन बनाये गये नियम, आकस्मिता राहत योजना।
05 बालको का लैंगिक शोषण से संरक्षण अधिनियम 2012 पॉस्को एक्ट एवं नियम।
06 Juvenile Justice Care And Protection Act 2015 एवं नियम।
07 मध्यप्रदेश पुलिस रेगुलेशन।
08 समय–समय पर पुलिस मुख्यालय से जारी विभिन्न आदेश, निर्देश एंव परिपत्र।

(1) अध्ययन उपरांत बलात्कार के प्रकरणों में विवेचकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए 01 संक्षिप्त चैक लिस्ट और 60 दिवस में विवेचना पूर्ण करने का एक्शन प्लान का प्रारूप तैयार किया गया हैं **जो संलग्न है।** यह अपने आप में सम्पूर्ण या Exhaustive नहीं हो सकता है। प्रत्येक प्रकरण अपने आप में भिन्न है और प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विभिन्न विवेचना उपाय (Steps) निर्भर करते है।

(2) उक्त प्रारूप व्यापक विचार–विमर्श के लिये विभिन्न स्तरों पर प्रसारित किया जा रहा है ताकि इस पर अधिक से अधिक सुझाव प्राप्त हो सकें और प्राप्त सुझावों के प्रकाश में इनका परीमार्जन किया जा सके। 30 दिन में प्राप्त सुझावों के आधार पर इसका प्रथम संस्करण जारी किया जावेगा। तदुपरांत प्रत्येक 6 माह बाद इसी विचार–विमर्श प्रकिया के आधार पर प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर अगला संस्करण जारी किया जा सकता है।

(3) दिये गये बिन्दुओं पर प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार यथासंभव शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही करनी है। यह संभव है कि कुछ प्रकरणों में समस्त/अधिकांश कार्यवाही 08 से 15 दिन में ही पूर्ण हो जावे। अतः यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक प्रकरण में 60 दिन ही इंतजार किया जावे। विवेचकों से अपेक्षा है कि चैक लिस्ट की एक प्रति केस डायरी नस्ती में रखे तथा जो–जो कार्यवाही होती जावे, उसे कार्यवाही दिनांक लेखकर टिकं करावें, जो कार्यवाही आवश्यक नहीं है, उसके आगे लाल स्याही से **"प्रकरण में आवश्यक नहीं"** लिख दें और जो अतिरिक्त कार्यवाही करना आवश्यक हो, उसे अन्त में जोड़े और उस पर भी कार्यवाही दिनांक लिखें।

संलग्न :– मॉडल एक्शन प्लान (SOP)

(पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित)

(अन्वेष मंगलम)
अति. पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः–

01– समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।
02– समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज मध्यप्रदेश
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
03– उप पुलिस महानिरीक्षक(महिला अपराध) भोपाल,इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर।
04– सहायक पुलिस महानिरीक्षक(महिला अपराध) प्रथम एवं द्वितीय।
05– प्रभारी W-01 गार्ड फाईल में संधारण हेतु।

अति. पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

क्रिमिनल लॉ संशोधन अध्यादेश की अपेक्षा अनुसार बलात्कार के अपराधों का 60 दिवस के अंदर निराकरण हेतु माडल एक्शन प्लान

की जाने वाली कार्यवाही	कार्यवाही समय
(1) सूचना प्राप्त होते ही तत्काल निकटस्थ उपलब्ध महिला अधिकारी को थाना में उपस्थित कराना और उसकी उपस्थिति में कार्यवाही प्रारंभ करना।	तुरंत
(2) महिला अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख करना। यदि किसी कारण से तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है और प्रकरण को जांच में रखा गया है,तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ललिता कुमारी प्रकरण में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन करना।	प्रथम दिन
(3) सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त घटनास्थल रवाना होना	प्रथम दिन
(4) घटनास्थल का निरीक्षण कर उसको सुरक्षित (कार्डन ऑफ) करना,घटना का मानचित्र तैयार करना एवं घटनास्थल की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कराना।	01-02 दिन
(5) FSL टीम को सूचना कर घटनास्थल पर बुलाना एवं घटनास्थल पर मौजूद समस्त साक्ष्यों को एकत्रित करने हेतु निदेर्शित करना। जप्त सामग्री का FSL परीक्षण आवश्यक होने पर आवश्यक दस्तावेज तैयार कर सामग्री FSL भिजवाना।	01-02 दिन
(6) तत्काल पीडिता को महिला स्टाफ के साथ मेडीकल परीक्षण हेतु भेजना,आवश्यकतानुसार पीड़िता को राहत एवं पुर्नवास हेतु आवश्यक कार्यवाही करना/कराना। यदि पीड़िता की मेडीकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि होती है तो पीड़िता द्वारा बताये गये नामजद आरोपी को तत्काल पुलिस अभिरक्षा में निरूद्ध करना सुनिश्चित करें,पीड़िता की पहचान सुरक्षित रखना। बाल पीड़िता होने पर थाना के Child Welfare officer और SJPU की मदद	प्रथम दिन

लेना।	
(7) दूरभाष CUG/वायरलेस सेट से सर्वसंबंधित को सूचना देना।	प्रथम दिन
(8) स्पेशल रिपोर्ट प्रकरणों में स्पेशल रिपोर्ट भेजना।	प्रथम दिन
(9) JMFC को FIR की प्रति भेजना।	01–02 दिन
(10) POCSO एक्ट का यदि प्रकरण बनता है तो उसके प्रावधानों का समाहित करना व यदि प्रकरण 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका से संबंधित है तो दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2018 में निर्देशित प्रावधानों को भी प्रथम सूचना रिपोर्ट पर समावेश करना।	प्रथम दिन
(11) SC/ST एक्ट में पंजीयन होने से पुलिस अधीक्षक को सूचित कर अनुसंधान अधिकारी की नियुक्ति करना और उन्हें विवेचना सौंपना और विवेचक के आने तक समस्त अपेक्षित मौके की कार्यवाही करना।	प्रथम दिन
(12) यदि आई.टी. एक्ट के प्रावधानों का भी प्रकरण है तो संबंधित धारा की अपेक्षा के अनुसार कार्यवाही करना।	प्रथम दिन
(13) मेडीकल परीक्षण उपरांत अस्पताल से प्राप्त (आर्टिकल) जप्त करना; DNA परीक्षण करवाने की स्थिति में ज़प्त आर्टीकल की "चेन आफ कस्टडी" मेन्टेन रखना और FSL माल भेजते समय आवश्यक दस्तावेज उन्हें भेजना।	01 से 03 दिन तक
(14) धारा 160 में पीड़िता एवं साक्षियों के कथन लेख कराने के लिए नोटिस जारी करना/अनुउपलब्ध साक्षियों को धारा 160 का नोटिस जारी कर बुलाना एवं धारा 161 के अंतर्गत पीड़िता व साक्षियों के कथन लेख करना।	01–07 दिन

(15) धारा 170 का बाण्ड भराना।	01–07 दिन
(16) आवश्यकतानुसार पीडित के कथनों की विडियोग्राफी करना।	01–07 दिन
(17) पीडिता के धारा 164 सी.आर.पी.सी. में कथन हेतु माननीय न्यायालय को तहरीर भेजना,– न्यायालय में धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन कराना, प्रथक पर्यवेक्षक अधिकारी का पर्यवेक्षण, विवेचना, एक्शनप्लान बनाना एवं पर्यवेक्षण टीप उपलब्ध कराना एवं माननीय न्यायालय से पीड़िता के धारा 164 के कथन की सत्यापित प्रति प्राप्त करना। यदि न्यायालय द्वारा धारा 164 के तहत कथन कराने में किसी कारणवश विलंब होता है तो शीघ्र सुनवाई का आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें।	01–07 दिन
(18) आरोपी/संदेही पकड़ना/पूछताछ करना, गिरफ्तार करना। यदि आरोपी अवयस्क है या मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो तत्संबंधी प्रावधानों का पालन करना।	यदि समुचित साक्ष्य है तो प्रथम दिन ही कार्यवाही प्रारम्भ करें और शीघ्र से शीघ्र करें।
(19) आरोपी फरार होने की दशा में आरोपीगण की तलाश करना और वायरलैस सेट पर विभिन्न जिलों को आरोपी की फरारी के संबंध में सूचना प्रदान करना। फरारी की दशा में आरोपी के फोटोग्राफ एवं समस्त जानकारी प्रदेश के समस्त पुलिस अधीक्षकों को प्रेषित करना।	प्रथम दिन से ही
(20) आरोपियों की गिरफतार होने की स्थिति में आरोपी का मेडिकल परीक्षण करना, गिरफतारी से संबंधित सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करना। नाबालिक आरोपी की स्थिति में Juvenile Justice Act 2015 के प्रावधानों का पालन करते हुए कार्यवाही करना। बाल अपराधी (Child in canflict with law) होने पर SJPU और थाना के Child Welfare officer को	गिरफतार होने के 24 घण्टे के अन्दर

विवेचना टीम में जोड़ना।	
(21) पीडिता यदि नाबालिग है तो उसके स्कूल से भर्ती रजिस्टर अथवा अंकसूची अथवा अन्य दस्तावेज से प्राप्त साक्ष्य पर्याप्त नहीं है और मेडिकल परीक्षण आवश्यक है तो मेडिकल परीक्षण से आयु निर्धारित करवाना। मेडीकल परीक्षण में आयु निर्धारित करवाने वाले बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट/दन्त परीक्षण हेतु आवेदन देना।	01–07 दिन
(22) यदि प्रकरण में पीड़ित की आयु निर्धारण 1 सुसंगत तथ्य है, तो आयु संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करना (आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्कूल दस्तावेज आदि) स्कूल/राशन कार्ड दस्तावेजों के विषय में दस्तावेज में आयु लेख करने वाले के कथन लेना। संस्थागत डिलीवरी से जन्म होने पर अस्पताल आदि का रिकार्ड लेना।	01–07 दिन
(23) घटना से संबंधित सुसंगत जानकारी रखने वाले स्वतंत्र साक्षीयों के कथन लेख कराना– साक्षियों के फोटो एवं पहचान पत्र प्राप्त कर डायरी में लगाना, पटवारी नक्शा की आवश्यकता होने पर घटना स्थल का पटवारी नक्शा लेना।	01–10 दिन
(24) अन्य स्वतंत्र साक्षियों के कथन लेख कराना– सभी साक्षियों के फोटो, आधार नम्बर आदि प्राप्त कर डायरी में रखना।	01–10 दिन
(25) यदि आरोपी अज्ञात/पूर्व–परिचित नहीं है तो पीड़िता उसका हुलिया, कद–काठी, उम्र, धारित कपड़े एवं ऐसी अन्य जानकारी एकत्रित करना।	प्रथम दिन से ही कार्यवाही प्रारंभ की जावें।
(26) आरोपी के वायोमैट्रिक एवं मेडिकल पहचान स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना।	प्रथम दिन से ही कार्यवाही प्रारंभ की जावें।
(27) DNA परीक्षण की स्थिति में आवश्यक आर्टीकल की "चैन ऑफ कस्टडी" मेन्टेन रखना।	जप्ती के साथ ही

(28) घटित घटना में यदि मोबाइल फोन का प्रयोग हुआ है तो संबंधित नम्बरों की सी.डी.आर. तथा टॉवर लोकेशन हेतु पत्र तैयार कर भिजवाना। C.D.R. विश्लेषण करना।	01–10 दिन
(29) यदि घटना कहीं अन्यत्र ले जाकर घटित की गई है तो उस स्थान/शहर में जाकर घटना स्थलों/ स्थानों का निरीक्षण,उन स्थानों पर उपलब्ध साक्षियों के कथन लेना।	प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार प्रथम दिन से ही।
(30) होटल/लॉज आदि ठहरने के स्थानों का रिकॉर्ड प्राप्त करना एवम् आरोपी की तलाश करना । बस–ट्रेन यात्रा का रिकार्ड प्राप्त करना।	01–15 दिन
(31) घटना स्थल के आसपास शासकीय/निजी CCTV कैमरों की स्थापना की जानकारी लेना और इनके रिकार्डेड फुटेज का अध्ययन करना। सुसंगत फुटेज मिलने की दशा में विधिवत जप्ती करना।	01–07 दिन
(32) प्रथम/द्वितीय पर्यवेक्षक अधिकारी का पर्यवेक्षण, विवेचना की गति एवं गुणवत्ता की समीक्षा। दिनांक 24/08/2012 को पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी परवाने में निर्देशित है कि पर्यवेक्षण की कार्यवाही 07 दिवस में की जावे।	01–03 दिन के अन्दर
(33)यदि पीडिता घटित घटना पर से मानसिक तनाव के दौर से गुजर रही हो तो उसका परामर्श मनोचिकित्सक से कराकर उसे मानसिक तनाव से मुक्त कराने का प्रयास करना तथा पुनर्वास की आवश्यकता हो तो उपलब्ध करायें । बाल पीड़िता का कोई वारिस न होने पर उसे Child Care Institution या One Stop Crisis Centre भेजना।	01–07 दिन
(34) आरोपी की तलाश करना। न मिलने पर फरारी पंचनामा तैयार करना ।	प्रथम दिन से ही गिर. होने तक
(35) आरोपी गिरफतार होने पर उनकी जमानत आवेदन लगने पर, पुलिस का मत अभियोजन को सूचित	यथा समय

करना एवं अभियोजन अधिकारी के माध्यम से जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध करना।	
(36) आरोपी फरार होने की स्थिति में चल/अचल संपत्ति की जानकारी प्राप्त करना।	15 दिन के अंदर
(37) आरोपी के खिलाफ धारा 82 जाफौ की कार्यवाही हेतु वारंट जारी कराना।	30 दिन के अंदर
(38) धारा 82 जाफौ के तहत जारी वारंट की तामीली हेतु प्रयास करना।	30 दिन के अंदर
(39) घटना स्थल का पटवारी मानचित्र प्राप्त कर लेना।	01–10 दिन
(40) आरोपी की शिनाख्तगी की कार्यवाही करवाना।	गिर. होने के बाद 3 दिन में
(41) यदि आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है तो उसकी शिनाख्तगी परेड एवं अन्य कोई कार्यवाही शेष हो तो न्यायालय से अनुमति लेकर कार्यवाहियां संपादित कराना सुनिश्चित करें।	गिर. होने के बाद 3 दिन में
(42) आरोपी गिर0 नहीं होने की स्थिति में धारा 82, 83 जाफौ की कार्यवाही कराना। धारा 299 में फरारी की उद्घोषणा कराना एवं पुलिस अधीक्षक से ईनाम की उद्घोषणा कराना।	30 दिन में
(43) जप्त शुदा माल का ड्राफ्ट तैयार कराना, ड्राफ्ट मय माल के एफ.एस.एल. जॉच हेतु भिजवाना।	07–15 दिन
(44)यदि आरोपी का डी.एन.ए. परीक्षण कराया जाना है तो विधिवत माननीय न्यायालय से अनुमति लेना, नियत दिनांक को जेल से आरोपी का ब्लड सेंपल का नमूना डॉक्टर के माध्यम से लिया जाना, एफ.एस.एल. डॉक्टर से ड्राफ्ट तैयार कराना तथा ब्लड सेंपल परीक्षण हेतु मय ड्राफ्ट के एफ.एस. एल. भिजवाना ।प्रकरण से संबंधित एफ.एस.एल. /डी.एन.ए/शिनाख्तगी परेड की जानकारी प्राप्त करना सुनिश्चित करें।	गिरफ्तार होने के 2 दिन में

(45) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर भेजे गऐं पर्यवेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित निर्देशों के पालन में शेष अन्य कार्यवाही करना।	यथा समय-चालान /खात्मा/खारिजी से पर्याप्त समय पूर्व
(46) प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कराना, थाना प्रभारी स्वंय विवेचक न होने पर थाना प्रभारी द्वारा विवेचना का परीक्षण/सत्यापन करना,आरोप पत्र पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर कराना।	शीघ्र से शीघ्र किन्तु 60 दिवस के अन्दर
(47)संबंधित ए.डी.पी.ओ. से डायरी का अवलोकन कराकर यदि उनकी कोई सलाह है तो इसकी पूर्ति कर ए.डी.पी.ओ. से आरोप पत्र अग्रेषित कराना यदि विधि सलाहकार उपलब्ध है तो प्रत्येक सप्ताह विधि के सलाहकार से विवेचना की प्रगति पर चर्चा कर सलाह लेना।	प्रतिदिन/प्रतिसप्ताह, प्रकरण की आवश्यकतानुसार
(48) आरोप पत्र की छाया प्रतियॉ कराकर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश करना।	
(49) पीड़ित प्रतिकर योजना/मध्यप्रदेश 2015 में महिला बाल विकास एवं जिला विधिक प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर राहत राशि पीड़िता को दिलवाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करना। अ.जा. /ज.जा. अधिनियम की धारायें लगी होने पर तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत पीड़ित/परिवार को राहत दिलवाना और अ.जा. ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम एवं नियम में अपेक्षित अन्य कार्यवाही करना।	यथा समय
(50) यदि किसी प्रकरण विशेष में माननीय ज्यायालय /आयोग द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश दिये गये हैं, तो उनका विधि अनुसार एवं दी गई समय-सीमा में पालन करना।	यथा समय
(51) यदि I.T. Act की धारा 65 A/ 65 B का प्रमाण पत्र संलग्न	यथा समय/चालान पूर्व

करना है तो प्रमाण पत्र प्राप्त कर केस डायरी में संलग्न करें।	
(50) FSL से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट चालान प्रपत्र एवं केस डायरी में संलग्न करना।	यथा समय
(53) बाल पीड़िता होने पर विशेषलोक अभियोजन को स्मरण दिलाना कि प्रकरण में बाल पीड़िता सम्बधित J.J. Act 2015 और Pocso Act 2012 के प्रावधानों का Trial के दौरान न्यायालय में पालन कराया जावें।	
(54) प्रकरण कायमी से लेकर ट्रायल पूर्व होने तक आवश्यक मॉनीटरिंग एवं पैरवी हेतु आवश्यक कार्यवाही करना/कराना।	चालान पेश करने से ट्रायल पूर्ण होने तक

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश
महिला अपराध शाखा
(CRIME AGAINST WOMEN)

पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल – 462 008
POLICE HEAD QUARTERS, JEHANGIRABAD, BHOPAL - 462 008
दूरभाष : 0755–2443568 (कार्यालय) / फैक्स 2440107

Most Urgent

क्रमांक / Flie no 152 /अति.नि. / महिला अपराध / नि.स. / 152–A / 2018 दि 23/07/2018

प्रति,

(1) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इंदौर, भोपाल।

(2) समस्त पुलिस अधीक्षक
मध्यप्रदेश।

(3) समस्त रेल पुलिस अधीक्षक
मध्यप्रदेश।

विषयः– बालिकाओं के यौन उत्पीड़न मामलों में त्वरित कार्यवाही–चिन्हित अपराध।

संदर्भः– पुलिस मुख्यालय महिला अपराध शाखा का परिपत्र क्रमांक / Flie no 152 /परिपत्र / अ.म.नि. / महिला अपराध / 152(2016) / 2016 दिनांक 04 / 01 / 2017

कृपया उपरोक्त परिपत्र का अवलोकन करें। **(प्रतिलिपि पुनः सलंग्न है)**। परिपत्र के **बिन्दु क्रमांक–03** में निर्देश दिये गये है कि नाबालिक के साथ बलात्कार के समस्त प्रकरण चिहिन्त अपराधों की सूची में लिये जाकर उनकी गहन समीक्षा की जावें। वर्ष में अवस्यक बालिकाओं के साथ बलात्कार के लगभग 2000 प्रकरण पंजीबद्ध होते हैं। स्पष्ट है कि इतने प्रकरण **"चिन्हित"** नहीं किये गये हैं। प्रकरणों की संख्या को देखते हुये अब यह निर्णय लिया गया है कि 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ बलात्कार के सभी प्रकरणों को **"चिहिन्त" अपराध** की श्रेणी में शामिल किया जाकर इनकी दैनिक आधार पर विवेचना की प्रगति की समीक्षा की जावें।

(2) 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के साथ बलात्कार के सभी प्रकरणों में सम्बंधित थाना / महिला थाना / महिला प्रकोष्ठ से **"पैरवी अधिकारी"** नियुक्ति किया जावें। उक्त पैरवी अधिकारी विशेष लोक अभियोजक से लगातार सम्पर्क / समन्वय कर त्वरित ट्रायल में मदद करेंगें और संमंस तामीली पर विशेष ध्यान रखेगें।

(3) न्यायालय से सजा उपरांत अभियुक्त द्वारा अपील की स्थिति में अग्रिम कार्यवाही के समन्वय की जिम्मेदारी उप पुलिस अधीक्षक महिला सेल की होगी। उक्त पद रिक्त रहने की स्थिति में यह दायित्व थाना के प्रथम पर्यवेक्षक (अनु.अधि.पुलिस / नगर पुलिस अधीक्षक / उप पुलिस अधीक्षक) का होगा। आरोपी बरी होने की स्थिति में न्यायालय निर्णय की प्रति प्राप्त कर यह अधिकारी अपनी टीप के साथ 07 दिवस में प्रकरण जिला पुलिस अधीक्षक एवं जोनल उप पुलिस महानिरीक्षक(महिला अपराध) को उपलब्ध करावेगें।

(4) बरी प्रकरणों में विवेचना की त्रुटि पाये जाने पर शासन के आदेश क्र एफ–21 / 16 / 2014 / दो / बी–01 दिनांक 31 / 12 / 2014 के द्वारा गठित समिति के समक्ष **30 दिवस** के अन्दर प्रस्तुत किये जावेंगे और प्राथमिक जांच पूर्ण की जाकर आरोप–पत्र जारी करने हेतु प्रकरण सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाने की जिम्मेदारी जिला पुलिस अधीक्षक की होगी।

(पुलिस महानिदेशक म.प्र. द्वारा आदेशित)

(अन्वेष मंगलम)
अति0पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः–

01. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
02. उप पुलिस महानिरीक्षक(महिला अपराध) इंदौर, भोपाल, ग्वालियर जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
03. स.म.नि.(महिला अपराध) पुलिस मुख्यालय भोपाल प्रथम एवं द्वितीय ।
04. उपसंचालक अभियोजन (महिला अपराध) पुलिस मुख्यालय भोपाल।

अति0पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

Most Urgent

कार्यालय अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)

(CRIME AGAINST WOMEN)

पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल – 462 008

POLICE HEAD QUARTERS, JEHANGIRAGAD, BHOPAL - 462 008

दूरभाष : 0755–2443568 (कार्यालय) / फैक्स 0755–2440107

क्रमांक / File No 152 / परिपत्र / अ.म.नि. / महिलाअपराध / 152 (2016) / 2016 दिनांक 05.

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश

विषयः– बालकों एवं महिलाओं के यौन उत्पीडन / अपराधों के संबंध में त्वरित कार्यवाही किये जाने विषयक ।

कृपया बालकों एवं महिलाओं के यौन उत्पीडन / अपराधों के संबंध में दि0 30–09–2016 को अपर मुख्य सचिव गृह के कक्ष में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया । बैठक के कार्यवाही विवरण बिन्दुओं का उद्वहरण निम्नानुसार है।

बिंदु कमांक (1) पी.ओ.एस.ओ. एक्ट (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) 2012 के तहत दर्ज प्रकरण / प्रस्तुत चालान / दोष सिद्वी का पत्रक प्रत्येक माह अपर मुख्य सचिव, गृह एवं प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय को उपलब्ध कराया जाए ।

बिंदु कमांक (2) पी.ओ.एस.ओ. एक्ट (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) 2012 के तहत दर्ज शिकायतों पर आवश्यक रूप से बिना विलम्ब प्रथम सूचना दर्ज की जावे ।

बिंदु कमांक (3) नाबालिग के साथ बलात्कार के समस्त प्रकरण चिन्हित अपराधों की सूची में लिये जाकर उनकी गहन समीक्षा की जावे ।

वर्णित बिन्दुओं का कडाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त थानाप्रभारियों को निर्देशित किया जावे । **बिन्दु कमांक 01** के संबंध में पी.ओ.एस.ओ. एक्ट (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) 2012 के तहत दर्ज प्रकरण / प्रस्तुत चालान / दोष सिद्वी का पत्रक **प्रत्येक माह अपर मुख्य सचिव, गृह एवं प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल** को भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे ।

04/11/17

(अरूणा मोहन राव)
अति.पुलिस महानिदेशक(महिला-अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः–

01– पुलिस महानिरीक्षक(समन्वय) अअवि पु.मु. भोपाल को उनके पत्र कमांक / पुमु / अअवि / जएबी / फा.न63 / 16 / डी–442 / भोपाल दिनांक 04–11–2016 के संदर्भ में सूचनार्थ

04/11/17

अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

कार्यालय अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
(CRIME AGAINST WOMEN)
POLICE HEAD QUARTERS, JEHANGIRAGAD, BHOPAL - 462 008
Tel: 0755–2443568 (office) / Fax 0755–2550367
email- MPCAW@mppolice.gov.in

कमांक / पुमु / म0अप0 / W–2 / 30 / 18 / 4909 /2018 भोपाल, दिनांकः– 7 / 09 / 18

प्रति,

उप पुलिस महानिरीक्षक (शहर रेंज), भोपाल एवं इन्दौर
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
पुलिस अधीक्षक, रेल
मध्य प्रदेश

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा MCRC No. 10517 / 18 रामसिंह के विरूद्ध म.प्र. शासन द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.18 के क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भः– म.प्र. शासन, गृह विभाग का पत्र कं 4260 / 5036 / 2018 / बी–1 / दो दिनांक– 02.08.18

———00———

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा MCRC No. 10517 / 18 रामसिंह विरूद्ध म.प्र. के समस्त अधिकृत चिकित्सकों को पीड़िता, आरोपी एवं घायल व्यक्तियों की एम.एल.सी. हस्तलिखित के स्थान पर टंकित **(Typed Form)** एम.एल.सी. तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया।

अतः न्यायालय के निर्देशानुसार अधिकृत चिकित्सकों से पीडिता, आरोपी एवं घायल व्यक्ति की एम.एल.सी. हस्तलिखित के स्थान पर टंकित **(Typed Form)** में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

कमांक / पुमु / म0अप0 / W-2 / 30 / 18 / 4909 /2018 भोपाल, दिनांक– 07 / 09 / 2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय, भोपाल की ओर पत्र कं / अअवि / विधि / 1 / डब्ल्यु.पी. / 95 / 18 / 1067 / 18 दिनांक 02.08.18 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अ.जा.क. / रेल)
3. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, म.प्र.।
4. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, म.प्र।
5. उपखण्ड डब्ल्यु–1 रिकार्ड संधारण हेतु।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

कार्यालय अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
(CRIME AGAINST WOMEN)
POLICE HEAD QUARTERS, JEHANGIRAGAD, BHOPAL - 462 008
Tel: 0755–2443568 (office) / Fax 0755–2550367
email- MPCAW@mppolice.gov.in

क्रमांक / पुमु / म0अप0 / W–2 / 35 / 18 / ५९१० /2018 दिनांकः– 07 / 09 / 18

प्रति,

उप पुलिस महानिरीक्षक(शहर रेंज) भोपाल,इन्दौर
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक,
एवं पुलिस अधीक्षक रेल,
मध्य प्रदेश

विषयः– **Collection, Storage and Transportation of Crime Scene Biological Samples एवं Forensic Medical Examination in Sexual Assault Cases** के संबंध में।

संदर्भः– भारत सरकार, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव का D.O. NO. 25020/46/2018-PM-III(WS) DATED-25/07/18.

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके अंतर्गत संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा फोरेंसिक विज्ञान के प्रबंध विभाग द्वारा जून, 2018 में जारी **(i)Collection, Storage and Transportation of Crime Scene Biological Samples** and **(ii) Forensic Medical Examination in Sexual Assault Cases** के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का लेख किया गया है।

उक्त दिशानिर्देश आपको E-mail के माध्यम से प्रेषित किये जा रहे है तथा संदर्भित विषयवस्तु Central Forensic Science Laboratory, Chandigarh की **website-www.cfslchandigarh.gov.in** पर उपलब्ध है।

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

कमांक / पुमु / म0अप0 / W–2 / 35 / 18 / ५९१० /2018 दिनांक– 07 / 09 / 2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अ.अ.वि / रेल / अ.जा.क. / तकनीकी सेवायें)।
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, म0प्र0।
3. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक (महिला अपराध)।
4. उपखण्ड डब्ल्यु–1 रिकार्ड हेतु।

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

कार्यालय अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
(CRIME AGAINST WOMEN)
POLICE HEAD QUARTERS, JEHANGIRAGAD, BHOPAL - 462 008
Tel: 0755–2443568 (office)/Fax 0755–2550367
email- MPCAW@mppolice.gov.in

क्रमांक/पुमु/म0अप0/W–2/25/18/4911 /2018 दिनांकः– 7/9/18

प्रति,

उप पुलिस महानिरीक्षक (शहर रेंज) भोपाल,इन्दौर
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक,
एवं पुलिस अधीक्षक रेल,
मध्य प्रदेश

विषयः– स्वाधार गृह में रखी जाने वाली महिलाओं की उम्र के संबंध में।

संदर्भः– सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र कं/DO. No. SW-57/5/2018-Swadhar, Dated 22.06.18 एवं गृह विभाग के पत्र कं. 3975/4612/2018/बी–1/दो भोपाल दिनांक 16.07.18

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत लेख है कि केन्द्र के सहयोग से राज्य में स्वाधार योजना संचालित की जा रही है एवं स्वाधार गृह कि गाइडलाइन के तहत् उक्त योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक उम्र की किसी भी महिला के द्वारा लिया जा सकता है। किन्तु यह दृष्टिगोचर हो रहा है कि स्वाधार गृह में महिलाओं को दाखिल करते समय सही उम्र अंकित नहीं जा रही है। एक बार त्रुटिपूर्ण उम्र अंकित करने के उपरान्त न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती तथा जिसका पीड़िता के प्रकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अतः आप जिले में महिलाओं को स्वाधार गृह में दाखिल कराने से पूर्व आयु सत्यापित कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

7/9

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

क्रमांक/पुमु/म0अप0/W–2/25/18 /2018 दिनांक– /09/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (अ.अ.वि./अ.जा.क./रेल)
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, म.प्र.।
3. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, म.प्र।
4. उपखण्ड डब्ल्यु–1 रिकार्ड संधारण हेतु।

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग) म0प्र0 भोपाल

कमांक / अअवि / विधि / 1 / एसएलपी / 53 / 18 / 1462 / 18 दिनांक 11 10 2018

परिपत्र

प्रति,

उप पुलिस महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
भोपाल / इन्दौर
समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्य प्रदेश
समस्त रेल पुलिस अधीक्षक, मध्य प्रदेश

विषय :- माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा आपराधिक अपील कमांक 1375–1376 / 2013 एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य विरूद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मे पारित निर्देश के कियान्वयन के संबध में।

संदर्भ :- माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनाक 28.03.2018

--000--

कृपया विषयांकित सदर्भित आदेश के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम / व्यवहारवाद / अपराधिक प्रकृति के एसे मामलो मे जिनमे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन (stay) प्रदान किया गया है और स्थगन को 06 माह से अधिक व्यतीत हो गय है तब उन मामलो को छोडकर जिनमे माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन को स्पष्ट स्पीकिंग आर्डर किया है शेष मामलो मे स्थगन 06 माह पश्चात स्वय ही स्थगित (Lapse) हो जावगा। माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश के माध्यम से निर्देश दिये है–

In all pending matters before the High Courts or other courts relating to PC Act or all other civil or criminal cases, where stay of proceedings in a pending trial is operating, stay will automatically lapse after six months from today unless extended by a speaking order on above parameters.

अत आपके जिले मे लबित मामलों के संबध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देशो के कियान्वयन मे कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

नोट:– संदर्भित आदेश की पूर्ण प्रति माननीय उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(डी.श्रीनिवास वर्मा)
पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन)
हेतु–अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
अ.अ.वि.पु.मु.भोपाल

क्रमांक / अअवि / विधि / 1 / एसएलपी / 53 / 18 / 1462 / 18 दिनांक 11 10.2018

प्रतिलिपि – कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश।
2– समस्त जोन पुलिस महानिरीक्षक मध्य प्रदेश
3– समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक मध्य प्रदेश ।
4– समस्त जोनल कार्यालय अ.अ.वि.।

(डी.श्रीनिवास वर्मा)
पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन)
हेतु–अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
अ.अ.वि.पु.मु.भोपाल

क्रमांक / पुमु / म0अप0 / W–2 / 54 / 18 6046 /2018 दिनांक– 13 / 11 / 2018

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक (महिला अपराध)।
2 उपखण्ड डब्ल्यु–1 रिकार्ड संधारण हेतु।

13/11
हेतु– अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

Urgent/E-mail

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश
महिला अपराध शाखा
Tel- 0755–2443568 (office)/Fax 0755–2550367
E-mail- mpcaw@mppolice.gov.in

कमांक/पुमु/म0अप0/ W-2/52/18 5934/2018 भोपाल, दिनांकः–06/11/18

प्रति,

उप पुलिस महानिरीक्षक(शहर रेंज) भोपाल,इन्दौर
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक,
समस्त रेल पुलिस अधीक्षक,
मध्य प्रदेश

विषयः– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 498–ए भा.द.वि. के प्रकरणों में अनुसंधान एवं गिरफ्तारी के संबंध में पारित दिशा–निर्देश विषयक।

संदर्भः– माननीय उच्चतम न्यायालय का पत्र क्रं– D.No. 40984/2014/Sec Date- 25/09/18 एवं WP (civil) No. 73/15 सोशल एक्शन फोरम एवं अन्य विरूद्ध भारत सरकार में निर्णय दिनांक 14/09/18

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संलग्न संदर्भित पत्र एवं न्यायिक निर्णय का अवलोकन करें । माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा याचिका क्रं 73/15 सोशल एक्शन फोरम एवं अन्य विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णयानुसार जोगिन्दर कुमार, डी.के.बसु, ललिता कुमारी एवं अर्नेश कुमार प्रकरणों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार धारा 498–A भा.द.वि. के प्रकरणों में अनुसंधानकर्ता/विवेचना अधिकारियों को अधिक सतर्कतापूर्वक अनुसंधान करने एवं गिरफ्तारी से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का पालन करते हुए विधिवत् गिरफ्तारी करनें हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही इकाई स्तर पर विवेचकों एवं पर्यवेक्षकों को तत्संबंधी सघन प्रशिक्षण प्रदान किया जावें। उक्त निर्देश सभी विवेचकों एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों के ज्ञान में लाये जावे तथा विवेचना/पर्यवेक्षण के दौरान पालन किया जाना/कराया जाना सुनिश्चित किया जावे। निर्णय की प्रति ई–मेल से भेजी जा रही है।

संलग्न– माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देश।

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

कमांक/पुमु/म0अप0/W-2/45/18 5934/2018 दिनांक– 06/11/2018

प्रतिलिपि :– 1. विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) की ओर पुलिस प्रशिक्षण शालाओं में तदाशय प्रशिक्षण प्रदान करने एवं निर्देश जारी करने हेतु।

2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अ.अ.वि.) की ओर उनके पत्र क्रं. अ.अ.वि. विधि/1/एसएसलपी/42/17/1482/18 दिनांक 12.10.18 के तारतम्य में।
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (रेल/अ.जा.क.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (रा0अ0अ0ब्यूरो) पु0मु0 की ओर परिपत्र की प्रति म0प्र0 पुलिस की website पर upload कराने हेतु
5. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. समस्त पुलिस महानिरीक्षक (महिला अपराध) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. डी0डी0पी0/ स0म0नि0 (I)/स0म0नि0 (II)/उ0पु0अ0 1090/समस्त उपखण्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांकः पुमु/शिका/अमनि/6173-A/2018 भोपाल, दिनांकः 19.11.18

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक(रेल सहित)
मध्यप्रदेश।

विषयः ट्रांस्जेण्डर/थर्ड जेण्डर(हिजड़ा) के मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बरतने के संबंध में।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा ट्रांस्जेण्डर/थर्ड जेण्डर(हिजड़ा) के मानव अधिकारों के संबंध में इनके प्रति संवेदनशीलता बढाने के लिये केरल विकास समिति, नई दिल्ली के अध्यक्ष श्री जेकब जॉन द्वारा की गई रिसर्च में निम्नानुसार बहुत गंभीर किस्म के तथ्य सामने आये हैं –

1. सामान्यतः ट्रांस्जेण्डर/थर्ड जेण्डर(हिजडा) की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वे अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत् हैं। बहुत ही कम व्यक्तियों के पास अपना आवास है और उन्हें किराये का मकान लेने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पडता है।

2. ट्रांस्जेण्डर/थर्ड जेण्डर(हिजडा) की लगभग 50 प्रतिशत आबादी के पास बैंक खाते हैं परंतु बचत काफी कम है और उनके रहन–सहन की स्थिति बहुत ही दयनीय है।

3. वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ट्रांस्जेण्डर/थर्ड जेण्डर(हिजड़ा) को अन्य केटेगरी में रखा गया है और ट्रांस्जेण्डर/थर्ड जेण्डर(हिजड़ा) के लिये UIDAI द्वारा आधार कार्ड में **'T'** अक्षर से इनकी पहचान की व्यवस्था रखी गई है।

4. पासपोर्ट एवं चुनाव आयोग द्वारा इन्हें अन्य केटेगरी में रखा गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन क्रमांक 604/13 में घोषित निर्णयानुसार यूजीसी द्वारा ट्रांस्जेण्डर/थर्ड जेण्डर(हिजड़ा) विधार्थियों के लिये थर्ड जेण्डर में रखे जाने का प्रावधान किया गया है।

5. अधिकांश सदस्यों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि के सामान्य मानव अधिकारों के संबंध में भेदभाव की शिकायत की गई है। कई स्थानों पर प्रताडित और भेदभाव किये जाने की शिकायत भी आती है।

6. रिसर्च में यह भी लेख किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2014 के नालसा के निर्णय में इनके मानव अधिकारों के योग्य कर्ता सिद्धांत का विस्तार से विश्लेषण किया गया है एवं सभी पक्षों के द्वारा रखे गये बिदुंओं के आधार पर निर्णय दिया गया है तथा निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैं।

a) ट्रांस्जेण्डर/थर्ड जेण्डर(हिजड़ा) को थर्ड जेण्डर के रूप में मान्य किया जाये।

b) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ट्रांस्जेण्डर/थर्ड जेण्डर(हिजड़ा) व्यक्तियों को अपने संबंध में मेल–फीमेल व थर्ड जेण्डर के रूप में पहचान होने के अधिकार देने के संबंध में कानून बनाने के निर्देश केन्द्र व राज्य सरकारों को दिये गये हैं।

c) केन्द्र व राज्य सरकारों को इनके संबंध में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछडे वर्ग में मान्य किये जाने के निर्देश किये गये है और इसी आधार पर शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में भी इस वर्ग के लिये अन्य पिछडा वर्ग के लिये लागू आरक्षण की समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

d) केन्द्र व राज्य सरकारों को इस वर्ग के व्यक्तियों द्वारा दैनंदिनी कार्य के तरह समाज में झेल रहे सामाजिक दबाव, सामाजिक बुराई आदि को दूर करने के संबंध में शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

e) केन्द्र व राज्य सरकारों को इनके संबंध में भिन्न–भिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू करने हेतु सुझाव दिये हैं और साथ ही साथ समाज मे इन लोगों में जागरूकता लाने हेतु प्रचार–प्रसार की भी आवश्यकता है ताकि इस वर्ग के लोगों को समाज अपना अभिन्न अंग मानने लगे और उनको अछूत व हसी के पात्र के रूप में न देखा जाये।

उपरोक्त निर्णय एवं की गई रिसर्च के आधार पर थानों/पुलिस कार्यालयों में ट्रांस्जेण्डर/थर्ड जेण्डर(हिजड़ा) व्यक्तियों के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

1. ट्रांस्जेण्डर/थर्ड जेण्डर(हिजड़ा) द्वारा थानों पर शिकायत लेकर आने पर उनके साथ सम्मान–जनक बरताव किया जाये।
2. थानों में उपलब्ध दिवस अधिकारी/प्रधान आरक्षक मोहर्रिर द्वारा थाने में रिपोर्ट करने आने पर उनकी समस्याओं को जानने हेतु उनसे संवेदनशीलता से बात–चीत की जाये।
3. यदि इनकी रिपोर्ट संज्ञेय अपराध की श्रेणी की है तो एफआईआर दर्ज की जावे। यदि इनकी शिकायत सामान्य भेदभाव/प्रताड़ना से संबंधित है तो उनसे बात–चीत कर दूसरे पक्ष को उचित समझाईस दिये जाने की कार्यवाही की जाये। आवश्यकता पडने पर प्रतिबंद्धात्मक कार्यवाही भी की जाये।
4. थाना क्षेत्र में यदि इस श्रेणी के लोग निवासरत् हैं तो समय–समय पर उन क्षेत्रों में भ्रमण कर उनके साथ परिचर्चा की जाये तथा उनकी पुलिस से संबंधित समस्याओ की जानकारी प्राप्त कर निराकरण किया जाये।

sd/-
(विजय कुमार सिंह)
पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश

कमांकः पुमु/शिका./अमनि/ 6173-A /2018 भोपाल, दिनांकः 19/11/18

प्रतिलिपिः सूचनार्थ।

1. समस्त विशेष पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश।
2. समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।
4. निज सचिव, पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश।
5. प्रभारी, एससीआरबी/सीसीटीएनएस, पुमु भोपाल की ओर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

19/11/18

पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश

क्रं0/पु0मु0/अति.म.नि/म0अप0/76/18 /6488/2018, भोपाल दिनांक– /12/18

प्रतिलिपिः– 1. समस्त पुलिस महानिरीक्षक (महिला अपराध), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
2. उपखण्ड डब्ल्यू–1 की ओर गार्ड फाइल में संधारण हेतु।

7/12/18

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश
महिला अपराध शाखा
Tel: 0755–2443568 (office) / Fax 0755–2550367
E-mail- mpcaw@mppolice.gov.in

कमांक / पुमु / म0अप0 / W– 2 / 74 / 18 / 6540 2018 भोपाल, दिनांकः– 12 / 12 / 18

प्रति,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोपाल,इन्दौर
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
एवं पुलिस अधीक्षक, रेल
मध्य प्रदेश

विषयः– एसिड अटैक / बलात्कार / लैंगिक शोषण की पीड़िता के मेडिकल परीक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन किये जाने विषयक।

संदर्भः– राष्ट्रीय मानवाधिकार का D.O. NO. 1605/4/25/2017/FC Dated- 16.10-18

——00——

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा विधिक स्थिति स्पष्ट करते हुए लेख किया गया है कि–

(1) न्यायालय का आदेश लाने के लिए कहते हुए बलात्कार की पीड़िता का मेडिकल परीक्षण नहीं करना धारा 164 (ए) दं.प्र.सं. का उल्लंघन हैं। धारा 164 (ए) दं.प्र.सं. में स्पष्ट प्रावधान है कि पंजीकृत चिकित्सक जिसके पास पीड़ित महिला परीक्षण के लिये ले जायी जावेगी, बिना देरी किये उसकी मेडिकल जाँच करेगा और परीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा।

(2) इसी प्रकार 357(सी) दं.प्र.सं. के अंतर्गत समस्त शासकीय / अशासकीय अस्पतालों को एसिड अटैक / बलात्कार / लैंगिक शोषण की पीड़िता को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा एवं मेडिकल उपचार उपलब्ध कराने के स्पष्ट आदेश हैं। इसका उल्लंघन करने पर 166(बी) भा.द.वि. के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान हैं।

अतः आप अपने जिले के समस्त पर्यवेक्षणकर्ता / अनुसंधानकर्ता अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उक्त वैधानिक प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न– राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) का अर्द्धशासकीय पत्र की प्रतिलिपि।

14/12

अति. पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

कमांक / पुमु / म0अप0 / W–2 / 74 / 18 / /2018 दिनांक– / 12 / 2018

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अ0अ0वि0 / रेल / अ.जा.क.) ।
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, म0प्र0 ।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक (महिला अपराध), म0प्र0।
4. डीडीपी / समनि(I) / समनि(II)।
5. उपखण्ड डब्ल्यू–1 की ओर गार्ड फाइल में संधारण हेतु।

14/12

अति. पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/पुमु/अति.म.नि./महिलाअपराध/नि.स./परिपत्र/ 08 /2019 दि. 7/1/2019

प्रति,

(1) **उप पुलिस महानिरीक्षक(शहर)**
रेंज भोपाल एवं इन्दौर म.प्र.।

(2) **समस्त पुलिस अधीक्षक,**
मध्यप्रदेश।

(3) **रेल पुलिस अधीक्षक,**
जबलपुर, भोपाल, इंदौर।
मध्यप्रदेश।

विषय :– लैंगिक अपराधों से बालको संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 19(6) का पालन करने के संबंध में।

अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार आयोग द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि जिलों में थानों/विशेष किशोर पुलिस यूनिट द्वारा उपरोक्त संदर्भित अधिनियम की धारा 19(6) का पालन नहीं किया जा रहा है। लैंगिक अपराधों से बालको संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 19(6) निम्नानुसार हैः–

"विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस अनावश्यक विलंब के बिना परन्तु चौबीस घंटे की अवधि के भीतर मामले को बालक कल्याण समिति और विशेष न्यायालय या जहां कोई विशेष न्यायालय पदाभिहित नहीं किया गया है वहां सेशन न्यायालय को रिपोर्ट करेगी, जिसके अंतर्गत बालक की देखभाल और संरक्षण के लिये आवश्यकता और इस संबंध में किये गये उपाय भी हैं।"

कृपया उपरोक्त प्रावधानों का सम्यक पालन कराना सुनिश्चित करें।

7.1.19

(अन्वेष मंगलम)
अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः–

(1) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अजाक) (रेल) पु.मु भोपाल की ओर सूचनार्थ।
(2) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक मध्यप्रदेश।
(3) समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक(महिला अपराध) मध्यप्रदेश।
(4) समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक मध्यप्रदेश।
(5) प्रभारी डब्ल्यू–01 रिकार्ड संधारण हेतु।

अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/पुमु/अति.म.नि./म.अप./W-2/53/18/541 /2019 दि. 30/01/2019

परिपत्र

प्रति,

(1) उप पुलिस महानिरीक्षक(शहर)
रेंज भोपाल एवं इन्दौर म.प्र.।

(2) समस्त पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश।

(3) रेल पुलिस अधीक्षक,
जबलपुर, भोपाल, इंदौर।
मध्यप्रदेश।

विषय :– पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों में पीड़ित/पीड़िता की आयु निर्धारण संबंधी साक्ष्य संकलन विषयक।

न्यायिक निर्णयों के अध्ययन से यह प्रगट हो रहा है कि पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत पंजीबद्व कुछ अपराधों के अनुसंधान के दौरान पीड़ित/पीड़िता के 18 बर्ष से कम आयु के होने के संबंध में अपर्याप्त एवं विरोधाभाषी साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप संदेह का लाभ अभियुक्त पक्ष को प्राप्त हो रहा है।

(1) पीड़ित/पीड़िता की आयु निर्धारण संबंधी किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94 का अध्ययन करें इसके अनुसारः–

(i) पीड़ित/पीड़िता के विद्यालय से जन्म तारीख प्रमाण पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड के मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण जिसमें जन्म दिनांक अंकित हो तथा पीड़ित/पीड़िता के विद्यालय में प्रवेश के संबंध में स्कॉलर रजिस्टर, एडमिशन फार्म की सत्यापित प्रति प्राप्त की जाये। इसके अभाव मेंः–

(ii) पीड़ित/पीड़िता के जन्म के संबंध में निगम या नगरपालिका/ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया जन्म–प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावें।

(iii) उपरोक्त के अभाव में आयु निर्धारण हेतु चिकित्सकीय Bone Ossification Test, Development of Dentition Secondary Sexual Character के आधार पर चिकित्सकीय परीक्षण कराया जावें।**(मूल अधिनियम का संबंधित उद्धताशं संलग्न है।)**

किशोर न्याय अधिनियम 2015 बच्चों के कल्याण के लिये बनाया गया कानून है। इस अधिनियम की धारा 94 में आयु की उपधारणा और अवधारणा के संबंध में विहित किया गया है कि अवयस्क बालक की आयु के संबंध में जब किसी बालक को "बोर्ड" या "समिति" के समक्ष लाया जाता है तब सर्वप्रथम "बोर्ड" या "समिति" धारा 94(1) किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बालक की आयु के संबंध में स्पष्ट अभिमत देगा। यदि "बोर्ड" या "समिति" बालक की आयु के संबंध में स्पष्ट राय कायम करने मे सक्षम नही है, तब "बोर्ड" या "समिति" धारा 94 (2) किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बालक की आयु के निर्धारण के संबंध में उक्त बालक के विद्यालय से प्राप्त जन्मतिथी प्रमाण पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मेट्रिकुलेशन या सक्षम प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध है तो प्राप्त करेगा। उक्त के अभाव में निगम या नगरपालिका या पंचायत का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा, और यदि उक्त बताए

गए दस्तावेजों का अभाव है तब बालक की अस्थि जॉच या अन्य कोई नवीनतम चिकित्सीय जॉच कराकर उसकी आयु का निर्धारण कराया जाएगा। अतः यह स्पष्ट है कि उक्त प्रावधान अनुसार अवयस्क की जन्मतिथी के संबंध में विद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा मेट्रिकुलेशन या समकक्ष कक्षा का बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र को प्रथम वरीयता दी गई है, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत 2007 में बनाए गए नियम अनुसार नियम 12(3) के अनुरूप ही अभियोक्त्री/ पीड़ित की आयु का निर्धारण किया जाएगा। इन्ही तथ्यों का उल्लेख **मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (क्रिमिनल अपील क0 1209/10) में दि0 01.07.13 को पारित निर्णय में उक्त तथ्यों को अभिनिर्धारित किया गया है कि पीड़िता की आयु का निर्धारण भी किशोर न्याय अधिनियम 2007 के नियम 12 के उपबंधों अनुसार किया जाएगा, नियम 12 में किशोर की उम्र के निर्धारण के लिए क्रमबार 4 प्रकार की साक्ष्य के उपबंध हैं।**

उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह अभिनिर्धारित है कि अपचारी बालक/किशोर की उम्र निर्धारण के लिए जो विधिक उपबंध लागू होते हैं वही पीड़ित की उम्र के निर्धारण के लिए मान्य हैं। अतः इसमें दी गई व्यवस्था ही आयु निर्धारण के विषय में मान्य विधि है। इसके अलावा किसी अन्य दस्तावेज में बालक की किसी अन्य उद्देश्य से कोई अन्य आयु/जन्मतिथि दी गई है, तो वह आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण नहीं है और उसको वरीयता नहीं दी जानी चाहियें।

(2) कई न्यायिक निर्णयों में अध्ययन से प्रगट हो रहा है कि **(i)** बचाव पक्ष के द्वारा पीड़ित बालक/बालिका की मतदाता कार्ड/आधार कार्ड/समग्र कार्ड/प्राथमिक पाठशाला के रिकार्ड/राशन कार्ड आदि दस्तावेजों में लिखित आयु जो मैट्रिक (कक्षा 10) में प्रमाण पत्र की आयु से भिन्न होती है, को आधार बनाकर पीड़ित बालक/बालिका को घटना समय वयस्क बताने का प्रयास किया जाता है। विवेचक का यह दायित्व है कि वह अभियोजक को सवेंदनशील करें कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 94 के प्रावधान ही ''अन्तिम'' है और अभियोजकों को न्यायालय में ट्रायल के दौरान ''बचाव'' पक्ष के ऐसे प्रयासों पर **''आपत्ति''** दर्ज कराना चाहिये।

(ii) इसी प्रकार बचाव पक्ष के द्वारा बच्चे के माता–पिता की आयु, माता–पिता की शादी के समय आयु, शादी को हुई कुल अवधि, उनके बच्चों के जन्म या बच्चों के मध्य आयु में अन्तर को आधार बनाकर पीड़ित को ऐन केन प्रकरण घटना समय **''वयस्क''** बताने का प्रयास किया जाता है। कई प्रकरणों में यह ''सुझाव'' दिया जाता है कि शादी के समय माता की आयु 18 वर्ष रही होगी और पहला बच्चा 02 वर्ष बाद और दूसरा उसके 02 वर्ष बाद हुआ होगा आदि–आदि। ऐसे **''सुझावों''** पर भी ट्रायल के दौरान अभियोजक द्वारा **''आपत्ति''** लगाई जाना चाहिये। बच्चों के बीच आयु का अन्तर या मॉ–बाप की आयु या शादी के समय आयु का वैधानिक रूप से साक्ष्य में महत्व नहीं है।

(iii) कुछ प्रकरणों में यह देखने में आया है कि बचाव पक्ष बच्चे के माता–पिता से या स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रतिपरीक्षण के दौरान यह पूछता है कि जब एइली बार बच्चा स्कूल में भर्ती कराया था तो उम्र याददाश्त के आधार पर लिखाई थी या जन्म सबंधी कोई दस्तावेज भी दिया था या माता–पिता ने बताई थी या अध्यापक ने स्वयं ही अपनी समझ से

लिख ली थी? आदि। अभियोजक को ट्रायल के दौरान इस प्रकार के प्रश्नों पर भी "आपत्ति" लगानी चाहिये। यद्यपि धारा 94 में बिलकुल स्पष्ट प्रावधान है कि मैट्रिक प्रमाण पत्र में जो उम्र लिख गई वही आपराधिक न्याय प्रणाली के उद्देश्य से मान्य है। उसका "श्रोत" परीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। प्रवेश के समय लिखाई गई आयु के आधार के विषय में 10–12 वर्ष बाद प्रधानाध्यापक से "याददाश्त" के आधार पर जानकारी लेकर उसे साक्ष्य बनाने के प्रयासों पर आपत्ति लगानी चाहिये।

(3) कुछ प्रकरणों में अनुसंधान अधिकारी ने न्यायालय में एक से अधिक जन्मतिथियों वाले दस्तावेज पेश किये हैं। विवेचना के दौरान एक से अधिक दस्तावेज विवेचक के संज्ञान में आ सकते हैं और वह सभी का संग्रह कर सकता है। किन्तु इसके बाद सभी दस्तावेजों के आधार पर उसके निष्कर्ष में कौन से दस्तावेज "सत्य" साक्ष्य है, उसे यह निर्णय लेकर केवल वही दस्तावेज न्यायालय में अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य के तौर पर रखना चाहिये। शेष दस्तावेज केसडायरी, जो कि गोपनीय दस्तावेज है, में सुरक्षित रखने चाहियें।

(4) कुछ प्रकरणों में स्कूल के "प्रधानाध्यापक" को साक्षी के तौर पर पेश नहीं कराना पाया गया है। यह साक्षी तत्कालीन अधिकारी या वर्तमान पदासीन अधिकारी या ऐसा स्टॉफ हो सकता है जो तत्कालीन दस्तावेज लेखनकर्ता प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर पहचानता हो। शासकीय प्रधानाध्यापक के ट्रांसफर होते रहते है। यदि तत्कालीन प्रधानाध्यापक का ट्रांसफर हो गया है या उसे किसी कारण से साक्षी के तौर पर पेश नहीं हो सकता है, तो ऐसा उल्लेख केसडायरी में आना चाहिये। प्रधानाध्यापक के कथन से यह स्पष्ट होना चाहिये कि उसने वही आयु/ जन्मतिथि लिखी है जो उसे बच्चे के माता- पिता पालक ने बताई और वह उस कक्षा में उस समय पढ रहे अन्य बालक/बालिकाओ के आयु के लगभग समान होने से विश्वसनीय थी। कम आयु (जैसे 3–4 वर्ष की आयु) के बच्चों में आपस में यदि 06 माह या 12 माह का अन्तर होता है तो बडी उम्र का बच्चा क्लास में तुरंत नोटिस होता है उसका शारीरिक /मानसिक विकास क्रम अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग ही दिखता है।

उपरोक्त निर्देश सुझावात्मक है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी को प्रकरण में अनुसधान के दौरान परिस्थिति अनुसार उपलब्ध अन्य सुसगत साक्ष्य एकत्र कर सबंधित से जन्मप्रमाण पत्र/प्रपत्रों इत्यादि की प्रमाणित प्रति विधिवत् जप्त कर दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले को साक्ष्य सूची में सम्मिलित कर उन्हें न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित होते समय दस्तावेजों की मूल प्रति सहित उपस्थित होने हेतु सूचित किया जाना चाहियें।

(पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित)

(अन्वेष मंगलम)
अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः–

(1) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अजाक) (अअवि) (रेल) पु.मु भोपाल की ओर सूचनार्थ।
(2) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक मध्यप्रदेश।
(3) समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक(महिला अपराध) मध्यप्रदेश।
(4) समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक मध्यप्रदेश।
(5) प्रभारी डब्ल्यू–01 रिकार्ड संधारण हेतु।

अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश, भोपाल

क0/पुमु/म0अप0/W–8/अनुशंसा/मा0अ0आ0 /983/19 दिनांक20/02/2019

प्रति,

(1) उप पुलिस महानिरीक्षक (शहर)
भोपाल/ इंदौर

(2) समस्त पुलिस अधीक्षक
मध्यप्रदेश.

(3) पुलिस अधीक्षक रेल
भोपाल/जबलपुर/इंदौर

विषयः– पीड़ितो का मेडिकल परीक्षण अविलंब एवं सुविधापूर्ण रूप से कराये जाने विषयक्।

संदर्भः– म0प्र0 मानव अधिकार आयोग पत्र क0 21272/माअआ/अनु/6234/भोपाल/16/एच भोपाल दि0 5.7.18 एवं पुलिस महानिदेशक, म0प्र0 कार्या0 का पत्र क0 11083/18 दि0 10.7.18

—00—

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से म0प्र0 मानव अधिकार आयोग प्रकरण क0 6234/भोपाल/16 दिनांक 2.8.2016 में पारित अनुशंसा का अवलोकन करें । आयोग द्वारा दैनिक जागरण, भोपाल मे प्रकाशित समाचार दि0 01.08.2016 में शीर्षक "सात घंटे मेडिकल के लिए घुमाती रही पुलिस" के संबंध में म.प्र.मानव अधिकार आयोग द्वारा पैरा क0 16 एवं पैरा क. 17 में पुलिस विभाग हेतु अनुशंसा की गई है जिसका उद्धरण निम्नानुसार है–

(1) म0प्र0 मानव अधिकार आयोग का पैरा क0 16– "इसके अलावा जहां तक पुलिस विभाग से संबंधित परिस्थितियों का प्रश्न है तो उपरोक्त विवेचना से मेडिकल परीक्षण में हुए विलम्ब के लिए पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की कोई उपेक्षा होना प्रतीत नही होती है, लेकिन यह परिस्थिति अवश्य प्रकट हुई है कि दोनों बालिकाओं को मेडिकल परीक्षण के लिए प्रथमतः बाल सम्प्रेक्षण गृह नेहरू नगर, भोपाल से से आटोरिक्शा में पुलिस द्वारा थाना कोलार लाया गया और उसके बाद वहां से थाने के वाहन के जरिये मेडिकल परीक्षण हेतु ले जाया गया। **पुलिस को प्रत्येक थाने पर उपलब्ध वाहन के जरिये ही ऐसी पीड़ित बालिकाओं/महिलाओं अथवा अन्य आहत व्यक्तियों को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र ले जाये जाने की व्यवस्था करना चाहिये अथवा इसके लिए आवश्यक हो तो अलग से वाहन किराये पर लेकर ही इसकी व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे ऐसे पीड़ित व्यक्तियो/महिला/बालिकाओं / को ऐसी पीड़ा के बने रहते ओर असुविधा न हो और उनकी गरिमा बनी रहें।"**

(2) म0प्र0 मानव अधिकार आयोग का पैरा क0 17– "इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था उचित प्रबधंन के जरिये पुलिस द्वारा किया जाना अपेक्षित है और उसके लिए कोई अनुशंसा न करते हुए केवल इस आदेश की प्रति समुचित कार्यवाही के लिए पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, पुलिस मुख्यालय भोपाल को भेजा जाना ही पर्याप्त होगा, क्योंकि महिलाओं के प्रति अपराध के संबंध में पुलिस मुख्यालय से इस प्रकरण में दी गई जानकारी जो कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महिला अपराध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा भेजी गई है, को देखते हुए कार्यवाही उचित रूप से ही होना और पुलिस कर्मियों/अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी होना प्रकट होता है। "

अतः म.प्र. मानव अधिकार आयोग की अनुशंसानुसार **पीड़ित/बालिकाओं/** महिलाओं अथवा अन्य आहत व्यक्तियों को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र ले जाने हेतु यथासंभव थाने पर उपलब्ध शासकीय वाहन अथवा आवश्यकतानुसार किराये के वाहन लेकर यथाशीघ्र कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि पीड़ितो की गरिमा बनी रहें ।

पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश द्वारा अनुमोदित।

(अन्वेषे मंगलम्)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

कमांक/पुमु/म0अप0/W–8/ मा0अ0आ0 / 983 /19 दिनांक20/02/2019

प्रतिलिपिः–

(1) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, योजना/प्रबंध पुलिस मुख्यालय, भोपाल वाहन किराये पर लिये जाने पर अपनाई जाने वाली प्रकिया व प्रस्ताव के संबंध में जिला पुलिस इकाईयों को अवगत कराने का कष्ट करें।
(2) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अ.अ.वि./अजाक/रेल, पुलिस मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
(3) समस्त जोन पुलिस महानिरीक्षक, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(4) समस्त पुलिस महानिरीक्षक (म0अप0) म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(5) समस्त रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(6) डीडीपी/समनि प्रथम/समनि द्वितीय महिला अपराध शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
(7) उपखण्ड प्रभारी डब्ल्यू–2 की ओर सूचनार्थ।
(8) उपखण्ड प्रभारी डब्ल्यू–1 परिपत्र नस्ती में संधारण हेतु।

20/2/19

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक / FileNo-01/पुमु / अति.म.नि. / म.अप. / नि.स. / परिपत्र / 45 / 2019 / दि.07 / 03 / 2019

परिपत्र

प्रति,

(1) **उप पुलिस महानिरीक्षक(शहर)**
रेंज भोपाल एवं इन्दौर म.प्र.।

(2) **समस्त पुलिस अधीक्षक,**
मध्यप्रदेश।

(3) **रेल पुलिस अधीक्षक,**
जबलपुर, भोपाल, इंदौर।
मध्यप्रदेश।

विषय :– महिला / बालिकाओं के विरूद्ध घटित हो रहे बलात्कार के प्रकरणों में की जा रही विवेचनाओं के संबंध में दिशा–निर्देश।

संदर्भः– समान विषय पर पूर्व में जारी परिपत्र क्रं.**(1)**FileNo/अमनि. / म.अप. / नि.स. / 137 / 2012 / दि.24 / 08 / 2012 **(2)**FileNo/अमनि. / म.अप. / 626 / 2014 / दि.17 / 10 / 2014**(3)**म.अप. / अमनि / 319 / 2015दि.02 / 5 / 2015**(4)**अमनि. / म.अप. / नि.स. / 323 / 15 दि04 / 06 / 2015**(5)**अमनि. / म.अप. / नि.स. / 801 / 2015 / दि.22 / 08 / 2015**(6)**अमनि. / म.अप. / नि.स. / 876 / 15दि.26 / 09 / 2015**(7)**अमनि. / म.अप. / नि.स. / 575 / 2016दि.19 / 06 / 2016,

वृहत् संख्या में अपहरण एवं बलात्कार के ऐसे प्रकरण है जिसमें अभियुक्त के बरी होने का प्रमुख कारण स्वयं पीड़िता का ही **"पक्ष विरोधी"** होना है। ट्रायल के दौरान ऐसी पीड़िताऐं अपने बयान में प्रमुख्यतया निम्न में एक या अधिक बिन्दु न्यायालय में शपथ पर कहती है:–

(i) उनके द्वारा रिपोर्ट ही नहीं लिखाई गई(ऐसे कुछ मामलों में रिपोर्ट उनके पिता या माता या भाई या अन्य रिश्तेदार द्वारा उनके गुम हो जाने पर होती है)

(ii) उनके द्वारा कराई गई एफ.आई.आर पर उनके हस्ताक्षर तो है किन्तु एफ.आई.आर के विवरण उन्होंने लेख नहीं कराये थे–

(a) पुलिस ने अपनी मर्जी से लिखे लिये; या

(b) माता,पिता, भाई,पति ने लिखवाये थे; या

(c) आवेदन टाईप करने वाले ने लिख लिये (भले ही वह स्वयं पढ़ी–लिखी हो या नहीं !)

(iii) पुलिस ने स्वयं एफ.आई.आर लिख ली थी / पढ़कर नहीं सुनाई थी / केवल हस्ताक्षर करा लिये थे।

(iV) उनके द्वारा पुलिस को धारा 161 के अन्तर्गत कोई कथन नहीं दिये गये।

(V) जब पुलिस ने उसे (गुमइंसान होने से) बरामद किया था, तब उसने पुलिस को उसमें आरोपी द्वारा अपहरण करने और / या बलात्कार करने की बात नहीं बताई थी, और पुलिस ने यदि धारा 161 के कथन में ऐसा लिखा है, तो स्वयं लिखा है।

(Vi) उसने न्यायिक मजिस्ट्रेट को धारा 164–ए के अंतर्गत दिये कथन में अपहरण/बलात्कार की बात नहीं बताई थी, जबकि कथन पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करती है।

(Vii) उसने न्यायिक मजिस्ट्रेट को कथन पुलिस के दबाव में दिये थे।

(Viii) उसने मेडिकल परीक्षण के लिये सहमति नहीं दी थी, जबकि मेडिकल परीक्षण आवेदन पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकारती है।

(ix) उसे यह पता नहीं था कि मेडिकल परीक्षण आवेदन प्रपत्र पर उसके हस्ताक्षर उसके जननांगों के परीक्षण के लिए लिये जा रहे हैं। (जबकि डॉक्टर द्वारा जननांगो का परीक्षण करते समय उसके कोई प्रतिरोध नहीं किया था और डॉक्टर को बलात्कार होना बताने पर ही डॉक्टर ने ऐसा परीक्षण किया था, और डॉक्टर द्वारा ऐसा उल्लेख मेडिकल परीक्षण प्रतिवेदन पर किया गया है।)

(x) पुलिस ने सादा (कोरे)कागजों/फार्मो पर हस्ताक्षर करा लिये थे ।

(xi) कई प्रकरणों में ऐसा भी निर्णयों में लेख है कि जहां बचाव पक्ष पीड़ित बालिका की स्कूल प्रवेश के समय आयु उसके माता पिता द्वारा अनुमान के आधार पर लिखा लेने की सस्वीकृति गवाह (माता या पिता या स्कूल के प्रधानाध्यापक) से प्रतिपरीक्षण में ले लेते हैं और इस आधार पर स्कूल सर्टिफिकेट में लेख आयु अमान्य करा लेते हैं। साथ ही माता–पिता की स्वयं आयु, विवाह के समय आयु, विवाह के बाद प्रथम बच्चे के जन्म के समय जैसे प्रश्न जिनके उत्तर भी माता–पिता अनुमान के आधार पर देते हैं, उसे भी न्यायालय में साक्ष्य में स्वीकार करवा लेते हैं।

आजकल अधिंकाश मामलों में पीड़िता के पक्ष विरोधी हो जाने पर न्यायालय में ट्रायल की गति एवं गंभीरता समाप्त हो जाती है और लगभग सभी प्रकरणों में आरोपी बरी हो जाते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे प्रकरणों में पीड़िता के माता, पिता,भाई या पति या मित्र जो महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षी होते है, वे भी पक्ष विरोधी हो जाते हैं।

इस स्थिति से निपटने के लिये विवेचना और ट्रायल के दौरान निम्न उपाये किये जाने का सुझाव दिया जाता है:–

(1) पीड़िता एवं सभी गवाहों का फोटोग्राफ एवं आधार क्रमांक(या अन्य कोई महत्वपूर्ण पहचान पत्र) केसडायरी/जप्ती–गिरफ्तारी प्रपत्रों/कथनों में चिपकाया/लेख किया जावें ताकि अभियोजन के समय सही गवाह का ही पेश होना अभियोजक सुनिश्चित कर सकें।

(2) एफ.आई.आर एवं पीड़िता एवं अधिक से अधिक गवाहों के कथनों की वीडियोग्राफी कराई जावें (धारा 154(1)(बी) में इस आशय का एफ.आई.आर के विषय में प्रावधान है।) वर्तमान में सभी थानों में सी.सी.टी.व्ही लगे है और वैकल्पिक व्यवस्था होने तक अथवा शासकीय/प्रायवेट वीडियोग्राफर न मिलने की स्थिति मे थानों में उस कक्ष में कथन लिये जावें जिसमें सी.सी.टी.व्ही कैमरा लगा हो। थोड़े से अतिरिक्त खर्च से इसमें आडियो रिकार्डिंग की व्यवस्था भी कराई जा सकती है।

(3) उक्त वीडियोग्राफी की फुटेज सी.डी. या डी.वी.डी पर ली जाकर इसे साक्ष्य का हिस्सा बनाया जावें(कई प्रकरणों में देखने में आया है कि विवेचक को सी.डी. एवं डी.वी.डी का अन्तर मालूम नहीं होता है और इस कारण वह किसी भी डिस्क को दस्तावेजों में कभी सी.डी. और कभी डी.वी.डी लिख देता है। इसका लाभ आरोपी का मिलता है।)

(4) सी.डी.आर जारीकर्ता से धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र लिया जाकर न्यायालय पेश किया जावें। इसी प्रकार वीडियोग्राफर जिसने वीडियोग्राफी कर सी.डी. या डी.वी.डी बनाई है, उससे भी प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाकर न्यायालय पेश किया जावे।

(5) पीड़िता एवं गवाहों के कथन उसके समक्ष ही उससे पूछकर लिखे जावे और ऐसे कथन सी.सी.टी.व्ही./वीडियो कैमरे के सामने इस प्रकार लिखे जावे कि कैमरा फ्रेम में विवेचक, गवाह एवं दस्तावेज जिसे लिखा जा रहा है, स्पष्ट दिखाई दें। यही प्रकिया जप्ती, गिरफ्तारी पत्रक एवं अन्य सभी दस्तावेजों के विषय में अपनाई जावे जिसमें पीड़िता या किसी भी साक्षी के हस्ताक्षर लिखे जाने हों।

(6) आमतौर पर पुलिस की यह कार्यप्रणाली है कि वह यदि पीड़िता ने ही एफ.आई. आर लिखाई है, तो उसके धारा 161 के कथन तुरन्त ही यथावत **"काट"** लिये जाते हैं। यदि एफ.आई.आर किसी अन्य ने लिखाई है तो एफ.आई.आर से मिलते–जुलते कथन विवेचक बिना अतिरिक्त पूँछताछ किये **"काट"** देते है। यह कार्यप्रणाली विधि विरूद्ध है। इससे साक्षी से साक्ष्य में सुसंगत जानकरी नहीं लेने से विवेचना में कमियां रह जाती है और प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष को लाभ मिलता है। पीड़िता एवं साक्षियों से विस्तृत पूंछताछ कर समस्त सुसंगत जानकारी धारा 161 के कथन के माध्यम से रिकार्ड पर लाई जावें। कथन के लिये बाकायदा धारा 160 का नोटिस दिया जावें और कथन उपरांत धारा 170 सी.आर.पी.सी के अंतर्गत बाण्ड भरवाया जावें। आजकल प्रायः सभी के पास मोबाईल फोन होता है अतः कथन में साक्षी का मोबाईल नम्बर लिखा जावें।

(7) यदि गुम महिला बरामदगी के समय आरोपी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ही बरामद हो तो बरामदगी स्थल पर गुमशुदा, आरोपी/अन्य व्यक्ति और गवाहों का फोटो लिया जाकर केस डायरी में लगाया जावे। जिसके कहने से बरामद हुई है, उसके पंचनामा पर हस्ताक्षर लिया जाना चाहिये।

(8) गुमशुदा महिला बरामदगी के समय जिस स्थान से महिला बरामदगी हुई है, वहीं पर पंचनामा, फोटो, वीडियोग्राफी की कार्यवाही की जावें । यदि महिला स्वतः ही थाना आई है या अपने माता–पिता, पति या किसी अन्य के साथ थाना आई है, तो इनके कथनों से स्पष्ट कराया जाना चाहिये कि वह कैसे इन व्यक्तियों तक पहुंची। साथ आने वाले व्यक्तियों के भी कथन में यह स्थिति स्पष्ट कराई जानी चाहिये। यदि महिला किसी अन्य थाना क्षेत्र में बरामद हुई है तो संबंधित थाना क्षेत्र में पुलिस दल, गवाह आदि की आमद–रवानगी दर्ज कराना चाहिये।

(9) गुमइंसान की जांच के विषय में पु.मु. अ.अ.वि. के परिपत्र क्रं. अअवि/जे.ए. बी/फा. न.75/2–31/डी–723/2017 दि.12/12/2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जावें।

(10) धारा 164 में कथन दर्ज करने की पद्धति सुस्थापित प्रकिया है तथापि पीड़िता को न्यायालय भेजते समय दी जाने वाली तहरीर (आवेदन) में माननीय न्यायालय में स्पष्ट अनुरोध किया जावे कि कथन दर्ज करने से पूर्व गवाह को **"किसी भी प्रभाव में न होने"** और स्वप्रेरणा स्वेच्छा से कथन दर्ज कराने को प्रस्तुत होने की संतुष्टि कर ली जावे और इस **"संतुष्टि"** का उल्लेख कथन पत्रक पर माननीय जे.एम.एफ.सी. दर्ज कर दें। भले ही न्यायधीश ऐसा करे या न करे किंतु आवेदन में उल्लेख करने से पुलिस की **"मंशा"** स्पष्ट रूप से ट्रायल कोर्ट में यथा समय लोक अभियोजक प्रस्तुत कर सकते हैं।

(11) चार्जशीट (चालान) पत्र में लेख किया जावे कि यदि पीड़िता न्यायालय में धारा 164 जाफौ में दिये गये अपने कथनों के विरूद्ध कथन करती है, तो कथन दर्ज करने वाले न्यायधीश को गवाह के रूप में बुलाया जावे।

(12) धारा 164–ए जाफौ के अंतर्गत मेडीकल परीक्षण आवेदन पत्र में 12 वर्ष से अधिक आयु की पीड़िता से उसी की हस्तलिपि में स्पष्ट लिखवाया जावे कि **"मेरे साथ बलात्कार हुआ है अतः मैं साक्ष्य के तौर पर अपना मेडीकल परीक्षण कराने को सहमत हूँ"** और इसके ठीक नीचे रिक्त स्थान छोड़े बिना हस्ताक्षर कराया जावे। यह संभव है कि अत्यंत अल्पवयस्क पीड़िताओं से यह लिखवाना उचित न हो। किंतु यह भी प्रकट है कि अभी तक जितने भी न्यायिक निर्णय सामने आए है उसमें 12 वर्ष या उससे कम की पीड़िता बहुत कम पक्ष विरोधी होती है।

(13) धारा 164 ए के अंतर्गत पीड़िता का मेडिकल परीक्षण के समय एवं धारा 53 ए द.प्र.स. में बलात्कार के आरोपी का डी.एन.ए परीक्षण कराना बाध्यकारी है कई प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसा पीड़िता के संदर्भ में भी कहा है अतः इस कानून का पालन किया जावे। (वर्तमान में म.प्र. की डी.एन.ए लैब की क्षमता सीमित है और इसमें वृद्धि कि प्रयास किये जा रहे हैं।) डी.एन.न लैब की क्षमता वृद्धि होने तक पुलिस मुख्यालय के परिपत्र क्रं. पुमु/म0अ0/W-2/3765/2018 दि.30/06/2018 का पालन किया जावें। आवश्यक होने पर प्रकरण डी.एन.ए जांच हेतु सी.एफ.एस.एल चंडीगढ़ भी भेजे जा सकते हैं। डी.एन.ए सैम्पल की **"चैन ऑफ कस्टडी"** की एकनिष्ठा बनाई रखी जावें। डी.एन.ए एवं अन्य फारेंसिक साक्ष्य सैम्पल संग्रह के बाद शीघ्रातिशीघ्र और अधिक से अधिक एक सप्राइ में परीक्षण हेतु सबंधित एफ.एस.एल को भेजा जाना सुनिश्चित किया जावें। कुछ प्रकरणों में लम्बे समय तक सैम्पल थाना में ही रखे रहना पाये गये हैं। यह गंभीर कदाचरण है।

(14) यदि एफ.आई.आर में आरोपी नामजद नहीं है तो आरोपी गिरफ्तार होने पर उसे **"वापर्दा"** रखते हुये पीड़िता से उसकी पहचान कराई जावे। यदि आरोपी नामजद है तो धारा 161 के कथनों में स्पष्ट कराया जावे कि पीड़िता आरोपी को कैसे **"नामजद"** जानती है यदि एफ.आई.आर पीड़िता द्वारा स्वयं न कराई जाकर माता, पिता, भाई, पति या अन्य द्वारा कराई गई है तो भी उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई जावें। **"पहचान परेड"** थाने में नहीं कराई जावे और उस स्थान पर पुलिस बल को नहीं रहना चाहिये। पहचान परेड कार्यपालक मजिस्ट्रेट से ही कराई जावे। ग्राम सरपंच या स्कूल प्रधानाध्यापक को विधिक प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होता है अतः इस प्रकार के व्यक्तियों से आरोपी की पहचान परेड नहीं कराई जावे।

(15) यदि एफ.आई.आर पीड़िता के लिखित आवेदन पर कायम हुई है तो पीड़िता से 161 के कथन में स्पष्ट कराया जावे कि एफ.आई.आर किसकी हस्तलिपि में है और इसमें जो विवरण है वह उसने स्वयं अपनी समझ से बिना किसी से प्रभावित हुये लिखा/लिखाया है तथा ऐसा लेख कराते समय उसके और लेखक के अलावा वहां और कौन–कौन नजदीक में मौजूद था। यदि एफ.आई.आर टाईपशुदा आवेदन के आधार पर कायम हुई है तो धारा 161 के कथन में यह स्पष्ट कराया जावे कि आवेदन कहां और किसने टाईप किया। ऐसे टाईपिस्ट की भी पहचान स्थापित कर उसके भी कथन लिये जावे। यदि ऐसा टाइपिस्ट या उसका नियोक्ता या मार्गदर्शक कोई अधिवक्ता है, तो भी उसका बयान लिया जावें। एफ.आई.आर पर पीड़िता से हस्ताक्षर लेने के पूर्व उसे पढ़कर सुनाया जावे। यदि वह स्वयं पढ़ी–लिखी है तो पढ़ने को दी जावे। एफ.आई.आर पर लिखाया जावे कि उसने एफ.आई.आर पढ़ ली है या उसे पढ़कर सुना दी गई है।

(16) अवयस्क पीड़िता के साथ अपराध एवं पाक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रकरणों में पीड़िता की आयु निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है आयु निर्धारण के विषय में पु.मु. के परिपत्रक्र. / पुमु / अति.म.नि. / महिलाअपराध / W–2 / 53 / 2018 / 541 / 2019दि.30 / 01 / 2019 का पालन किया जावें। इस विषय में धारा 94 जे.जे. एक्ट 2016 में निर्धारित प्रक्रिया ही एक मात्र वैधानिक प्रक्रिया है। कोई अन्य दस्तावेज मान्य नहीं है। माता–पिता से उनकी स्वयं की आयु / जन्मतिथि, विवाह की तिथि, प्रथम बच्चे का जन्म, विभिन्न बच्चों में जन्म में अन्तर जैसे अनुमान के आधार पर अपेक्षित उत्तरों वाले प्रश्नों का बचाव पक्ष द्वारा पूंछे जाने पर अभियोजक को प्रतिवाद / आपत्ति दर्ज कराना चाहिये। इसी प्रकार स्कूल के प्रधानाध्यापक से बचाव पक्ष द्वारा किये जा रहे प्रश्नों जिनका उत्तर सामान्य तौर पर या अनुमान पर दिया जा सकता है(जैसे– क्या ग्रामीण क्षेत्र में माता–पिता अनुमान के आधार पर बच्चे की आयु एडमिशन के समय लिखा देते है, आदि आदि) का प्रतिवाद अभियोजक को करना चाहिये। अभियोजक को यह ध्यान रखना चाहिये कि 5–6 वर्ष की आयु के बच्चे के एडमिशन के समय कक्षा में विभिन्न बच्चों में यदि 01 या 02 वर्ष का अन्तर होता है तो एडमिशन करने वाले प्रधानाध्यापक और पढ़ाने वाले शिक्षक को ऐसा बच्चा तुरंत नोटिस में आता है। आवश्यकतानुसार इन बिन्दुओं पर जिलों में सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की ट्रेनिंग भी कराई जावें। **अध्यापकों की ट्रेनिंग बिन्दुओं का सार संलग्न है।** बचाव पक्ष का प्रयास होता है कि किसी भी प्रकार से पीड़ित को **"अवयस्क"** न होना स्थापित किया जावें ताकि धारा 29 का **"presumption"** लागू न हो सके।

(17) कई न्यायिक निर्णयों में यह आया है कि बचाव पक्ष ने डॉक्टर को भी **"पक्ष विरोधी"** ठहराने का प्रयास किया है। मुख्य परीक्षण में डॉक्टर से यह स्पष्ट कराना चाहिये कि पीड़िता ने डॉक्टर को परीक्षण के पूर्व सत्यापन सूचक प्रश्नों के उत्तर में उसके साथ बलात्कार होने की स्वीकृति की थी, तभी उसने (डॉक्टर ने) Private Parts का परीक्षण किया था। इस विषय में जिलें में शासकीय चिकित्सकों के साथ भी परिचर्चा आयोजित की जावें। माननीय उच्च न्यायालय ने टाईपशुदा मेडिकल परीक्षण प्रतिवेदन देने के निर्देश दिये है। इसका भी पालन कराया जावें।

(18) कई प्रकरणों में यह पाया गया है कि ट्रायल में बचाव पक्ष ने पीड़िता से यह स्वीकृति करवा ली कि उसे पता नहीं था कि मेडिकल परीक्षण में उसका आंतरिक परीक्षण होगा। अतः बलात्कार के प्रकरण में यदि पीड़िता लिखी–पढ़ी है तो, मेडिकल परीक्षण आवेदन पर लिखवाया जावे कि **"चूंकि उसके (पीड़िता) के साथ बलात्कार हुआ है, अतः वह स्वेच्छा से साक्ष्य तौर पर अपना आंतरिक मेडिकल परीक्षण कराना चाहती है"**। मेडिकल परीक्षण फार्म पर जिस व्यक्ति का परीक्षण कराया जा रहा है, उसका **'शारीरिक पहचान चिन्ह'** भी लेख किया जावें। बाल पीड़िता के मेडिकल परीक्षण के मामले में धारा 27 पाक्सो एक्ट का भी पालन कराया जावे।

(19) कई प्रकरणों में न्यायिक निर्णयों में ऐसा भी प्रगट हुआ है कि बालिका / महिला स्वेच्छा से (यहां तक कि अवयस्क भी) आरोपी के साथ चली जाती है और पुलिस को बरामद होने पर पुलिस धारा 363,366,376 भादवि आदि बढ़ाकर चालान पेश होता है। ऐसे में बचाव पक्ष, महिला के द्वारा उसे ले जाये जाते समय रास्ते में लोक परिवहन वाहनों, रेल में, सार्वजनिक स्थानों पर, अस्थायी रूप से रखे जाने वाले स्थान के पड़ोसियों या मजदूरी के कार्यस्थल के सहकर्मियों के समक्ष शोर न मचाने, आरोपी के द्वारा बलात्कार करने की बात बताने सम्बन्धी प्रश्न पूंछे जाते हैं और उनके जबाव के आधार पर उसे **"सहमत पक्षकार"** स्थापित किया जाता है। बचाव पक्ष यह भी स्थापित करने को प्रयास करता है कि बालिका / महिला को आरोपी ले नहीं गया था बल्कि वह स्वयं गई थी, अतः 363 भादवि का

अपराध भी नहीं हुआ है। ऐसा इसलिये हो पाता है क्योंकि विवेचक ने विवेचना के दौरान इन बिन्दुओं पर पीड़िता से धारा 161 के कथनों में स्थिति स्पष्ट नहीं कराई होती है या अन्य साक्ष्य एकत्र नहीं किये होते हैं और अभियोजक ने भी मुख्य परीक्षण में पीड़िता से उपयुक्त प्रश्न कर यह स्थापित नहीं किया होता है कि पीड़िता रिपोर्ट लिखाने से पूर्व तक आरोपी के मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक प्रभाव/दबाव में थी। वह इस धोखे में अभियुक्त के साथ चली गई थी कि अभियुक्त उससे शादी करेगा या केवल मित्रता में घूमने जा रही है या यदि वह उस समय वह प्रतिरोध करती तो उसे ज्यादा शारीरिक क्षति होती आदि–आदि। यह (अमुक) प्रकरण धारा 375 भादवि में परिभाषित अपराध के लिये बाधित **"सहमति" वह "सहमति"** नहीं है जिसकी परिकल्पना धारा 90 भादवि में अपेक्षित है यानि कि तथाकथित "सहमति" धोखे में रखकर ली गई थी या **"प्रभावित"** करके केवल बिना प्रतिरोध के बलात्कार करने की नियत से ही ली गई थी। यानि यह **"सहमति"** धारा 375 भादवि के Explanation 02 में पारिभाषित **"सहमति"** नहीं थी और यही वजह है कि महिला ने पुलिस में रिपोर्ट की, अपना आन्तरिक मेडिकल परीक्षण कराया और धारा 164 में न्यायिक मजिस्ट्रेट को कथन देने न्यायालय गई।

(20) आरोपी गिरफ्तार होने पर आरोपी का कथन लिया जावे और उसकी **"alibi"** का परीक्षण किया जावे। यह आवश्यक नहीं कि अभियुक्त के कथन में उसकी अपराध की स्वीकृति ही लेख की जावे। अभियुक्त प्रायः अपराध करने से इंकार करता है। ऐसी स्थिति में अन्य उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उससे ऐसे प्रश्न किये जावें जिससे उसका दोषी/निर्दोष होने का साक्ष्य मिल रहा है। इन प्रश्नोत्तरों को रिकार्ड में रखा जावे ताकि अभियोजक उससे यथासमय इन प्रशनोत्तरों के माध्यम प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रतिपरीक्षण कर सके।

(21) एफ.आई.आर से पहले और विवेचना के दौरान दोनों पक्षों द्वारा विभिन्न अधिकारियों/कार्यालयों को प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रतियां केसडायरी में रखी जावें ताकि अभियोजन के समय अभियोजक इसका अध्ययन कर मुख्य परीक्षण/प्रतिपरीक्षण में उपयोग कर सकें।

(22) विवेचक का दायित्व है कि चालान तैयार करने से पर्याप्त समय पूर्व स्कूटिनी करावें और स्कूटिनी पूर्ण करके चालान पेश करें। सम्बधिंत लोक अभियोजन अधिकारी का भी यह दायित्व है कि वह सावधानीपूर्वक स्कूटिनी करें। इसे महज खानापूर्ति नहीं समझें। इस स्कूटिनी से पूर्व यह देख ले की विवेचक ने महत्वपूर्ण विभागीय निर्देशों का पालन कर लिया है या नहीं? चालान पेश करने से पूर्व प्रकरण के पर्यवेक्षण अधिकारी को भी केसडायरी दिखाकर चर्चा की जावे ताकि वे यह देख सके की पर्यवेक्षण के निर्देशों का पालन कर लिया गया है और विवेचना में कोई त्रुटि नहीं रह गई है।

(23) धारा 159 एवं 160 साक्ष्य अधिनियम में यह व्यवस्था है कि गवाह अपनी याददाश्त ताजा करने के लिये इंगित दस्तावेजों को देख/पढ़ सकता है। इस प्रावधान के पालन में गवाह को उसके धारा 161 के अंतर्गत दर्ज कथन की प्रति दी जा सकती है।

(24) पक्ष विरोधी पीड़िता एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्षियों से उपयुक्त पैने प्रश्न किये जाकर यह जांचा जावें कि वह न्यायालय में कही भय, दवाब, लालच या अन्यान्य कारणों से असत्य कथन तो नहीं कर रहे हैं। **"पुलिस दबाव" या "कोरे कागज पर हस्ताक्षर"** या इस प्रकार के आरोप लगाकर पक्ष विरोधी होने वाले गवाहों से ज्यादा बारीकी से प्रति परीक्षण किया जावें। ऐसे प्रकरणों में वीडियोग्राफी कथन भी सबूत के तौर पर पेश किये जावे। आवश्यकतानुसार धारा 164 के अंतर्गत कथन दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट को भी **"गवाह"** के तौर पर पेश कराया जावे क्योंकि **"दबाव"** में न्यायिक मजिस्ट्रेट को असत्य कथन दे देने का ट्रायल के दौरान कथन न्यायालय की अवमानना भी है।

(25) यदि **"पुलिस दबाव "** की बात न्यायालय में कहीं जाती है तो प्रतिपरीक्षण में अभियोजक यह स्पष्ट करावें की **"दबाव"** से क्या आशय है? पुलिस में किसने कब, कहां, कैसे **"दबाव"** बनाया? क्या इसकी कहीं शिकायत की गई? आदि–आदि

(26) अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की महिला के साथ बलात्कार के कई प्रकरणों में न्यायिक निर्णयों से परिलक्षित है कि विवेचक द्वारा–

(i) स्वयं पीड़ित महिला के स्थान पर उसके पति या अन्य रिश्तेदार का 'जाति प्रमाण–पत्र' प्रस्तुत कर दिया; या

(ii) अप्रमाणित फोटोकॉपी प्रस्तुत की, या

(iii) सक्षम अधिकारी (S.D.M) के स्थान पर पंचायत या स्कूल या अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र पेश कर दिया। इससे न्यायालय ने ट्रायल अजा.जजा अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आरोपों पर ट्रायल ही नहीं किया। इसका प्रत्यक्ष लाभ आरोपी को यह मिला कि अजा.जजा. अत्याचार निवारण कानून में आरोपी के विरूद्ध साक्ष्य में जो "Presumption" था वह समाप्त हो गया ।

विवेचक का दायित्व है कि वे साक्ष्य संकलन के समय ऐसी त्रुटि न करें और अभियोजक का दायित्व है स्कूटिनी के समय ऐसी खामी पाये जाने पर चालान न्यायालय न भेजते हुये विवेचक को स्कूटिनी पूर्ति के लिये वापस करें। यदि चालान बिना स्कूटिनी पूर्ति के पेश हुआ है तो इसकी सूचना जिला पुलिस अधीक्षक को देवें।

(27) कई प्रकरण ऐसे सामने आये है जिसमें एफ.एस.एल रिपोर्ट के बिना ही चालान पेश किया गया। ऐसे कई प्रकरणों में बाद में एफ.एस.एल रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभियोजन अधिकारी के माध्यम से न्यायालय में पेश की जाकर चालान प्रपत्रों में संलग्न नहीं कराई गई। इसका लाभ आरोपी को मिलता है। अतः प्रथमतया एफ.एस.एल रिपोर्ट के साथ चालान पेश होना चाहिये। यदि किसी अपरिहार्य कारण से एफ.एस.एल रिपोर्ट के बिना ही चालान किया जा रहा है, तो ट्रायल प्रारम्भ होने से पूर्व थाना प्रभारी/विवेचक आवश्यक रूप से इसे प्राप्त कर न्यायालय प्रपत्रों में शामिल किया जावें। अभियोजक को भी यह चाहिये कि वह केसडायरी के ऊपर इस आशय का **"स्मरण टीप"** लगा लें और ट्रायल प्रारम्भ के पूर्व थाना से सम्पर्क कर यह दस्तावेज प्राप्त करें। यदि प्रकरण में डी.एन.ए परीक्षण कराया गया है तो बिना डी.एन.ए. रिपोर्ट के चालान पेश नहीं किया जावे। एफ.एस.एल से सम्पर्क कर शीघ्र से शीघ्र डी.एन.ए परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जावे।

(28) बलात्कार के मामलों में विवेचना 02 माह में पूर्ण करने की वैधानिक व्यवस्था की गई है। इस विषय में परिपत्र क्रमांक/File No14 /परिपत्र/अ.म.नि./महिला अपराध/निस /14/2018 दि. 17/07/2018 के द्वारा 60 दिवस में विवेचना पूर्ण करने का मॉडल प्लान सभी जिलों को भेजा गया है। इसका पालन किया जावें। अभियोजन योग्य साक्ष्य होने पर चालान पेश किया जावे।

(29) इन प्रकरणों में 02 माह में ट्रायल पूर्ण करने का वैधानिक प्रावधान किया गया है। अतः अभियोजन अधिकारी के साथ चर्चा कर शीघ्र से शीघ्र ट्रायल पूर्ण कराने के आवश्यक उपाय किये जावे। यह देखा गया है कि जितनी जल्दी ट्रायल पूर्ण होता है, सजा की

सम्भावना उतनी ज्यादा रहती है। समय के साथ–साथ समंस वारन्ट तामील कराने में तो कठिनाई आती ही है, गवाहों के भी प्रभावित होने की संभावना ज्यादा हो जाती है।

इस परिपत्र की प्रति समस्त थाना प्रभारियों एवं विवेचकों को तामील कराया जाना सुनिश्चित करें।

(पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित।)

7/3/19

(अन्वेष मंगलम)
अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः–

(1) संचालक, लोक अभियोजन, कृपया सभी अभियोजकों को उचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
(1) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अजाक) (अअवि) (रेल) पु.मु भोपाल की ओर सूचनार्थ।
(2) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक मध्यप्रदेश।
(3) समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक,सहा0 पुलिस महानिरीक्षक(महिला अपराध) मध्यप्रदेश, जिलों के भ्रमण के दौरान पालन की स्थिति की समीक्षा करें।
(4) समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक म.प्र0 कृपया सभी विवेचको एवं पर्यवेक्षकों(उप पुलिस अधीक्षक एवं अति0पुलिस अधीक्षक) का वर्ष 2019 में प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें।
(5) प्रभारी डब्ल्यू–01 रिकार्ड संधारण हेतु।

7/3/19

अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

::प्रशिक्षण बिन्दु::

विषय : बालक/बालिकाओं के विरूद्ध घटित हो रहे प्रकरणों में आयु निर्धारण के संबंध में साक्षी के तौर पर स्कूल के प्रधानाध्यापकों/अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु बिन्दु।

बालक/बालिकाओं के विरूद्ध घटित हो रहे प्रकरणों में न्यायालय निर्णयों के दृष्टांतों में अधिकतर प्रकरणों में आयु निर्धारण के संबंध में सही एवं सटीक दस्तावेज प्रस्तुत न होने और इस संबंध में साक्षी प्रधानाध्यापक/अध्यापक द्वारा सही गवाही प्रस्तुत न होने से कई प्रकरणों में आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। आयु निर्धारण के संबंध में विद्यालयों के पदाधिकारियों को निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखना चाहिये।

(1) बालक/बालिका के विद्यालय में प्रवेश के समय माता–पिता द्वारा लिखाई गई जन्मतिथि महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे सावधानीपूर्वक लिखना चाहिये। इसका वैधानिक महत्व एवं मान्यता है।

(2) जन्मतिथि लिखाते समय बालक/बालिका का प्रवेश कराते समय आने वाले माता/पिता/अभिभावक से जन्मतिथि का प्रमाण जैसे नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण–पत्र/जन्म पंजीयन की जानकारी या आगनवाड़ी सहायिका के पास कोई प्रमाण/जानकारी यदि हो तो उसका प्रमाण मांगना चाहिये।

(3) यदि कोई भी प्रमाण–पत्र न हो, तो बालक/बालिका की आयु का आंकलन उसकी कद, काठी, शारीरिक/मानसिक विकास आदि से लगाना चाहिये तथा यह संतुष्टि कर लेना चाहिये कि बालक/बालिका की उम्र उसके अभिभावक द्वारा बताई जा रही उम्र के बराबर होना प्रतीत हो रही है।

(4) बालक/बालिका का जिस कक्षा में प्रवेश कराया जा रहा है, उस कक्षा में पूर्व से प्रवेशित छात्रो/छात्राओं के शारीरिक/मानसिक विकास आदि से तुलना कर लेना चाहिये कि क्या संदर्भित बच्चा कक्षा के अन्य बच्चों के समान दिख रहा है या ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा दिख रहा है। ध्यान रहे कि बालक/बालिका का यदि कक्षा 01 में प्रवेश हो रहा है तो सामान्यतया उसकी उम्र 5 से 6 वर्ष के मध्य होती है। इस उम्र के बच्चों में यदि 1–2 वर्ष का अन्तर होता है तो कक्षा में वह बच्चा अन्य बच्चों से एक दम भिन्न दिखता है।

(5) जन्मतिथि का उल्लेख दाखिला/प्रवेश रजिस्टर (Admission Register) या (Scholar Register) पर जिस स्थान पर किया गया है, उस पर पारदर्शी टेप (Transparent Tape) लगा देना चाहिये ताकि उससे छेड़छाड न हो सके या दुर्घटनावंश उसकी स्याही धुल न जावे।

(6) जन्मतिथि रजिस्टर से छेड़छाड नहीं करना है। इसमें कोई काट–पीट नहीं करनी है या सफेद स्याही लगाकर Overwritting नहीं की जानी चाहिये। यदि त्रुटिवश हुये लेखन के कारण सुधारात्मक कार्य करना अपरिहार्य है, तो इस पर छोटे हस्ताक्षर एवं तिथि लेख करना चाहिये। इसका विस्तृत रिकार्ड प्रथक से रखना चाहिये कि ऐसा सुधार कार्य क्यों करना पड़ा।

(7) विद्यालय के अन्य सभी दस्तावेजों जैसे मार्कशीट, प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Transfer Cartificate) चरित्र–प्रमाण पत्र आदि में वही जन्मतिथि सावधानीपूर्वक लिखना चाहिये जोकि प्रवेश के समय प्रवेश रजिस्टर या स्कॉलर रजिस्टर में लिखी गई है।

(8) विद्यार्थी का फोटो भी प्रवेश रजिस्टर सा स्कॉलर रजिस्टर या प्रवेश फार्म पर चिंपकाना चाहिये। इसी प्रकार माता–पिता का फोटो भी चिपकाना चाहिये। इनके नाम–पता आदि में भी कोई काट–पीट नहीं होना चाहिये।

(9) यदि पुलिस द्वारा साक्ष्य के तौर पर स्कॉलर रजिस्टर/प्रवेश रजिस्टर या किसी मूल दस्तावेज की प्रति चाही जा रही है तो मूल रिकार्ड से फोटोकॉपी कर सत्यप्रमाणित देना चाहिये। मूल प्रति तत्समय ही अपनी सुपुर्दगी में लेकर यह अभिवचन पत्रक हस्ताक्षर कर देना चाहिये कि न्यायालय द्वारा जब भी मूल दस्तावेज चाहा जावेगा, तब विद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।

(10) न्यायालय में साक्ष्य देते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि विद्यालय का रिकार्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत **"लोक दस्तावेज"** है और इससे सामान्य क्रम में विद्यालय के उपयोग हेतु तत्समय तैयार किया जाता है जिस समय उसका तैयार किया जाना रिकार्ड में है। यह दस्तावेज संदर्भित बालक–बालिका के साथ अथवा उसके द्वारा कोई आपराधिक कृत्य हो जाने/करने के समय तैयार नहीं किया जाता है। धारा 35 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत यह **'विश्वसनीय'** साक्ष्य है। न्यायालय में साक्ष्य देते समय विद्यालय के प्रधानाध्यापक/अध्यापक/स्टॉफ को यह स्थापित करना है कि विद्यालय के दस्तावेज सही एवं प्रमाणित है और यही सत्य है।

(11) कई बार न्यायालय में साक्ष्य के समय जो प्रधानाध्यापक/अध्यापक/ स्टॉफ/ विद्यालय रिकार्ड के साथ साक्ष्य हेतु पेश होता है, वह कोई अन्य पश्चातवर्ती उत्तराधिकारी स्टॉफ होता है क्योंकि तत्समय (जिस समय दस्तावेज तैयार हुआ या) का पदाधिकारी सेवानिवृत्त या स्थानांतरण या अन्य कारण से उपलब्ध नहीं होता है। अतः ऐसे साक्षी को न्यायालय में बताना है कि वह अपने कार्यायलीन रिकार्ड से **'अमुक'** दस्तावेज/जानकारी न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है।

(12) न्यायालय में साक्ष्य के दौरान साक्षी को वही अभिस्वीकृति करनी चाहिये जो उसकी जानकारी में है और जिसका उसके पास प्रमाण है। कई प्रकरणों में यह प्रगट हुआ है कि बचाव पक्ष साक्षी अध्यापक से यह पूंछता है कि क्या यह सही है कि गांव में या गरीब लोग अक्सर अपने बच्चे की उम्र अनुमान से लिखा देते है या उनके द्वारा आयु 2–3 वर्ष कम/ज्यादा बताकर जन्मतिथि लिखाई जाती है, आदि। साक्षी अध्यापक के पास निश्चय ही वर्तमान प्रकरण में इससे संबंधित कोई साक्ष्य नहीं होता है कि प्रस्तुत

प्रकरण में माता–पिता ने प्रसंगाधीन बच्चे की उम्र कम करके लिखाई थी या नहीं? ऐसी स्थिति में बिना प्रमाणित जानकारी के **'अभिस्वीकृति'** न्यायालय में **'असत्य कथन'** की श्रेणी में आ सकता है। ज्ञातव्य है कि यह (Perjury) अपराध है और साक्षी को विभागीय कार्यवाही के लिये भी जाबवदेह बनाता है।

इसीप्रकार कई प्रकरणों में बचाव पक्ष के द्वारा यह पूंछा जाता है कि प्रसंगाधीन बच्चे की उम्र/जन्मतिथि कौन लिखवाने आया था या क्या उसकी उम्र/जन्मतिथि अनुमान के आधार पर लिखाई गई थी। ऐसे प्रश्नों का भी वही जबाव है जो रिकार्ड में अंकित है। यदि रिकार्ड में कुछ भी अंकित नहीं है तो ऐसे प्रश्नों का जबाव यही हो सकता है कि जो रिकार्ड में लिखा है, वही बताया जा सकता है और साक्षी को कोई निजी जानकारी नहीं है।

कुछ प्रकरणों में बचाव पक्ष विभिन्न स्कूलों/कॉलेज में विभिन्न दस्तावेजों में प्रसंगाधीन बालक/बालिका की अलग–अलग आयु का दस्तावेज पेश करके उसके आधार पर प्रश्न करते हैं। ऐसे प्रकरणों में साक्षी को केवल अपने स्कूल/कॉलेज के दस्तावेज के विषय में स्थिति स्पष्ट करनी है।

(13) Pocso Act की धारा 19 के अनुसार बच्चों का शारीरिक/लैंगिक शोषण की जानकारी होने पर विद्यलाय के प्रधानाध्यापक/अध्यापक की भी यह जिम्मेदारी है कि वह इसकी सूचना S.J.P.U या निकटतम थाना के थाना प्रभारी या थाना के बाल कल्याण अधिकारी को दें।

(14) विद्यालय के प्रारंभ से ही बच्चों को Good Touch/Bad Touch की जानकारी देनी चाहिये तथा अध्यापक को बच्चे के व्यवहार में अचानक परिवर्तन नोटिस में आने पर बच्चों को विश्वास में लेकर वस्तुस्थिति की जानकारी लेनी चाहिये। बड़ी संख्या में ऐसे प्रकरण सामने आये है जिसमें बच्चों का शोषण उनके नजदीकी रिश्तेदार, परिचित, पड़ौसी आदि ने ही किया है और बच्चे भय के कारण अपने माता–पिता को भी नहीं बताते है।

———000———

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश
(महिला अपराध शाखा)
(CRIME AGAINST WOMEN)

पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल – 462 008
POLICE HEAD QUARTERS, JEHANGIRABAD, BHOPAL - 462 008
दूरभाष : 0755–2443568 (कार्यालय) / फैक्स 0755–2440107

क्रमांक / File No-/ अति.म.नि. / महिला अपराध / परिपत्र / नि.स. / 2019 / 56 / Dt. 29/03/2019

परिपत्र

प्रति,

(1) **समस्त पुलिस अधीक्षक,**
मध्यप्रदेश।

(2) **समस्त रेल पुलिस अधीक्षक,**
मध्यप्रदेश।

विषयः– मानव दुर्व्यापार रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही विषयक।

सन्दर्भः– वचनपत्र का बिन्दु क. 26.25 "अनु.जाति की कन्याओं को बहला फुसलाकर ले जाने वाली घटनाओं को रोकने हेतु पुलिस पर जवाबदेही निर्धारित की जायेगी"

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के बच्चों तथा युवतियों को बहला फुसलाकर ले जाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय किये जाने के आवश्यकता हैं। प्रायः ऐसे बच्चों / युवतियों को विवाह एवं रोजगार के नाम पर ले जाया जाता हैं। इन बच्चियों / युवतियों में से कई को बाद में या तो विभिन्न प्रकार के शोषण का सामना करना पड़ता है या उनका लैंगिक शोषण कर छोड़ दिया जाता हैं।

(1) इन अपराधों की रोकथाम हेतु प्रचलित कानूनों जैसे भा.द.वि. अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 आदि के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरणों के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार कार्यवाही की जावें। मानव दुर्व्यापार की रोकथाम हेतु महिलाओं का निर्लज्ज निरूपण प्रतिशेध अधिनियम 1986 श्रम गिरवीकरण 1933, बाल विवाह अधिनियम 1929, बाल श्रम अधिनियम 1986, बाल न्याय अधिनियम 1986 तथा मौलिक अधिकारों के हनन हेतु इन अधिनियमों के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा सकती हैं।

(2) शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग, जनसम्पर्क विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य विभागों के सहयोग से जागरूकता एवं प्रचार प्रसार कार्यकम चलवाये जायें। इसमें स्वंय सेवी अशासकीय सगंठनों एवं सामुदायिक संगठनों की भी सहभागिता बनाने के प्रयास किये जावें।

(3) मानव दृव्यापार में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्व द.प्र.स. के अन्तर्गत भी कड़ी कार्यवाही की जाना चाहिये।

(पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित।)

29/3/19
(अन्वेष मंगलम)
अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः–

(1) सचिव, गृह पुलिस विभाग, भोपाल को शासन के पत्र क 692/1021/2019/बी–1/दो, भोपाल दि. 26/02/2019 के संदर्भ में सूचनार्थ तथा अनुरोध सहित लेख है कि शासन के अन्य विभागों को इस विषय में जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार के लिये आवश्यक उपाय करने हेतु लिखा जावें साथ ही शासन की ओर से सभी जिलों कलेक्टरों को इस दिशा में सकरात्मक उपाय करने हेतु लिखा जावें।

(2) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अजाक) पु.मु. भोपाल को उनके पत्र क.अजाक–28/ए–1/विविध/853/19 भोपाल दि. 07/03/2019 के संदर्भ में सूचनार्थ तथा अजा.जजा.में प्रचार–प्रसार कार्यवाही हेतु।

(3) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (अअवि) (रेल) पु.मु भोपाल की ओर सूचनार्थ।

(4) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक मध्यप्रदेश।

(5) समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

(6) प्रभारी डब्ल्यू–01 रिकार्ड संधारण हेतु।

21/3/19

अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश, भोपाल

क0/पुमु/म0अप0/W–8/अनुशंसा/मा0अ0आ0 /1744/19 दिनांक 02/04/2019

प्रति,

(1) उप पुलिस महानिरीक्षक (शहर)
भोपाल/ इंदौर

(2) समस्त पुलिस अधीक्षक
मध्यप्रदेश.

(3) पुलिस अधीक्षक रेल
भोपाल/जबलपुर/इंदौर

विषयः– दुष्कर्म से पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु की बालिका की गर्भवती होने की स्थिति में गर्भ समापन कराये जाने विषयक्।

संदर्भः– म0प्र0 मानव अधिकार आयोग पत्र क0 34304/माअआ/इंदौर–4897/2018/2012/ भोपाल दिनांक 23.10.2018

––00––

कृपया उपरोक्त विषयांन्तर्गत म0प्र0 मानव अधिकार आयोग द्वारा नव दुनिया, इंदौर में प्रकाशित समाचार दिनांक 15.06.2018 शीर्षक **"इंदौर में देर रात सड़क पर मिली दुष्कर्म की शिकार बच्ची, पांच माह का था गर्भ"** के संदर्भ में म0प्र0 मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रकरण क0 4897/इंदौर/2018 दिनांक 23.10.2018 में अनुशंसा पारित की गई हैं किः–

दुष्कर्म से पीड़ित गर्भवती बालिका के गर्भ समापन की कार्यवाही में क्षेत्राधिकार जैसे विवाद के कारण व्यवधान न हो । मानव अधिकार आयोग के अनुशंसा के सुसंगत अंश मूलतः संलग्न है।

अतः निर्देश है कि दुष्कर्म पीड़ित महिला के गर्भवती पाये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर यथाशीघ्र बिना विलम्ब किये गर्भ समापन/गर्भ धारण लगातार रखने के विषय में निर्णय लेने के अधिकार के विषय में महिला को अवगत करा दिया जावें । महिला के अवयस्क होने की स्थिति में पीड़िता के माता–पिता/सरंक्षक को इस अधिकार के विषय में अवगत करा दिया जावें। यदि पीड़िता के माता–पिता/सरंक्षकों के विषय में यह समाधान है कि वह बालिका को जानबूझ कर उपेक्षा (Neglect) कर रहे है तो, यह बालिका जेजे एक्ट 2015 के प्रावधान के अन्तर्गत बालिका को धारा 31 जेजे एक्ट 2015 के पालन में बाल कल्याण समिति को पेश करते हुये, उन्हें संपूर्ण स्थिति से अवगत करा दिया जावें। ऐसी स्थिति में बच्चों की सरंक्षण एवं देखरेख (CHILD IN NEED AND CARE) होने से धारा 30 जेजे एक्ट 2015 के अनुसार बाल कल्याण समिति द्वारा ही उपयुक्त निर्णय लिया जावेगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित)

(अन्वेष मंगलगी)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

क्रमांक / पुमु / म0अप0 / W–8 / अनुशंसा / मा0अ0आ0 / 1744/ 19 दिनांक 02/04 / 2019

प्रतिलिपिः–

(1) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अ.अ.वि. / अजाक / रेल, पुलिस मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।

(2) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस.सी.आर.बी. पुलिस मुख्यालय भोपाल, (म0प्र0 पुलिस की बेवसाइट) पर कृपया अपलोड करने का कष्ट करें।

(3) समस्त जोन पुलिस महानिरीक्षक, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(4) समस्त पुलिस महानिरीक्षक (महिला अपराध) म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(5) समस्त रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(6) डीडीपी / समनि–प्रथम / समनि–द्वितीय, महिला अपराध शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

(7) उपखण्ड प्रभारी डब्ल्यू–2 की ओर सूचनार्थ।

(8) उपखण्ड प्रभारी डब्ल्यू–1 परिपत्र नस्ती में संधारण हेतु।

1/4/19

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश
(महिला अपराध शाखा)
(CRIME AGAINST WOMEN)

पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल – 462 008
POLICE HEAD QUARTERS, JEHANGIRABAD, BHOPAL - 462 008
दूरभाष : 0755–2443568 (कार्यालय) / फैक्स 0755–2440107

क्रमांक / File No-/ अति.म.नि. / महिला अपराध / परिपत्र / नि.स. / 68 / 2019 Dt. 16/04/2019

परिपत्र

प्रति,

(1) **समस्त पुलिस अधीक्षक,**
मध्यप्रदेश।

(2) **समस्त रेल पुलिस अधीक्षक,**
मध्यप्रदेश।

विषयः– पीड़िता / संरक्षक द्वारा लिखित आवेदन पत्र या सलाह मर्शावरा उपरांत **FIR** कराने के विषय में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपराधिक अपील कमांक 1485 / 2008, गुजरात राज्य बनाम किशन जी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07 / 01 / 2014 के द्वारा बरी हुये सभी प्रकरणों की समीक्षा के संबधं में मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के आदेश क. F-21/16/2014/ दो / बी–1 दि. 31 / 12 / 2014 अनुसार एक समिति का गठन किया गया ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के अनुरूप महिला अपराध शाखा द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के **Website** पर विभिन्न **Trial Court** के न्यायिक निर्णयों की **Random sample** के आधार पर **Download** कर अध्ययन किया जा रहा है। उपरोक्त अध्ययन के दौरान कतिपय मामलों में यह प्रगट हुआ है कि फरियादिया के द्वारा परिवार, मोहल्ला, गॉव के अपने शुभचिन्तकों से घटना के विषय पर चर्चा कर थाने में रिपोर्ट लिखाने पर बचाव पक्ष द्वारा फरियादिया द्वारा लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यता पर सवाल उठाये जाते हैं। इसी प्रकार यदि फरियादी लिखित आवेदन पत्र पुलिस थाने में पेश करता / करती है या यदि फरियादी न्यायालय परिसर के आसपास उपलब्ध टाइपिस्ट या वकील से राय लेकर टाईपशुदा आवेदन पत्र देते है और उस पर **FIR** कायम होती है तो बचाव पक्ष ऐसी **FIR** को असत्य या बनावटी करार देने का प्रयास करता हैं। कभी–कभी पीड़ित पहले वन स्टाप सेन्टर या चाइल्ड लाइन के स्वंयसेवियों के पास या सीधे अस्पताल जाता हैं।

न्यायिक निर्णयों के अध्ययन से यह भी प्रगट हुआ है कि ऐसे मामलों में विवेचक द्वारा विवेचना के कथन / केस डायरी में यह स्पष्ट नहीं किया जाता है कि घटना के बाद और रिपोर्ट लिखाने के मध्य पीड़ित / सरक्षंक कहॉ–कहॉ गये, किस–किस को सम्पर्क किया, आवेदन पत्र कहा टाईप कराया गया और टाइपिस्ट ने वैसा ही आवेदन पत्र टाईप किया, जैसा कि फरियादिया ने उसे टाईप करने के लिये बोल–बोल कर लिखवाया आदि–आदि। इसी प्रकार आभियोजक द्वारा भी मुख्य परीक्षण एवं पुर्नपरीक्षण के माध्यम से न्यायालय में यह स्पष्ट नहीं किया जाता हैं।

यह उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार आरोपी को विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार हैं उसी प्रकार पीड़ित फरियादिया को भी हर स्टेज पर विधिक सलाह एवं सहायता का अधिकार है। मात्र इन आधारों पर पंजीबद्व **F.I.R.** को कम विश्वनीय या अविश्वनीय नहीं माना जा सकता हैं कि **F.I.R.** के लिये टाईपशुदा आवेदन दिया गया है या फरियादिया ने अपने परिजन/शुभचिंतक या वकील से सलाह लेकर लिखवाई हैं।

यह महसूस किया जाता है कि आज भी देश में बड़ी संख्या में ऐसी आबादी है जो न्यायालय/शासकीय कार्यालयों में जाते समय घबराहट एवं चिन्ता महसूस करते हैं। उन्हें शासकीय कार्यालयों में जाने, **F.I.R.** लिखाने या आवेदन पत्र देने के लिये ऐसे विधिक सहायक एवं नियमों/प्रकिया के बारे में जागरूंक सहायक की आवश्यकता होती हैं जो कि कार्यालय अथवा न्यायालय की कार्य प्रणाली एवं उनकी व्यवस्थाओं से परिचित हो ताकि वहॉ उनकी बात वह सुनी जा सके या वे अपनी बात आत्मविश्वास के साथ रख सके।

विवेचना के दौरान, इन बिन्दुओं पर समुचित साक्ष्य एकत्र किया जावे । न्यायालय में लोक अभियोजक के द्वारा भी मुख्य परीक्षण एवं पुर्नपरीक्षण एवं मौखिक बहस के माध्यम से इन तर्को को प्रभावी रूप से रखा जाना चाहिये । पीड़ित/संरक्षक के बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण के समय अभियोजक को आवश्यक रूप से उपस्थित रहकर सतर्क रहना चाहिये और प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त 'आपत्ति'। पुर्नपरीक्षण के उपलब्ध विधिक प्रावधानों से पीड़ित के हितो का संरक्षण करना चाहिये।

कृपया जिला स्तर पर अभियोजकों एवं विवेचकों की समन्वय बैठकों में इन बिन्दुओं पर चर्चा करें और उन्हें आवश्यक समझाइश देवें।

(पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित)

16/5/19

(अन्वेष मंगलम)
अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः–

(1) विशेष पुलिस महानिदेशक/संचालक, लोक अभियोजन संचालनालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ। कृपया सभी अभियोजाकों को जानकारी में लाने का कष्ट करें।
(2) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,(रेल)(अअवि) एवं (अजाक) पु.मु भोपाल की ओर सूचनार्थ।
(3) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक मध्यप्रदेश।
(4) समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।
(5) प्रभारी डब्ल्यू–01 रिकार्ड संधारण हेतु।
(6) सभापति (म.अप.)/डी.जी.पी.म.प्र. की ओर सूचनार्थ।

16/5/19

अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग) म0प्र0 भोपाल

क्रमांक / अअवि / विधि / 1 / 123 / 18 / 19 दिनांक–

//::परिपत्र:://

प्रति,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,भोपाल,इन्दौर
समस्त पुलिस अधीक्षक,(म.प्र.)
समस्त रेल पुलिस अधीक्षक,(म.प्र.)
समस्त पुलिस अधीक्षक,अ.जा.क.(म.प्र.)

विषय – माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा M.C.R.C. कमांक 24561 / 2018 अजय उर्फ बालक राम उर्फ बल्कू विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 22.11.2018 संबंध में।

सदर्भः– 1–डिप्टी रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर का मेमो दिनांक 26.11.18 व माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा M.C.R.C. कमांक 24561 / 2018 अजय उर्फ बालक राम उर्फ बल्कू विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य मे पारित आदेश दिनाक 22.11.2018

2– इस कार्यालय का परिपत्र कमांक / अअवि / विधि / 1 / 87 / 18 / 1310 / 18 दिनाक 19.09.2018

3– इस कार्यालय का परिपत्र कमांक / अअवि / विधि / 1 / 80 / 18 / 1213 / 18 दिनाक 30.08.2018

4–इस कार्यालय का परिपत्र कमाक / अअवि / विधि / 1 / विविध / 98 / 14 / डी–580 / 16 दिनाक 30.03.2016

5– पुलिस मुख्यालय का परिपत्र कमांक / अअवि / विधि / 1 / 118 / 05 / 432 05 भोपाल दिनाक 20.07.2005

––00––

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर ने विषयांकित M.C.R.C. कमांक 24561 / 2018 अजय उर्फ बालक राम उर्फ बल्कू विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य मे विवेचक द्वारा धारा 53–(ए) दण्ड प्रकिया संहिता का अनुपालन न करने पर आपत्ति व्यक्त की है।

पुलिस मुख्यालय स्तर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेज सलग्न कर पूर्ण केस डयरी प्रस्तुत करने एव संबंधित कार्यालय मे समन्वय स्थापित कर समय–सीमा मे विशेषज्ञ रिपोर्ट प्राप्त किये जाने संबंधी समय–समय पर सदर्भित परिपत्रों के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किये गये है।

अत निर्देशित किया जाता है कि जब किसी व्यक्ति को बलात्सग या बलात्सग का प्रयत्न करने के अपराध के आरोप मे गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति की परीक्षा धारा 53–(ए) दण्ड प्रकिया सहिता मे निहित प्रावधानो के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा कराना सुनिश्चित करे एव वह चिकित्सा परीक्षण की रिपोर्ट न्यायालय में अन्तिम रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे।

कृपया उपरोक्त निर्देश आपके अधीनस्थ समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियो एव थाना प्रभारियो के माध्यम से समस्त विवेचको को भी पालनार्थ दिया जावे।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार।

पुलिस महानिरीक्षक,अ.अ.वि.(प्रशासन)
हेतु–अति. पुलिस महानिदेशक
अ.अ.वि.पु.मु.भोपाल

प्रतिलिपि:– कृपया सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1–अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक. (सी ए डब्ल्यु.)पुलिस मुख्यालय भोपाल।
2– अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,रेल पुलिस मुख्यालय भोपाल।
3–अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (अजाक) पुलिस मुख्यालय भोपाल।
4– अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, इन्दौर (म0प्र0)।
5–समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक (म0प्र0)।
6–समस्त रेज उप पुलिस महानिरीक्षक (म0प्र0)
7–विधि शाखा –1 अ.अ.वि. परिपत्र नस्ती में संधारण हेतु।
8–निज सहायक. पु0म0नि0 अ.अ.वि. पु.मु. भोपाल।

पुलिस महानिरीक्षक,अ.अ.वि.(प्रशासन)
हेतु–अति. पुलिस महानिदेशक
अ.अ.वि.पु.मु.भोपाल

कमांक/पुमु/म0अप0/W–2/ 12/19 /2333 2019 दिनांक–26/4/2019

प्रतिलिपि :– 1. समस्त पुलिस महानिरीक्षक (महिला अपराध), म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
2. डी0डी0पी0/ स0म0नि0 (I)/स0म0नि0 (II)/उ0पु0अ0 1090 समस्त उपखण्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. नि.स., अ.म.नि. (महिला अपराध), पु0मु0, भोपाल।
4. उपखण्ड डब्ल्यु–1 रिकार्ड संधारण हेतु

25/4/19
हेतु– अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

कार्यालय अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
(CRIME AGAINST WOMEN)
POLICE HEAD QUARTERS, JEHANGIRABAD, BHOPAL - 462 008
Tel: 0755–2443568 (office) / Fax 0755–2550367
Email- mpcaw@mppolice.gov.in

क्रमांक / पु0मु0 / अति.म.नि / म0अप0 / W-2/40/19/ 2506 /2019, भोपाल दिनांक– 08.8.2019

:: परिपत्र ::

प्रति,

वरि0 पुलिस अधीक्षक भोपाल एवं इंदौर।
समस्त पुलिस अधीक्षक,
समस्त पुलिस अधीक्षक रेल, मध्यप्रदेश।

विषयः– धारा 498 A भा.द.वि. का न्यायालय में विचारण एवं अपराध कायमी एवं विवेचना में थानों का स्थानीय क्षेत्राधिकार ।

संदर्भः– मान0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, द्वारा क्रिमिनल अपील क0–71 / 12 रूपाली देवी विरूद्ध उ.प्र.राज्य मे पारित निर्णय दिनांक 09.04.19

––00––

कृपया विषयांतर्गत लेख है कि मान0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, द्वारा क्रिमिनल अपील क0–71 / 12 रूपाली देवी विरूद्ध उ.प्र.राज्य में पारित निर्णय दिनांक 09.04.2019 का अवलोकन करें। निर्णय की प्रति म.प्र. पुलिस की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पति अथवा ससुराल पक्ष की शारीरिक / मानसिक प्रताड़ना के कारण घर से गई / निकाली गई पीड़ित महिला के धारा 498 A के प्रकरण का ट्रायल उस न्यायालय में भी हो सकता है जहॉ उसका मायका है या वैवाहिक घर से जाने / निकाले जाने के उपरान्त वह रह रही हो।

मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रूपाली देवी विरूद्ध उ.प्र. राज्य के मामले में धारा 498 A / दहेज के प्रकरणों में दिनांक 09.04.19 को पारित निर्णय अनुसार प्रताड़ना एक जारी रहने वाला अपराध मान्य किया है। इसका आशय यह भी है कि पीड़ित महिला चाहे तो उस स्थान / क्षेत्राधिकार के थानें में प्रथम सूचना दर्ज करा सकती है, जहॉ उसने वैवाहिक घर से निकल जाने / निकाले जाने के बाद शरण ली हो। इस संबंध में मान0 सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण 4 में दिये गये निर्णयों का भी अध्ययन करें। ज्ञातव्य है कि पूर्व में जी.ओ.पी. क.–116 / 04 दिनांक 08.03.04 के बिन्दु क0–35 में ऐसे ही निर्देश दिये जा चुके हैं।

मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.04.19 का स्वयं भी अध्ययन करें और इस परिपत्र की प्रति समस्त पर्यवेक्षण अधिकारियों और थाना प्रभारियों तक पहुॅचाना सुनिश्चित करें।

(पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित)

(अन्वेष मंगलम)
अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय,भोपाल

क्रमांक / पु0मु0 / अति.म.नि / म0अप0 / W-2/40/19/ 2506 /2019, भोपाल दिनांक– 08.8.2019

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अ0अ0वि0 / रेल / अ.जा.क.)।
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस.सी.आर.बी., पुमु0 भोपाल, कृपया न्यायालय निर्णय एवं परिपत्र म.प्र.पुलिस की वेबसाइट पर लोड कराने हेतु।
3. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, म0प्र0 ।
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक (महिला अपराध), म0प्र0।
5. डीडीपी / समनि(I) / समस्त उपखण्ड प्रभारी।
6. निज सहायक अमनि0।
7. उपखण्ड डब्ल्यू–1 की ओर गार्ड फाइल में संधारण हेतु।

8/8/19

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय,भोपाल

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश
(महिला अपराध शाखा)
(CRIME AGAINST WOMEN)

पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल – 462 008
POLICE HEAD QUARTERS, JEHANGIRABAD, BHOPAL - 462 008
दूरभाष : 0755–2443568 (कार्यालय) / फैक्स 2440107

क्रमांक / **File No** /अति.म.नि. / महिला अपराध / नि.स. 2714/ 2019 दि. 21/5/19

प्रति,

(1) **उप पुलिस महानिरीक्षक (शहर)**
रेंज भोपाल एवं इन्दौर म.प्र.।

(2) **समस्त पुलिस अधीक्षक,**
मध्यप्रदेश।

(3) **रेल पुलिस अधीक्षक,**
जबलपुर, भोपाल, इन्दौर म.प्र.।

विषयः– जिलों में Anti Human Trafficking Unit को प्रभावी किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– महालेखाकार कार्यालय का महिलाओं / बालिकाओं के साथ घटित अपराध विषय पर थीमैटिक ऑडिट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पत्र क्र / ओ.ए. डी–21 / थीमे0आ.–सी.ए.डब्ल्यू / 140 दिनांक 14.11.2018

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि पुलिस मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक / 7 / अमनि / महिला अपराध / 260 / 2014 दिनांक 12.05.2014 तथा परिपत्र क्रमांक / अमनि / महिला अपराध / 644 / 2014 दिनांक 27.10.2014 एवं परिपत्र क्रमांक / अमनि / महिला अपराध / 706 / 2014 दिनांक 29.11.2014 में दिये गये निर्देशों का अवलोकन करें, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सभी जिलों में, जिले के अति. पुलिस अधीक्षक मानव दुर्व्यापार निरोधी सेल का प्रभारी अधिकारी होगे। यह भी निर्देश दिया गया है कि जिन प्रकरणों में कोई बालक बालिका गुमशुदा है और गुम होने के 04 माह व्यतीत होने के उपरांत भी दस्तयाबी नहीं हुई है उनमें मानव दुर्व्यापार निरोधी इकाई द्वारा विवेचना की जाएगी। जिले के मानव दुर्व्यापार निरोधी सेल को जिले में इस विषय पर सक्रिय अशासकीय संस्थाओं से लगातार संपर्क में रहने और निगरानी रखने के भी निर्देश दिये गये थे। इसी प्रकार परिपत्र क्रमांक / अमनि / महिला अपराध / 545 / 2014 दिनांक 09.09.2014 के द्वारा भी मानव दुर्व्यापार की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये कई निर्देश दिये गये थे महालेखाकार

कार्यालय के Audit दल द्वारा सेम्पल परीक्षण में यह पाया गया है कि मानव दुर्व्यापार निरोधी इकाई सक्रिय नहीं है। अतः आप सभी को निर्देश दिये जाते हैं कि –

(1) अपने–अपने जिलों में मानव दुर्व्यापार निरोधी इकाई को सक्रिय एवं प्रभावी बनावें।

(2) समय–समय पर पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र एवं तत्संबंधी कानून भादवि, पॉक्सो एक्ट, पीटा एक्ट में कार्यवाही करावें।

(3) अधीनस्थ अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित करावें।

(4) जिन जिलों में एक से अधिक अति. पुलिस अधीक्षक है उनमें संपूर्ण जिले के लिए जिम्मेदार एक अति. पुलिस अधीक्षक को नामांकित करें, जो इस प्रकार के प्रकरणों की विवेचना में पर्यवेक्षण, गुम बालक–बालिकाओं की दस्तयाबी, गुमे एवं दस्तयाब बालिकाओं की जानकारी Track Child Portal पर Update कराने, न्यायालय में अभियोजन को प्रभावी कराने आदि सहित सभी विषयों के लिए जिम्मेदार हो।

(5) धारा 13 पीटा एक्ट की विवेचना के अधिकार केवल राज्य सरकार द्वारा नामांकित विशेष पुलिस अधिकारी, जो कि कम से कम निरीक्षक स्तर का हो, को ही है। अतः जिन जिलों में उक्त अधिनियम के अर्न्तगत **"विशेष पुलिस अधिकारी"** नामांकित किये जाने के Notification उपलब्ध नहीं है, वे अपने यहां समुचित अधिकारियों को पदनाम से अधिसूचित करावें।

(पुलिस महानिदेशक द्वारा आदेशित।)

24/5/19

(अन्वेष मंगलम)
अति0पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः–

01. अमनि (अअवि, अजाक, रेल) की ओर सूचनार्थ।
02. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश की सूचनार्थ।
03. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक, रेंज मध्यप्रदेश की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक/समनि (म.अप.शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. प्रभारी डब्ल्यू–01 रिकार्ड संधारण हेतु।

24/5/19

अति0पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश
(महिला अपराध शाखा)
(CRIME AGAINST WOMEN)

पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल – 462 008
POLICE HEAD QUARTERS, JEHANGIRABAD, BHOPAL - 462 008
दूरभाष : 0755–2443568 (कार्यालय) / फैक्स 2440107

क्रमांक / File No /अति.म.नि. / महिला अपराध / नि.स. /2715/ 2019 दि. 21/5/19

प्रति,

(1) **उप पुलिस महानिरीक्षक (शहर)**
रेंज भोपाल एवं इन्दौर म.प्र.।

(2) **समस्त पुलिस अधीक्षक,**
मध्यप्रदेश।

(3) **रेल पुलिस अधीक्षक,**
जबलपुर, भोपाल, इन्दौर म.प्र.।

विषयः– थानों में लैंगिक हमले के पीड़ितों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में वकीलों की सूची प्रदर्शित किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– महालेखाकार कार्यालय का महिलाओं / बालिकाओं के साथ घटित अपराध विषय पर थीमैटिक ऑडिट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पत्र क्र / ओ.ए. डी–21 / थीमे0आ.–सी.ए.डब्ल्यू / 140 दिनांक 14.11.2018

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि पुलिस मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक / अमनि / महिला अपराध / निस / 425 / 2013 दिनांक 10 / 05 / 2013 के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्रिमनल अपील क्रमांक 1156 / 2018 दिलीप विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में जारी आदेशों के पालन में कुछ निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों में प्रमुख यह है कि लैंगिक हमले के प्रकरण में पीड़ित को आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जावे। इस हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर उनसे इस कार्य में इच्छुक एवं योग्य व्यक्तियों की सूची प्राप्त कर थाने में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जाने के निर्देश दिये गये थे।

महालेखाकार कार्यालय के Audit दल द्वारा सेम्पल परीक्षण पर यह पाया गया है कि अधिकांश थानों में ऐसी सूची प्रदर्शित नहीं की गई है।

(1) अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त निर्णय एवं परिपत्र की ओर आपका ध्यान पुनः आकृष्ट किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से ऐसे इच्छुक एवं योग्य वकीलों की सूची नाम, पता संपर्क

आदि प्राप्त कर थाने में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जावे तथा पीड़िता को थाने में संर्पक करने पर उसे उसके वैधानिक अधिकारों कीं जानकारी दी जावे।

(2) कुछ प्रकरणों में यह देखने में आया है कि यदि पीड़ित अपने निजी वकील अथवा विधिक सेवा प्राधिकरण के वकील से सलाह लेकर रिपोर्ट लिखवाती है तो ट्रायल के दौरान बचाव पक्ष द्वारा इस विषय को Highlight किया जाकर उसके गवाही की विश्वसनीयता को विपरीत प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है और न्यायालय को उन पर विश्वास न करने के लिये तर्क दिये जाते है। यह भी देखने में आया है कि ऐसे तर्कों पर किसी भी प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय ट्रायल न्यायालय का ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस विषय में उपरोक्त संदर्भित दिलीप विरूद्ध म.प्र.राज्य में दिये गये आदेश की ओर ध्यान नहीं दिलाया गया है। अतः सभी अभियोजन अधिकारियों एवं लोक अभियोजकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय की प्रति उपलब्ध कराते हुए उनसे अपेक्षा की जाए की वे ऐसे तर्क न्यायालय में प्रस्तुत होने के समय पीड़िता का प्रभावी ढंग से पक्ष समर्थन करें।

(पुलिस महानिदेशक द्वारा आदेशित।)

20/5/19

(अन्वेष मंगलम)
अति0पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः–

01. विशेष पुलिस महानिदेशक/संचालक, लोक अभियोजन संचनालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. अमनि (अअवि, अजाक, रेल) की ओर सूचनार्थ।
03. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश की सूचनार्थ।
04. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक, रेंज मध्यप्रदेश की सूचनार्थ।
05. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक/समनि (म.अप.) की ओर सूचनार्थ।
06. प्रभारी डब्ल्यू–01 रिकार्ड संधारण हेतु।

20/5/19

अति0पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक / FileNo-01/पुमु / अति.म.नि. / म.अप. / नि.स. / परिपत्र / 94 / 2019 / दि.23/ 05 / 2019

परिपत्र

प्रति,

(1) **उप पुलिस महानिरीक्षक(शहर)**
रेंज भोपाल एवं इन्दौर म.प्र.।

(2) **समस्त जिला पुलिस अधीक्षक,**
(रैल सहित) म.प्र.।

विषय :– बालक / बालिकाओं के विरूद्ध घटित हो रहे प्रकरणों में आयु निर्धारण के संबंध में–साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया एवं साक्ष्य प्रस्तुतीकरण के विषय में विधिक टीप।

संदर्भः– पु.मु. के परिपत्र क्रमांक / पु.मु. / अति.म.नि. / म.अप. / W-2/53/18/541/2019 दि. 30 / 01 / 2019 एवं पत्र क्रमांक / पु.मु. / अमनि / म.अप. / नि.स. / परिपत्र / 45 / 2019 दि.07 / 03 / 2019

बालक / बालिकाओं के विरूद्ध घटित हो रहे प्रकरणों में न्यायालय निर्णयों के दृष्टांतों में अधिकतर प्रकरणों में आयु निर्धारण के संबंध में सही एवं सटीक दस्तावेज प्रस्तुत न होने और इस संबंध में साक्षी माता–पिता / प्रधानाध्यापक / अध्यापक द्वारा तथ्य अनुरूप गवाही प्रस्तुत न होने से बड़ी संख्या में पीड़िता **''अवयस्क''** नहीं माना जा रहा है और परिणामस्वरूप आरोपी दोषमुक्त हो रहे हैं। आयु निर्धारण के संबंध में साक्ष्य संकलन के दौरान विवेचकों को निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखने की आवश्यकता है।

(1) बड़ी संख्या में प्रकरणों में प्रथमतया पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 419 के अनुसार **'गुमइंसान'** कायम होता है। **'गुमइंसान'** के अवयस्क होने की दशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बचपन बचाओं आन्दोलन प्रकरण में दिये गये निर्देश और इस क्रम में पु.मु के परिपत्र क्रमांक/File No/ परिपत्र / अ.म.नि. / महिला अपराध / 644 / 2014 दि.27 / 10 / 2014 के पालन में तीन दिन बाद धारा 363 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध होता है। स्पष्ट है कि प्रथमतया माता / पिता / संरक्षक ही गुम व्यक्ति का अवयस्क होना बताते है। इस सूचना पर माता / पिता / संरक्षक से गुमइंसान का **''आयु प्रमाण पत्र'' / जन्म प्रमाण पत्र** का दस्तावेज मांगा जावें। मूल दस्तावेज देखकर संबंधित को लौटाया जावे और फोटोकॉपी पर **''मेरे द्वारा प्रस्तुत''** लिखवाकर हस्ताक्षर कराये जावें। गुमइंसान जांच कथन में स्पष्ट कराया जावें कि संबंधित गुमइंसान सूचनादाता / माता–पिता–संरक्षक की जानकारी एवं विश्वास के आधार पर घटना दिनांक को अवयस्क है। ज्ञातव्य है कि गुम इंसान जांच के कथनों पर कथनदाता के हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी लगती है।

(1-A) पुलिस द्वारा साक्ष्य के तौर पर यदि स्कॉलर रजिस्टर / प्रवेश रजिस्टर या किसी मूल दस्तावेज की प्रति चाही जा रही है तो मूल रिकार्ड से फोटोकॉपी कर सत्यप्रमाणित प्रति लेनी चाहिये। मूल प्रति तत्समय ही सुपुर्दगी में देकर संबंधी स्कूल प्रधानाध्यपक से अभिवचन पत्रक पर हस्ताक्षर करा लेना चाहियें कि न्यायालय द्वारा जब भी मूल दस्तावेज चाहा जावेगा, तब विद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।

(2) यदि अपराध प्रकरण गुमइंसान की दस्तायाबी पर कायम हो रहा है तो गुमइंसान से भी दस्तायाबी पंचनामा में उसकी आयु के विषय में जानकारी ली जावे। यदि सीधे ही (बिना गुमइंसान कायमी के) धारा 363 भादवि और/या धारा 354 भादवि/ 376 भादवि और पाक्सो एक्ट में कायम हो रहा है तो भी सूचनादाता/माता–पिता–संरक्षक से भी यह दस्तावेज/जानकारी मांगी जावे। यदि उसके पास दस्तावेज/जानकारी नहीं है, तो कथनों में इस आशय का स्पष्ट लेख किया जावे।

(3) वर्ष 2000 के बाद से लगभग सभी बच्चों के जन्म का रिकार्ड आंगनबाड़ी में रखा जाने लगा है। माता/पिता/संरक्षक से पूँछकर संबंधित आंगनबाड़ी का पता किया जाकर वहां का रिकार्ड भी लिया जाना चाहिये। यदि आंगनबाड़ी का रिकार्ड नहीं मिल रहा है तो केसडायरी में लेख किया जावे। हो सकता है कि आंगनबाड़ी के रिकार्ड में बच्चे का नाम न लिखा हो या भिन्न नाम लिखा हो, इसे माता–पिता के कथन से स्पष्ट किया जावे। सामाजिक रीति–रिवाजों के अनुसार बच्चे का नाम नामकरण संस्कार के बाद लिखा जाता है जबकि आंगनबाड़ी या ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय में जन्म की सूचना पहले ही दर्ज हो जाती है।

(4) जे.जे.एक्ट 2015 के धारा 94 में बच्चों की आयु निर्धारण के लिये आवश्यक साक्ष्य का उल्लेख किया गया है। आजकल लगभग सभी बच्चों का किसी न किसी स्कूल में कक्षा नर्सरी या कक्षा 01 में अवश्य प्रवेश होता है। यद्यपि धारा 94 जे.जे.एक्ट 2015 में प्रथम स्थान पर कक्षा 10 वीं की मार्कशीट को रखा गया है तथापि बड़ी संख्या में बच्चे पहले ही स्कूल से **"ड्राप आउट"** हो जाते हैं। अतः कक्षा दसवीं की मार्कशीट/प्रमाण होते हुये भी कक्षा 01 का रिकार्ड प्राप्त करने का भी प्रयास किया जावे। यदि कक्षा 01 में प्रवेश के समय लिखाई गई जन्मतिथि जो कि स्कॉलर रजिस्टर में लिखी है, और कक्षा 5 या 8 या 10, किसी भी कक्षा की मार्कशीट की जन्मतिथि में अन्तर है, तो विवेचना के दौरान इसे स्पष्ट किया जावे।

(5) यदि कक्षा 1 या किसी भी कक्षा के प्रवेश का रिकार्ड (स्कॉलर रजिस्टर) प्राप्त किया जा रहा है, तो देखे कि क्या बालक ने उस कक्षा में प्रथम प्रवेश लिया है? (यह केवल कक्षा नर्सरी या कक्षा–01 के विषय में ही संभव है) कक्षा 02 या इससे ऊपर की कक्षा में प्रवेश के लिये पूर्व विद्यालय से टी.सी. प्राप्त करनी होती है। टी.सी. में जन्मतिथि लिखी होती है। इसी टी.सी. के आधार पर कक्षा 02 या इससे ऊपर की कक्षा में प्रवेश मिलता है। अतः टी. सी. की प्रति प्राप्त कर मिलान करें कि टी.सी. में दी गई जन्मतिथि और मार्कशीट या स्कॉलर रजिस्टर में दी गई जन्मतिथि समान है या नहीं? समान न होने की दशा में इस **'अंतर'** के विषय में साक्ष्य एकत्र करें।

(6) स्कॉलर रजिस्टर/मार्कशीट/टी.सी/आंगनबाड़ी रिकार्ड में माता–पिता का नाम एवं अन्य विवरण और अपराधिक प्रकरण में आये साक्ष्य में माता–पिता का नाम और अन्य विवरण समान होना चाहिये। यदि समान नहीं है, तो विवेचना में इसे स्पष्ट करें।

(7) स्कॉलर रजिस्टर/प्रवेश पंजी/प्रवेश फार्म में कोई काट–पीट या सुधार किया गया हो, तो उसे विवेचना में स्पष्ट करें। विवेचक स्कूल के प्रधानाध्यापक/अध्यापक के कथन दर्ज करें और उससे यह पूँछे कि रिकार्ड के अनुसार स्कूल में इस बच्चे का दाखिला कराने कौन आया था? संभव है कि प्रवेश फार्म में इसका कोई पृथक कॉलम नहीं हो अतः धारा 161 के कथन में स्पष्ट करावें कि **"प्रवेश फार्म में पृथक कॉलम के अभाव में अब यह बता पाना**

संभव नहीं है कि तत्समय बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिलाने साथ में कौन आया था।" उससे यह भी पूँछा कि इस क्षेत्र में स्कूल में प्रवेश दिलाने बच्चों के साथ में सामान्यतया कौन/कौन–कौन आता है? चूंकि सामान्यतया माता/पिता ही प्रवेश दिलाने आते है तो यदि प्रवेश के समय माता/पिता जीवित थे, तो कथन लेवें कि **"सामान्यतया माता या पिता या दोनों ही आते है । अतः इस प्रकरण में भी शायद वही आये होगें और स्कूल में प्रवेश में वही जन्म तिथि लिखी जाती हैं, जो माता या पिता या सरक्षंक लिखाते हैं"।**

(8) विवेचना सम्बधी विभिन्न दस्तवेजों जैसे गुम इंसान सूचना, बरामदगी पंचनामा, एम.आई.आर. कथन साक्षीगण, मेडिकल परीक्षण, आवेदन फार्म, डॉक्टर द्वारा दी जा रही मेडिकल रिपोर्ट धारा 164 के कथन, प्रवेश रजिस्टर/मार्कशीट आदि, में आयु पीड़ित का नाम, माता–पिता का नाम आदि महत्वपूर्ण जानकारी एक समान होना चाहिये। यदि कुछ असमानता है तो इसका विवेचना में समाधान किया जाना चाहिये।

(9) विवेचना में स्कूल के प्रधानाध्यापक/अध्यापक से यह पूँछे कि स्कॉलर रजिस्टर/प्रवेश पंजी/प्रवेश फार्म किसकी हस्तलिपि में लिखी गई है? किसके हस्ताक्षर है? संभव है कि समय अन्तराल हो जाने से, संबंधित के स्थानांतरण होने/नौकरी छोड़ देने/सेवानिवृत्ति होने से अब यह बताना संभव न हो, ऐसी दशा में कथन में यह स्पष्ट करें। ऐसी दशा में केसडायरी में एवं चालान प्रपत्र में स्पष्ट करें कि स्कॉलर रजिस्टर/प्रवेश पंजी/प्रवेश फार्म धारा 35 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत **"लोक दस्तावेज"** है और इससे सामान्य क्रम में विद्यालय के उपयोग हेतु तत्समय तैयार किया जाता है जिस समय उसका तैयार किया जाना रिकार्ड में है। यह दस्तावेज संदर्भित बालक–बालिका के साथ अथवा उसके द्वारा कोई आपराधिक कृत्य हो जाने/करने के समय तैयार नहीं किया जाता है। अतः धारा 35 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत यह **'विश्वसनीय'** साक्ष्य है। न्यायालय में साक्ष्य देते समय विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ अध्यापक/स्टॉफ को यह स्थापित करना है कि विद्यालय के दस्तावेज सही एवं प्रमाणित है और यही सत्य है। ट्रायल कोर्ट के कई निर्णयों में इस स्थिति को मान्य किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मध्यप्रदेश राज्य विरूद्ध प्रीतम 2018 भाग 3 सी.सी.एस.सी 1679 एस.सी.** प्रकरण में इसे मान्य किया है । इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है:–

The trial Court has neither acted upon the evidence of Bhaulal (PW-8) nor on the school certificate on the ground that the person who has admitted the prosecutrix in the school was not examined. (12) In our considered view, the approach of the trial court was not correct. In each and every case the prosecution cannot be expected to examine the person who has admitted a student in the school. The school registers are the authentic documents being maintained in the official course, entitled to credence of much weight unless proved otherwise. In our view, considering the evidence of head master, Bhaulal (PW-8), and the school certificate prodeuced by him i.e. Ex.P/13-A, age of the victim has to be taken as 12 years at the time of occurrence.

(10) प्रायः बचाव पक्ष द्वारा यह प्रश्न गवाहों (माता/पिता/शिक्षक/अन्य) से पूँछा जाता है कि स्कूल में प्रवेश के समय जन्मतिथि किस आधार पर लिखाई गई थी? संभव है कि स्कूल प्रवेश फार्म/प्रवेश पंजी/स्कॉलर रजिस्टर में इस आशय का कोई पृथक कॉलम ही नहीं हो। अतः माता/पिता संरक्षक एवं स्कूल प्रधानाध्यापक/अध्यापक से कथन में यह स्पष्ट करा लेना चाहिये कि प्रवेश के समय माता–पिता ने क्या–क्या दस्तावेज दिये थे? यदि

जन्मतिथि संबंधी कोई दस्तावेज जैसे नगर पालिका/ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र या आंगनबाड़ी प्रमाण–पत्र दिया गया हो तो उसकी प्रमाणित प्रति भी लेना चाहिये। यदि कोई दस्तावेज नहीं दिया गया था, तो भी यह स्पष्ट करा लिया जावे कि **"दस्तावेज तो नहीं था किन्तु याददशत के आधार पर सत्य लिखाया था"**।

(11) यदि इस तरह का तर्क बचाव पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत जन्मतिथि से संबंधित रिकॉर्ड का कोई आधार नही है तो वह उचित नही है। मान0 म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा **नंदा विरूध्द स्टेट ऑफ म0प्र0 आई0एल0आर0 2009 एम0पी0 3211** में यह सिध्दांत प्रतिपादित किया है कि यदि बचाव पक्ष के इस तर्क पर विचार किया जाए कि प्राथमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालय के जो स्कॉलर रजिस्टर साक्ष्य में प्रस्तुत किए गए हैं उनमें अभियोक्त्री की अंकित जन्म दिनांक का कोई आधार नही है तो इस संबंध में मान0 उच्च न्यायालय का मत है कि उक्त तर्क विधिसंगत नही है। अभियोक्त्री की जन्मतिथि के संबंध में स्कूल के स्कॉलर रजिस्टर में की गई प्रविष्टि के संबंध में मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **सतपाल विरूध्द स्टेट ऑफ हरियाणा (2010) 8 एससीसी 714** में यह प्रतिपादित किया गया है कि स्कॉलर रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टि पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन के दौरान की जाती है जो धारा 35 साक्ष्य अधिनियम के तहत ग्राह्य होती है, ऐसी स्थिति में स्कॉलर रजिस्टर में अंकित जन्म दिनांक की प्रविष्टि साक्ष्य में ग्राह्य होती है।

(12) विचारण न्यायालय में अभियोक्त्री की आयु साबित करने के संबंध में मौखिक एवं दस्तावेजी और चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा ? इस संबंध में मान0 उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **महाराष्ट्र राज्य वि0 गजानंद,हेमंत जनार्दन बानखेड़े (2008) एस0सी0सी0 38** में मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अभियोक्त्री की आयु साबित करने के संबंध में आई हुई मौखिक, दस्तावेजी,चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्यांकन के बिंदु पर प्रकाश डाला है कि अभियोक्त्री की स्कूल में लिखी जन्मतिथि के बारे में किसी प्रश्न का उत्तर नही देना चाहिए, क्योंकि स्कूल में प्रवेश के समय छात्र की जो उम्र लिखाई जाती है उसी के आधार पर उक्त दस्तावेज तैयार किया जाता है। इस प्रकरण में विचारण न्यायालय ने अभियोक्त्री को 16 वर्ष की पाया था, इसलिए उसकी **"सहमति"** को कोई मान्यता नहीं दी गई। अपील पर प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने माना था कि चूंकि **"कुण्डली"** को तैयार नही किया गया था इसलिए अभियोजन पक्ष अपना मामला सिध्द करने में विफल रहा है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय ने स्कूल रजिस्टर में जो अभियोक्त्री की जन्मतिथि की इंट्री हुई है वह प्रधानाध्यापक की लिखावट में नही है तथा ज्यादातर अभिभावक आमतौर पर बच्चों की उम्र कम लिखाते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने चिकित्सीय साक्ष्य के संदर्भ में यह माना था कि चिकित्सीय साक्ष्य में अभियोक्त्री की आयु 14 वर्ष से 16 के बीच में ऑसीफिकेशन टेस्ट द्वारा पाई गई है वह 01 वर्ष के त्रुटि मार्जन के साथ बताई गई है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र और स्कूल रजिस्टर के संबंध में कोई परिणाम नही निकलता है अतः इसी आधार पर मान. उच्च न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया था। किन्तु राज्य सरकार द्वारा मान0 उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने अभियोक्त्री की जन्म की तारीख के संबंध में जो निष्कर्ष निकाला है वह पूर्णतः गलत है। मान0 उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि उच्च न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यानी स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और स्कूल रजिस्टर को छोड़ने का कोई कारण नही बताया गया है। मान0

उच्चतम न्यायालय ने यह भी व्यक्त किया कि किसी भी साक्ष्य के अभाव में उच्च न्यायालय को यह नही कहना चाहिए था कि अभियोक्त्री की जन्मतिथि प्रमाणित नही हुई और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) तथा स्कूल रजिस्टर निर्णायक नही है। इस प्रकार मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में यह व्यक्त किया गया कि उपरोक्त आधारों पर उच्च न्यायालय का निर्णय को निरस्त कर स्कूल के प्रमाण पत्रों को ही मान्य किया है।

(13) यदि कोई प्रमाण–पत्र या जन्मतिथि लिखने का **'आधार'** के प्रमाण स्वरूप मूल दस्तावेज नहीं दिया गया हो और याददाश्त के आधार पर लिखाई गई हो, तो स्कूल के प्राध्यापक/अध्यापक से कथनों में स्पष्ट करावें। स्कूल अध्यापक से पूँछे कि क्या जिस कक्षा में यह बच्चा भर्ती हुआ था उस समय उस कक्षा में यह बच्चा अपनी कक्षा के अन्य बच्चों से शारीरिक–मानसिक विकास में ज्यादा बड़ा/ज्यादा छोटा दिख रहा था ? ध्यान रहे कि 5–6 वर्ष की उम्र (सामान्यतया कक्षा 01 में इसी उम्र के बच्चे होते है) में बच्चों में यदि 1–2 वर्ष का अन्तर होता है तो वह स्पष्ट दिखता है और इसका प्रभाव भी स्पष्टतया कक्षा में उनकी गतिविधियों पर पड़ता है। यदि अध्यापक तत्समय की स्थिति बताने में असमर्थ हो, तो उससे यह पूँछे, वह जब से इस विद्यालय में या अन्य विद्यालयों में पढ़ा रहा है, तब उसने ऐसा पाया है या नहीं? याददाश्त के आधाार पर जन्मतिथि लिखना असामान्य नहीं है और न ही इससे रिकॉर्ड की विश्वसनीयता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है बशर्त कि यह स्थापित किया जा सके कि यह तथ्यपरक याददाश्त पर आधारित था।

(14) न्यायालय में यह भी तर्क अभियोजक द्वारा रखा जाना चाहिए कि बहुत से माता–पिता हर समय अपने बच्चों की आयु/जन्मतिथि का प्रमाणित आधार के साथ नहीं बता सकते हैं। याददाश्त के आधार पर अलग–अलग समय में आयु बताने पर कुछ अंतर आ सकता है किंतु इसका यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वर्षों पूर्व जब उन्होंने स्कूल में प्रवेश के समय जन्मतिथि लिखाई थी तब वह गलत लिखाई गई थी।

(15) कई प्रकरणों में स्कूल के दस्तावेज पेश करने वाले साक्षी (अध्यापक) से पूँछा जाता है कि क्या ग्रामीण क्षेत्र में या कमजोर आर्थिक तवके के लोग अपने बच्चों की स्कूल में उम्र 2–3 वर्ष कम करके लिखा देते है। चूंकि इस प्रकार का कोई तथ्यात्मक प्रमाण/रिकार्ड/शोध नहीं है अतः ऐसे काल्पनिक प्रश्नों से बचने की सलाह भी गवाहों को दी जा सकती है।

(16) बचाव पक्ष की ओर से कई बार न्यायालय में माता/पिता से उनकी शादी के समय की उम्र, शादी के बाद पहले बच्चे के जन्म और अन्य बच्चों के जन्म/आपसी अंतर के प्रश्न पूंछे जाते हैं और इस आधार पर पीड़ित बच्चे की उम्र का अनुमान लगाकर उसे **'अवयस्क'** न होना स्थापित किया जाता है। विवेचक/पर्यवेक्षक का दायित्व है कि वह स्क्रूटिनी के समय अभियोजक को समझावे कि यदि माता/पिता के द्वारा याददाश्त के आधार पर प्रश्नगत बच्चे की लिखाई गई जन्मतिथि प्रथम दृष्टया ही विश्वास योग्य नहीं है, तो अनुमान और याददाश्त के आधार पर उनके द्वारा बताई गई स्वंय की उम्र और 20–25 वर्ष पहले हुई स्वयं की शादी की तिथि, शादी के समय उम्र, बच्चे का जन्म और शादी के बीच का अंतर, विभिन्न बच्चों के बीच का अंतर यह सब भी काल्पनिक प्रश्न है और इनके उत्तर भी उतने ही विश्वसनीय है जितने की प्रश्नगत बच्चे की उम्र के विषय में दिया गया उत्तर। अतः ऐसे प्रश्नों पर लोक अभियोजक तुरंत **"आपत्ति"** लगावे और आपत्ति अमान्य होने पर **"पुर्नपरीक्षण"** के माध्यम से इन प्रश्नों का जबाव भी बिना ठोस साक्ष्य के दिया जाना स्थापित

करें। उपयुक्त प्रकरणों में इस बिन्दु पर माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में अपील की जावे।

(17) बचाव पक्ष प्रश्नगत बच्चे की आयु निर्धारण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1988 में दिए गए **'विरदेमल सिंघवी' प्रकरण (1988 AIR 1796 SC)** में दिये गये निर्णय का हवाला देते हैं कि माता–पिता ही बच्चे की आयु बताने के विषय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी है। इस विषय में यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उक्त निर्णय लोक प्रतिनिधित्व कानून में उम्मीदवार की आयु निर्धारण के मुददे पर वर्ष 1988 में दिया गया था। तब जे.जे.एक्ट और पाक्सो एक्ट नहीं था। यह दोनों कानून बच्चों के कल्याण के लिए उनके हितों की रक्षा के लिये बनाए गए हैं। न्यायालय में यह तथ्य प्रभावी ढंग से रखा जावे कि केवल धारा 94 जे.जे. एक्ट में परिभाषित प्रमाणपत्र ही बच्चों के द्वारा/बच्चों के विरूद्ध अपराध के मामले में उनकी आयु निर्धारण के लिए वैधानिक रूप से आवश्यक दस्तावेज है। इसे घटना से कई वर्ष पूर्व जब भविष्य में घटना होने/हो जाने का कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था, तब स्वाभाविक रूप से तैयार किया गया दस्तावेज था। साथ ही यह भी रखा जावे कि अलग–अलग उद्देश्यों के लिये अलग–अलग कानूनों में आयु निर्धारण की अलग–अलग प्रक्रिया हो सकती है। यह प्रभावी रूप से रखा जावे कि विरदे मान सिंघवी प्रकरण जे.जे.एक्ट और पॉक्सो एक्ट प्रकरणों में लागू नहीं होता है और पीड़ित बालक/बालिका की आयु निर्धारण में केवल जे.जे.एक्ट 2015 की धारा 94 ही प्रभावी कानून है। इसमें माता–पिता के मौखिक साक्ष्य की कोई भूमिका नहीं है।

(18) कई प्रकरणों में यह संभव है कि विभिन्न कारणों से विभिन्न दस्तावेजों में आयु/जन्मतिथि में अंतर हो सकता है। उदाहरणार्थ पूर्व में जब अभियान के तौर पर आधारकार्ड बनाए जा रहे थे तो बहुत से कार्डों में जन्मतिथि के स्थान पर केवल वर्ष ही लिखा जाता है। राशनकार्ड में अतिरिक्त राशन ले लेने के उद्देश्य से आयु कम/ज्यादा लिखाई जा सकती है। वोटरकार्ड में भी ऐसा हो सकता है। कई बार डाटा की शुद्धता डाटा संग्रह करने वाले की गंभीरता एवं उद्देश्य पर निर्भर करता है। किंतु स्कूल में प्रवेश के समय जन्मतिथि का लेखन हमेशा सावधानीपूर्वक होता है अतः अपराधिक कानून में इसे ही मान्यता दी गई है। अतः विभिन्न स्त्रोतों में जन्मतिथि/आयु का अंतर होने पर यह तर्क रखा जावे कि बच्चों से संबंधित आपराधिक कानून में धारा 94 जे.जे.एक्ट 2015 के प्रावधान ही मान्य है।

(19) न्यायालय में आरोपी यदि घटना के समय पीड़िता के **'वयस्क'** होने का **'बचाव'** तर्क देता है और स्कूल रिकार्ड के आधार पर पीड़ित **'अवयस्क'** है, तो आरोपी के परीक्षण के दौरान अभियोजक द्वारा आरोपी से उसके प्रतिपरीक्षण में विशेष तौर पर पूछा जाना चाहिये कि उसके पास घटना के समय पीड़ित को **'वयस्क'** मानने के क्या साक्ष्य/आधार थे? क्या उसने पीड़ित के माता–पिता से पुष्टि की थी? क्या उसने स्कूल में प्रवेश देने वाले अध्यापक से पुष्टि की थी? आदि–आदि। धारा 94 जे.जे.एक्ट 2015 के प्रावधानों की मंशा के अनुसार महत्वपूर्ण यह नहीं है कि घटना के समय पीड़ित की **''जैविक आयु''** क्या थी? महत्वपूर्ण यह है कि स्कूल में प्रवेश के रिकार्ड के अनुसार दस्तावेजों में अंकित आयु क्या थी?

यदि उपरोक्तानुसार आयु सम्बधी साक्ष्य सावधानीपूर्वक संग्रह किया जाता है तो बड़ी संख्या में पीड़िता का अवयस्क होना स्थापित किया जा सकता हैं अवयस्क पीड़ित को POCSO ACT, J.J.ACT एवं साक्ष्य अधिनियम में कई संरक्षण प्राप्त हैं। अवयस्क के पक्ष में और आरोपी के विरूद्ध Presumption भी धारा 29 POCSO ACT और धारा 114–A साक्ष्य अधिनियम में हैं।

परिपत्र की प्रति प्रत्येक पर्यवेक्षण, थाना प्रभारी एवं विवेचक एवं अभियोजन अधिकारियों तक पहुँचाना सुनिश्चित करें तथा जिलें में आगामी प्रशिक्षण में विवेचकों को इस विषय में सवेंदित करें।

(पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित)

23/5/19

(अन्वेष मंगलम)
अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) विशेष पुलिस महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन संचनालय म.प्र. भोपाल, कृपया उक्त टीप सभी लोक अभियोजकों/अभियोजन अधिकारियों को प्रसारित करने और उनका इसमें प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें ताकि पॉक्सो एक्ट में प्रभावी अभियोजन हो सके।

(2) अ.म.नि.(अअवि),(रेल),(अजाक) पुलिस मुख्यालय भोपाल म.प्र.।

(3) अ.म.नि.(SCRB) पु.मु. भोपाल की ओर वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु।

(4) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक मध्यप्रदेश/पुमनि (रेल) पुमनि (जोनल)महिला अपराध शाखा, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं भोपाल।

(5) समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक मध्यप्रदेश।

(6) प्रभारी डब्ल्यू–01 रिकार्ड संधारण हेतु।

(7) समनि/डीजीपी, म.अप.हेतु/

23/5/19.

अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश
(महिला अपराध शाखा)
(CRIME AGAINST WOMEN)

पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल – 462 008
POLICE HEAD QUARTERS, JEHANGIRABAD, BHOPAL - 462 008
दूरभाष : 0755–2443568 (कार्यालय) / फैक्स 0755–2440107

क्रमांक / **File No-/** अति.म.नि / महिला अपराध / परिपत्र / नि.स. / 2247 / 2019 **Dt. 24/5/2019**

परिपत्र

प्रति,

(1) उप पुलिस महानिरीक्षक(शहर)
रेंज भोपाल एवं इन्दौर म.प्र.।

(2) समस्त पुलिस अधीक्षक,मध्यप्रदेश।

(3) समस्त रेल पुलिस अधीक्षक,मध्यप्रदेश।

विषय – नाबालिग बालक / बालिकाओं को बाल–कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यवाही कराऐ जाने विषयक।

उपरोक्त विषयाकित संबंध में लेख है कि एक जिले की बाल कल्याण समिति ने पुलिस मुख्यालय को लिखा है कि अवयस्क बालक / बालिकाओं को पुलिस द्वारा स्वयं निर्णय लेकर नारी निकेतन भेजा जा रहा है । इस संबंध में विधिक राय इस प्रकार है धारा 31 के प्रावधानो के अनुसार ऐसे बालक / बालिकाओं जिन्हें धारा 2(14) जे.जे. एक्ट 2015 मे **"देखरेख एवं संरक्षण के लिये जरूरतमंद बालक"** परिभाषित किया गया है, के पुलिस द्वारा दस्तयाब होने पर तात्कालिक तौर पर बाल कल्याण या पुलिस अधिकारी के प्रभार में रखा जा सकता है किंतु उसे 24 घंटे के अंदर (यात्रा के समय को छोड़कर) बाल कल्याण समिति के समक्ष आवश्यक रूप से पेश किया जाना चाहिये।

(2) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 2 (14) मे **"देखरेख एवं संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक" को निम्न प्रकार पारिभाषित किया गया है।**

" देखरख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक से अभिप्राय ऐसे बालक से है –

(i) जो किसी गृह या निश्चित निवास स्थान के बिना और जीवन निर्वाह के किसी दृश्यमान साधन के बिना पाया जाता है, या

(ii) जो तत्समय प्रवर्त श्रम विधियो का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है या भिक्षावृति करते हुए या आवारा पाया जाता है, या

(iii) जो किसी व्यक्ति (चाहे बालक का संरक्षक हो या न हो) के साथ निवास करता है और ऐसे व्यक्ति ने –

(क) बालक को क्षतिग्रस्त, शोषित, दुरूपयोजित या उपेक्षित की है अथवा बालक के संरक्षण के लिए आशयित तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि का उल्लंघन किया है, या

(ख) बालक का वध करने, क्षति पहुँचाने, दुरूपयोग करने की धमकी दी है, या

(ग) किसी अन्य बालक या बालकों को मार दिया, दुरूपयोग किया, शोषण किया और उस व्यक्ति द्वारा प्रश्नगत बालक के मारे जाने, दुरूपयोग किए जाने शोषित किए जाने या उपेक्षित किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है, या

(iv) जो मानसिक रूप से बीमार या मानसिक या शारीरिक रूप से कठिनाईग्रस्त या संघातिक या असाध्य रोग से ग्रस्त है, कोई व्यक्ति सहायता देने या देखभाल करने के लिए नही है या देखरेख करने के योग्य माता–पिता या संरक्षक नही है यदि बोर्ड या समिति द्वारा ऐसा पाया गया है,

(v) जिसके माता–पिता या संरक्षक हैं और ऐसे माता–पिता या संरक्षक को, समिति या बोर्ड द्वारा बालक की सुरक्षा और भलाई के लिए देखरेख करने और संरक्षित करने के लिए अयोग्य या अक्षम पाए गए हैं, या

(vi) जिसके माता–पिता नहीं हैं और कोई भी व्यक्ति उसकी देखरेख करने का इच्छुक नही है या जिसके माता–पिता उसका परित्याग या अभ्यपर्यण कर दिए हैं, या

(vii) जो खोया हुआ या भगोड़ा बालक है या जिसके माता–पिता, ऐसे रीति में, जो विहित की जाए, युक्तियुक्त पूछताछ करने के पश्चात भी नही पाया जा सकता है, या

(viii) जिसका लैंगिक दुरूपयोग या अवैध कार्यों के प्रयोजन के लिए दुरूपयोग किया, यातना दी या शोषण किया गया है, या ऐसा किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है, या

(ix) जिसे असुरक्षित पाया जाता है और इस बात की संभावना है कि उसे मादक द्रव्यों के दुरूपयोग या दुर्व्यापार के कार्य में लगा दिया जाएगा, या

(x) जिसका लोकात्मक के विरूध्द अभिलाभों के लिए दुरूपयोग किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है, या

(xi) जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सिविल अशांति अथवा दैवी आपदा का शिकार है, या

(xii) जो विवाह की आयु प्राप्त करने के पूर्व आसन्न जोखिम में है और जिसके माता–पिता कौटुम्बिक सदस्यों, संरक्षक और किन्ही अन्य सदस्यों के, ऐसे विवाह के अनुष्ठान के लिए उत्तरदायी होने की संभावना है।

इस प्रकार धारा 2 (14) एवं धारा 31 के प्रावधान से यह स्पष्ट है कि अवयस्क बालक/बालिकाओं को पुलिस द्वारा यदि ऐसे बालक/बालिका के माता/पिता/वैध संरक्षक को नहीं सौंपा जा रहा है तो "बाल कल्याण समिति" के समक्ष आवश्यक रूप से पेश किया जावेगा और अग्रिम कार्यवाही बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार की जावेगी।

(3) बाल कल्याण समिति को ऐसे बालक/बालिकाओं को प्रस्तुत करते समय पुलिस को प्रकरण के विषय में उपलब्ध समस्त जानकारी, सुझाव, आपतियॉ भी प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। यदि पुलिस की राय में ऐसे किसी बालक/बालिका को किसी व्यक्ति/समूह/परिवार चाहे वह माता–पिता संरक्षक ही क्यों न हों, को समिति द्वारा सौंपने में आपत्ति हो तो ऐसी "आपत्ति" भी प्रतिवेदन में स्पष्ट लिख देना चाहिए।

कृपया, तदनुसार सभी अधीनस्थ पर्यवेक्षक अधिकारी, थाना प्रभारी एवं विवेचकों को प्रशिक्षित किया जाना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण के दौरान मूल अधिनियम /नियमों का पाठ कराया जावें। निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावें। पर्यवेक्षण अधिकारी थाना भ्रमण/निरीक्षण के समय **"दस्तयाब"** बालकों के निराकरण का अध्ययन कर देखें कि थानों में J.J. Act 2015 के प्रावधानों का पालन हो रहा हैं।

(पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित।)

23/5/19

(अन्वेष मंगलम)
अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः–

(1) अ.म.नि.(अ.अ.वि.),(अजाक),(रेल) की ओर सूचनार्थ।
(2) अ.म.नि.(SCRB) कृपया परिपत्र म.प्र. पुलिस की वैबसाइड पर अपलोड करने हेतु।
(3) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।
(4) समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।
(5) पु.म.नि./उ.म.नि/स.म.नि. (महिला अपराध) भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर।
(6) स.म.नि.(महिला अपराध) शाखा पु.मु./उप संचालक अभियोजन (महिला अपराध) शाखा/परिपत्र की गार्ड फाइल।

23/5/19.

अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग) मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक–अअवि/जेएबी/फा.न. 75/12-31/डी-723/2017 दिनांक 12.12.2017
प्रति,

1. वरिष्ट पुलिस अधीक्षक/उमनि
   जिला भोपाल/इन्दौर
2. समस्त पुलिस अधीक्षक, म0प्र0
3. समस्त रेल पुलिस अधीक्षक, म0प्र0

विषयः– गुम इंसान जाँच/अनुसंधान के संबंध में मानक प्रक्रिया (Standard Operating Procedure - SOP) एवं **चैक लिस्ट** ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रदेश की विभिन्न इकाईयों में गुम अवयस्क बालक/बालिकाओं के संबंध में अपराधिक प्रकरण पंजीबद्व किये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त वयस्क महिला/पुरूष के गुमने पर गुम इंसान को खोजने के लिये भी जाँच की जाती है । पूर्व में इस संबंध में समय–समय पर विभिन्न निर्देश जारी किये गये हैं ।

विभिन्न इकाईयों में गुम अवयस्क बालक/बालिकाओं तथा गुम वयस्क इंसानों को खोजने के प्रयास विभिन्न विवेचकों द्वारा किये जाते हैं, किन्तु उसमें एकरूपता का अभाव पाया जा रहा है । कुछ प्रकरणों में गुम इंसान के परिजनों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में " Habeas Corpus " भी लगाई जाती है । ऐसे प्रकरणों के अवलोकन पर यह पाया गया है क़ि कुछ विवेचकों द्वारा यदि प्रारंभिक तौर पर समुचित प्रयास कर लिये गये होते तो गुम इंसान को खोजने में संभवतः विलम्ब नहीं होता ।

अतः ऐसे पंजीबद्व अपराधिक प्रकरणों एवं गुम इंसान की जाँच के संबंध में एक मानक प्रक्रिया (Standard Operating Procedure-SOP)तैयार कर मार्गदर्शी सिद्धान्त के रूप में संलग्न प्रेषित हैं ।

कृपया आपके अधीनस्थ समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों एवं थानों में तैनात थाना प्रभारी के अतिरिक्त समस्त विवेचकों को इस मानक प्रक्रिया से अवगत करावें ताकि भविष्य में इसमें उल्लेखित अधिकांश बिन्दुओं विशेषतः " **चैक लिस्ट** " का पालन करने से " गुम इंसान " को खोजने के प्रयासों में और तेजी लाई जा सकती है । कृपया इसमें दिये गये निर्देशों का यथासंभव पालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

सलंग्नः- 1 से 14 पृष्ठ

12/12/17

(कैलाश मकवाणा)
अति0 पुलिस महानिदेशक
अअवि. पुमु. भोपाल
हेतु- पुलिस महानिदेशक,
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. समस्त विशेष पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश भोपाल
2. समस्त अति0 पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश भोपाल
3. अति0 पुलिस महानिदेशक जोन इन्दौर/उज्जैन/बालाघाट/रेल, मध्यप्रदेश भोपाल
4. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश
5. पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन)/(समन्वय) अअवि. पुमु. भोपाल
6. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश
7. उप पुलिस महानिरीक्षक(मुख्यालय) अअवि. पुमु. भोपाल
8. समस्त सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अअवि. पुमु. भोपाल
9. प्रभारी अधिकारी जोनल कार्यालय अअवि इन्दौर/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर/1 रीवा/भोपाल
10. समस्त डीपीओ/एडीपीओ अअवि. पुमु. भोपाल

(कैलाश मकवाणा)
अति0 पुलिस महानिदेशक
अअवि. पुमु. भोपाल
हेतु-पुलिस महानिदेशक,
मध्यप्रदेश, भोपाल

गुम इंसान जाँच/अनुसंधान से संबंधित मानक प्रक्रिया
(Standard Operating Procedure – S.O.P.)

किसी व्यक्ति के गुमने की रिपोर्ट/सूचना पर पुलिस अधिकारी द्वारा की जा रही जाँच किसी भी समय उस पुलिस अधिकारी के लिए एक चुनौतीपूर्ण अपराध के अनुसंधान कार्य में परिवर्तित हो सकती है। गुम व्यक्ति की सूचना मिलने पर कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी को ऐसी घटना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना चाहिए जैसे कि क्या गुम व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार हुआ है ? क्या उसका अपहरण हुआ है ? क्या उसके साथ कोई अन्य अपराध हुआ है ? अथवा क्या वह अपनी किसी सामाजिक, आर्थिक अथवा मानसिक परिस्थितिवश स्वयं ही बिना बताये कहीं चला गया है ? आदि।

गुमइंसान की दस्तायाबी को महत्वपूर्ण कार्य समझते हुये पतारसी/सुरागरसी हेतु थाना प्रभारी को सर्वप्रथम टीम का गठन करना चाहिये एवं गुमशुदा की परिस्थितियों अनुसार दस्तयाबी हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार करना चाहिये। प्रकरण विशेष की संवेदनशीलता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक स्तर पर विशेष अनुसंधान दल का भी गठन आवश्यकतानुसार किया जाना चाहिए।

सूचना मिलने पर गुम इंसान प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :

गुम इंसान से संबंधित रिपोर्टकर्ता/सूचनाकर्ता सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जिसे घटना के संबंध में अधिकतम जानकारी हो सकती है। अतः इसे बड़े ही ध्यान से सुनकर अविलंब रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिये।

गुम व्यक्ति प्रकरण दर्ज करने की सूचना संबंधित गुम व्यक्ति के आखिरी बार देखे जाने के संभावित समय का स्पष्ट उल्लेख करते हुए दर्ज करें। इस रिपोर्ट में, गुम इंसान का सम्पूर्ण विवरण जिसमें उसके नाम व उर्फियत (निकनेम), माता–पिता/पति का नाम, उम्र, ऊँचाई, रंग, लिंग जाति/समाज, व्यवसाय, अस्थाई/स्थाई पता, पहने हुए कपड़ों, जूते आदि का विवरण, कोई विशिष्ट शारीरिक पहचान, अपंगता, मानसिक अथवा अन्य व्याधियों का विवरण, बोलचाल का लहजा, गुमशुदा के पास होने वाले सामान, आभूषण की सूची, रिश्तेदारियों की जानकारी, आम आदतें, मोबाईल नंबर, ई–मेल आई.डी., आधार कार्ड आदि की जानकारी समाहित हो। यथासंभव परिजनों द्वारा बताये गये गुमशुदा के मिलने के संभावित स्थानों की जानकारी, कार्यस्थल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, मित्रता एवं रंजिश की जानकारी, अपहरण की संभावना एवं कारण संबंधी जानकारियों का समावेश भी रिपोर्ट में करना चाहिये। गुम इंसान का अद्यतन रंगीन फोटोग्राफ व संबंधित सूचनाकर्ता/रिश्तेदारों के सम्पर्क विवरण (फोन नंबर, पते आदि की जानकारी) प्राप्त कर संबंधित फाइल में अभिलेख करें।

यह प्रायः देखने में आया है कि गुम व्यक्ति के संबंध में रिपोर्ट होने पर उसकी आयु संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने, आस–पास रिश्तेदारी में तलाश करने का कहकर गुम इंसान प्रकरण दर्ज करने में टालमटोल की जाती है। प्रकरण विलंब से दर्ज करने पर अधिकांशतः महत्वपूर्ण साक्ष्य विलोपित हो जाती है, यहां तक कि कई मौकों पर गुमशुदा की जान का खतरा

भी उत्पन्न हो जाता है। अतः गुम व्यक्ति के संबंध में रिपोर्ट होने पर गुम इंसान प्रकरण अथवा गुम व्यक्ति नाबालिग होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ललिता कुमारी विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (2013) में जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सुसंगत धाराओं में आपराधिक प्रकरण अविलंब पंजीबद्ध करें। यदि सूचनाकर्ता अन्य थाना क्षेत्र से संबंधित गुम व्यक्ति की सूचना देता है तब भी गुम इंसान प्रकरण जीरो नंबर पर तत्काल पंजीबद्ध कर संबंधित थाने को प्रकरण स्थानान्तरित करें, किंतु किसी भी परिस्थिति में गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब न हो, यह सुनिश्चित करें।

गुम इंसान प्रकरण पंजीबद्ध होने के उपरान्त तत्काल उसे जाँचकर्ता/अनुसंधानकर्ता अधिकारी के सुपुर्द कर देना चाहिये। जाँच/अनुसंधान में तत्परता दिखाते हुये जाँचकर्ता/विवेचक को सर्वप्रथम रिपोर्टकर्ता/सूचनाकर्ता के विस्तृत कथन लेने चाहिए जिसमें प्रथम पृष्ठ चतुर्थ पैराग्राफ अनुसार सम्पूर्ण जानकारी समाहित होनी चाहिए।

गुम इंसान के संबंध में सूचना मिलने पर जाँचकर्ता/विवेचक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :

गुम इंसान प्रकरण की जांच हस्तगत करते ही संबंधित जांचकर्ता/विवेचक द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही तुरंत की जावे। यह ध्यान में रखना नितांत आवश्यक है कि शिकायत प्राप्त होने के प्रथम 07 दिवसों में किए जाने वाले प्रारंभिक प्रयास अत्यंत महत्व के हैं और इसलिए सभी सबंधितों को गुम व्यक्ति के संबंध में सूक्ष्मता से ध्यानपूर्वक निगरानी एवं समन्वय करना चाहिए–

1. गुमशुदा के हुलिया एवं पहचान संबंधी जानकारी का वितन्तु संदेश तैयार कर तत्काल जिले एवं प्रदेश के समस्त थानों को सूचित करने के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसारित करना चाहिये।

2. जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो को गुम इंसान के संबंध में तत्काल सम्पूर्ण विवरण सहित सूचित करें। गुम व्यक्ति के संबंध में मानव दुर्व्यापार ईकाई/बाल अपराध ईकाई एवं पुलिस मुख्यालय को रोजनामचा में दर्ज सूचना की प्रति भेजें।

3. गुम व्यक्ति के संबंध में जानकारी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से भी साझा करें। माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश के पालन में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में भी एक गुम बालक/व्यक्ति प्रकोष्ठ का गठन इस संबंध में किया गया है। संबंधित पता है– प्रभारी अधिकारी, गुम बालक–बालिका/व्यक्ति प्रकोष्ठ, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्लॉट नंबर 5–बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110 003।

4. वर्तमान युग इलेक्ट्रॉनिक युग है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति मोबाईल/स्मार्टफोन का उपयोग करता है। गुमशुदा के मोबाईल नम्बरों, मोबाईल फ़ोन की आई.एम.ई.आई., ई–मेल आई डी, फेसबुक, व्हाट्स एप्प, ट्विटर अकाउण्ट संबंधी जानकारी तत्काल प्राप्त करना चाहिये। कुछ समय अंतराल पर गुमशुदा के मोबाईल फ़ोन हेंडसेट का आई.एम.

ई.आई. सर्च कराते रहना चाहिए।

5. यदि गुमशुदा के पास कोई मोबाईल है तो मोबाईल सिम की संबंधित सेवा प्रदाता कंपनी से गुमशुदा के मोबाईल की सी.डी.आर. (कॉल डिटेल रिपोर्ट), सी.ए.एफ. (कस्टमर एप्लीकेशन फार्म) अविलम्ब प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये एवं सायबर सेल/तकनीकि सेल के माध्यम से गुमशुदा का अंतिम टावर लोकेशन प्राप्त करना चाहिये। यदि मोबाईल फोन उपयोग हो रहा है अथवा आई.एम.ई.आई. नंबर के आधार पर नया नंबर प्राप्त कर लिया गया है तो टावर लोकेशन प्राप्त कर मोबाईल यूजर की तलाश के प्रयास कुछ समय अंतराल से करते रहना चाहिए। गुमशुदा व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाये जा रहे मोबाईल का रिचार्ज किस प्रकार किस रिटेलर के माध्यम से किया गया है, यह ज्ञात करने से, गुमशुदा के लोकेशन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

6. गुमशुदा की सी.डी.आर. (कॉल डिटेल रेकार्ड) का विस्तृत परीक्षण करना चाहिये जिसके आधार पर बी पार्टियों से पूछताछ कर दस्तयाबी का प्रयास करना चाहिये। कॉल विवरण अनुसार गुम व्यक्ति के अंतिम तथा फ्रिक्वेंट कॉलर्स से गुम व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए।

7. यदि गुमशुदा का मोबाईल बरामद होता है तो मोबाईल फोन का डेटा जैसे वीडियो, आडियो एवं अन्य फाईल्स का गुमशुदा की तलाश के उद्देश्य से विश्लेषण करना चाहिए। मोबाईल फोन/लेपटॉप/टेबलेट में व्यक्ति से संबंधित कई जानकारियाँ स्टोर होती हैं जैसे उसके द्वारा एक्सेस की जाने वाली वेबसाइट्स, सर्च इंजिन, सोशल नेटवर्किंग साइट की जानकारी जिनसे गुम व्यक्ति के ऐसे मित्र/सम्पर्कों का पता लग सकता है जो परिवारजनों की जानकारी में न हों। मोबाईल फोन के जी.पी.एस. ट्रेकर के माध्यम से उस व्यक्ति के मूवमेंन्ट के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मोबाईल फोन के बारीकी से विश्लेषण से कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मोबाईल धारक के संबंध में प्राप्त की जा सकती हैं।

8. गुम व्यक्ति की व्यक्तिगत डायरी, लेपटॉप, कम्प्यूटर, मोबाईल फोन (यदि उपलब्ध है तो) आदि का परीक्षण करना भी गुम होने के कारण निर्धारित करने के उद्देश्य से करना महत्वपूर्ण होगा। उपरोक्त दस्तावेज/उपकरणों के परीक्षण/विश्लेषण से गुम व्यक्ति कहां चला गया है, इस संबंध में सूत्र मिल सकता है।

9. यदि किसी फिरौती को लेकर अपहरण किया गया हो तो उस व्यक्ति से संबंधित परिजनों के मोबाईल फोन्स का संबंधित विधि अनुरूप नियमानुसार अंतारोधन किया जा सकता है, जिससे फिरौती संबंधी कॉल आने पर आरोपीगण एवं अपहृत को बरामद करने में सहायता मिल सकती है। इस संबंध में कार्यवाही काफी सूझबूझ से तथा संबंधित विधिक प्रावधानों का अनुपालन कर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में करनी चाहिये ताकि कोई अप्रिय परिणाम सामने न आयें।

10. गुमशुदा के बैंक खातों की जानकारी प्राप्त कर उसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउण्ट भी प्राप्त करना चाहिये एवं उसमें डेबिट, क्रेडिट की प्रविष्टियों अनुसार ए.टी.एम. के फुटेज प्राप्त करना चाहिये। यदि स्टेटमेंट ऑफ अकाउण्ट के विश्लेषण में कोई विशेष तथ्य प्रकाश में आयें जैसे भारी रकम का खाते में क्रेडिट होना या भारी रकम का खाते से डेबिट होना तो इन तथ्यों पर भी जाँच/अनुसंधान करना चाहिये। उपरोक्त खाता विवरणों से गुम व्यक्ति के ए.टी.एम./डेबिट कार्ड का किस शहर में किस ए.टी.एम. बूथ अथवा आउटलेट पर उपयोग हुआ है, इसका पता मिल सकता है।

11. ए.टी.एम./डेबिट कार्ड की ही तरह गुम व्यक्ति द्वारा पे टी.एम./एयरटेल मनी/एस. बी.आई.बडी/आइडिया मनी जैसे ई–वॉलेट का भी उपयोग किया जा सकता है। गुमने की रिपोर्ट के उपरांत गुम व्यक्ति के ई–वॉलेट के उपयोग संबंधी जानकारी प्राप्त कर गुम व्यक्ति अथवा संबंधित यूजर की लोकेशन पता लगाई जा सकती है।

12. Makemytrip.com, goibibo.com, trivago.com, oyo.com आदि होटल बुकिंग एवं टूरिस्ट वेबसाइट्स पर बुकिंग की जानकारी गुम व्यक्ति के संबंध में प्राप्त करना चाहिए। संभव है कि गुम व्यक्ति द्वारा होटल अथवा किसी टूरिस्ट स्पॉट पर भ्रमण के लिए बुकिंग की गई हो।

13. वर्तमान समय में अधिकतर व्यक्ति अपने पास क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग कार्ड आदि रखते है जिनमें उस व्यक्ति से संबंधित डेटा स्टोर होता है। गुमशुदा से संबंधित ऐसे कार्ड्स की जानकारी प्राप्त कर संबंधित कंपनियों से उन कार्ड्स के एक्सेस के संबंध में जानकारी प्राप्त कर पतारसी/दस्तयाबी के प्रयास करना चाहिये।

14. जाँचकर्ता/अनुसंधानकर्ता को इंटरनेट के माध्यम से अवयस्क गुम व्यक्तियों के लिए विभिन्न वेबसाईटों जैसे ncrb.nic.in, www.missingindiakids.com, trackthemissingchild.gov.in, Facebook page : No more missing, "National Centre for Missing Children" तथा whatsapp # 7042425544 आदि को सर्च करते रहना चाहिये जहाँ गुमशुदा से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो सकती है। जबकि वयस्क गुम व्यक्तियों के लिए वेबसाईटों जैसे missingperson.tg.nic.in, missingpeopleinfo.com को सर्च किया जा सकता है।

15. गुम व्यक्ति के संबंध में यदि वह बालक/बालिका है तो विभिन्न बालगृहों, अनाथालयों, आश्रय स्थलों पर, वृद्ध गुम व्यक्ति की वृद्धाश्रमों एवं महिलाओं की तलाश क्षेत्र के नारी निकेतनों व महिला आश्रय स्थलों में भी करनी चाहिए। विभिन्न अनाथालयों (970 अनाथालयों) की सूची व सम्पर्क विवरण वेबसाइट–www.indianorphanage.net पर उपलब्ध है। इसी तरह इंटरनेट पर विभिन्न संस्थाओं जैसे Helpage India से संबंधित वेबसाइट oldagesolutions.org पर वृद्धाश्रमों की सूची व सम्पर्क विवरण हैं।

उपरोक्तानुसार उपलब्ध सम्पर्क विवरणों पर विभिन्न आयुवर्ग के गुम व्यक्तियों के होने संबंधी संभावना तलाश की जा सकती है।

16. गुमशुदा की तलाश हेतु वर्तमान में प्रचलित सोशल मीडिया व्हाट्स एप्प ग्रुप, फेसबुक आदि के माध्यम से गुमशुदा की फोटो एवं अन्य जानकारियाँ प्रसारित/प्रचारित करना चाहिये। गुमशुदा की तलाश सूचना पत्र (Hue & Cry Notice) तैयार कर जारी करना चाहिए। उपरोक्त फोटोयुक्त गुमशुदा की तलाश सूचना पत्र को लोक समागम के महत्वपूर्ण स्थानों जैसे रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, महत्वपूर्ण बाजारों, सीमावर्ती चेक–पोस्ट आदि स्थानों पर संबंधित पुलिस स्टेशन के सम्पर्क विवरण सहित चस्पा करना चाहिए। यह कार्यवाही यथाशीघ्र करना चाहिए तथा किसी भी स्थिति में सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह की अवधि में किया जाना चाहिए।

17. गुमशुदा के फोटो एवं पहचान संबंधित जानकारियों को पारम्परिक माध्यमों जैसे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित कराना चाहिये। राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में भी गुम व्यक्ति के फोटोग्राफ एवं विवरण सहित सूचना प्रकाशित कराना चाहिए।

18. यदि सूचनाकर्ता/गुमशुदा के परिजनों द्वारा गुमशुदा के साथ काई अपराध घटित होने की आशंका व्यक्त की हो तो तत्काल तलाशी अभियान तेज कर देना चाहिये एवं उपलब्ध जानकारी पर तत्काल कार्यवाही करते हुये सभी संदिग्ध स्थानों की तलाशी एवं संदिग्ध व्यक्तियों से प्राथमिकता के तौर पर पूछताछ करना चाहिये तथा प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित विधिक प्रावधानों का पालन कर रेड एवं तलाशी की कार्यवाही की जाना चाहिए।

19. पारंपरिक पुलिसिंग के तहत मुखबिर तंत्र के माध्यम से गुमशुदा एवं उसके परिवार तथा उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ तत्काल संकलित करना चाहिये। ऐसे संगठित गिरोह जो बच्चों से भिक्षावृत्ति कराने, देह व्यापार, मानव अंग व्यापार, मानव दुर्व्यापार जैसे अपराधों में लिप्त हों, के संबंध में अपने–अपने क्षेत्र में सूचना तंत्र विकसित करें जिससे गुम/अपहृत व्यक्तियों के संबंध में समय रहते सूत्र मिल सके।

20. गुमशुदा की दस्तयाबी हेतु उससे संबंधित अधिक से अधिक लोगों से पूछताछ कर कथन लेख करना चाहिये विशेष रूप से ऐसे परिजनों/मित्रों के कथन लेख करें जिनसे गुमशुदा की प्रगाढ़ता रही हो। परिजनों/मित्रों के अलावा अन्य शहर में निवासरत रिश्तेदारों, कार्यस्थल के लोगों एवं अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ करना चाहिये। अनुसंधानकर्ता अधिकारी को तत्काल उस व्यक्ति से जो मौके पर उपस्थित था अथवा जिसने गुम व्यक्ति को अंतिम बार देखा उनसे जांच के दौरान संभावित संदिग्धों के बारे में जानकारी एकत्रित करना चाहिए तथा बिना समय गंवाये ऐसे संदिग्धों से पूछताछ करना चाहिए।

21. बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन एवं अन्य संभावित स्थान जहाँ भी सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित हों, उनके फुटेज के माध्यम से दस्तयाबी के प्रयास करना चाहिये।

22. सीमावर्ती चेक–पोस्ट को गुम इंसान के संबंध में तत्काल सूचना दी जानी चाहिए। यदि गुम व्यक्ति कोई बालक/बालिका है तो चेक–पोस्ट स्टॉफ को अवगत करावें कि यदि कोई व्यस्क व्यक्ति किसी बालक/बालिका के साथ है तथा उनके प्रति उस व्यस्क व्यक्ति का व्यवहार असामान्य है तो चेक–पोस्ट पर वाहन चैकिंग के दौरान उससे अवश्य पूछताछ की जावे।

23. यदि गुम व्यक्ति बालक/बालिका है तो संबंधित की अभिरूचि अनुसार शॅपिंग मॉल, एम्यूजमेंट पार्क, गेम्स पार्लर आदि स्थानों पर भी गुम बालक/बालिका की तलाश की जाना चाहिए।

24. आवश्यकतानुसार संबंधित क्षेत्र में गुम इंसान के संबंध में लाउड स्पीकर आदि से मुनादी की जाना चाहिए।

25. गरीब गृह, बालगृह, रैन बसेरा, धर्मशालायें, नारी निकेतन, अस्पतालों, गैर शासकीय संस्थाओं के अभिलेख आदि भी गुम इंसान के संबंध में चैक करें।

26. गुम व्यक्ति जिस क्षेत्र में निवासरत/कार्यरत हो वहां नदी, नाला आदि होने पर, विशेष रूप से वर्षा ऋतु में, नदी अथवा नाले के बहाव की दिशा में तलाश की जाना चाहिए तथा बहकर आये हुए शवों के बारे में पता लगाकर गुम इंसान से मिलान करना चाहिए।

27. जिले/प्रदेश के अन्य थानों में दर्ज अज्ञात मर्ग से गुम व्यक्ति की उम्र, शारीरिक बनावट, पहचान चिन्ह आदि का मिलान होने पर संबंधित परिजनों से यथाशीध्र तस्दीक करा लेना चाहिये। यदि किसी मर्ग में पहचान स्थापित नहीं हो तो उसका डी.एन.ए. सेम्पल एवं पहचान हेतु अंगुल चिन्ह आदि को सुरक्षित करा लेना चाहिये।

28. जाँचकर्ता/अनुसंधानकर्ता को अस्पतालों की मर्चुरी में अज्ञात शवों में भी गुमशुदा की खोजबीन करना चाहिये। नियमित समय अंतराल पर यह कार्यवाही लंबित गुम इंसान प्रकरणों के संबंध में की जाना चाहिए।

29. गुमशुदा की दस्तयाबी हेतु मुखबिर तंत्र को मजबूत करने के साथ–साथ उचित नगद पुरूस्कार भी घोषित करना चाहिये जिससे गुमशुदा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।

30. यदि गुमशुदा व्यक्ति बालिका अथवा महिला हो तो उसके फोटोग्राफ्स या अन्य जानकारियाँ प्रसारित करने से पूर्व उसके परिजनों से लिखित सहमति प्राप्त कर लेना

चाहिये। साथ ही किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के सुसंगत प्रावधानों का भी इस संबंध में पालन बालक के सर्वोत्तम हित में किया जाये।

31. यदि गुम इंसान पासपोर्ट धारक हो तो पासपोर्ट कार्यालय से उसके वीजा एवं इमीग्रेशन संबंधी जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिये।

32. जाँचकर्ता/अनुसंधानकर्ता को गुमशुदा के परिजनों के सतत संपर्क में रहना चाहिये ताकि गुमशुदा के संबंध में उन्हें प्राप्त होने वाली महत्वपूर्ण सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही की जा सके। उन्हें आवश्यकतानुसार जांच में प्रगति एवं किये गये प्रयासों से भी अवगत कराते रहना चाहिए जिससे उनका पुलिस के प्रति विश्वास कायम रहे।

33. गुमशुदा की दस्तयाबी हेतु गुमशुदा के संबंध में अपराध अनुसंधान विभाग के माध्यम से गजट प्रकाशन करना चाहिये।

34. जाँचकर्ता/अनुसंधानकर्ता को गुमशुदा की दस्तयाबी हेतु विभिन्न राज्यों की पुलिस की वेबसाईट सर्च करते रहना चाहिये एवं वेबसाइट के माध्यम से अन्य राज्यों में बरामद हुये गुम व्यक्तियों की जानकारी रखना चाहिये।

35. यदि गुमशुदा के संबंध में कोई मानव दुर्व्यापार से संबंधित तथ्य प्रकाश में आते हैं तो तत्काल कार्यवाही करते हुये रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, एयरपोर्ट आदि संभावित स्थानों पर वीडियो फूटेज के माध्यम से तलाश करना चाहिये। साथ ही अस्पतालों से संपर्क कर यह ज्ञात करना चाहिये कि किसी व्यक्ति का कोई मेजर आपरेशन या सर्जरी तो नहीं हुई जिसमें कोई शरीर का अंग ट्रॉसप्लॉट किया गया है। अंग के डोनर एवं रिसीवर के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहिये।

36. यदि गुम व्यक्ति लंबे समय से नहीं मिल सका है तो उम्र बढ़ने के साथ उसके हुलिए में आये परिवर्तन के तथ्य को गुमशुदा की तलाश के दौरान ध्यान में रखना चाहिए।

37. गुम व्यक्ति के निकनेम सहित सभी प्रचलित नामों के अनुसार इंटरनेट/सोशल साइट्स पर निश्चित समय अंतराल पर गुम व्यक्ति की तलाश करते रहना चाहिए। विशेष रूप से गुम युवक–युवतियों की तलाश में यह प्रक्रिया सहायक हो सकती है।

38. गुम बालक–बालिकाओं की तलाश के प्रयास में ऐसे स्थान जहां विशेष रूप से बालक–बालिकाओं से दुर्व्यवहार एंव शोषण होना संभाव्य है तथा जहां अक्सर "घर से भागे हुए बालक–बालिका", "परित्यक्त बालक–बालिका", "असुरक्षित बालक--बालिका" पाये जा सकते हैं जैसे रेल्वे स्टेशन, बस स्थानक, ट्रेफिक जंक्शन आदि को चिन्हित करें तथा समय--समय पर गुम बालक--बालिकाओं की तलाश हेतु ऐसे स्थानों पर विशेष अभियान चलायें।

39. यदि यथोक्त प्रकरण में जांचकर्ता/विवेचक महिला अधिकारी नहीं है तो प्रकरण की परिस्थितियों एवं आक्श्यकता के दृष्टिगत जांच/विवेचना में महिला पुलिस अधिकारी का सहयोग लिया जावे तथा पीड़ित से पूछताछ के समय उसके परिजनों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जावे तथा पूछताछ प्रारंभ करने के पूर्व ऐसा वातावरण निर्मित किया जावे जिसमें पीड़ित व्यक्ति निःसंकोच एवं बिना किसी भय के वांछित जानकारी दे सके।

40. गुम बालक–बालिकाओं, बचपन बचाओ आंदोलन व संबंधित विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों पर आधारित पुलिस मुख्यालय से समय–समय पर जारी परिपत्रों/स्थायी आदेशों का पालन भी सुनिश्चित करें।

41. अपने–अपने थाना क्षेत्र में लावारिस बच्चों/परित्यक्त महिला/वृद्ध/मानसिक रोगी/विकलांग/मूक बधिर आदि के पाये जाने पर उनके निवास स्थान के संबंध में समय–समय पर अभियान चलाकर पता करें, यह संभव है कि ऐसे व्यक्तियों के बारे में अन्य जिलों/राज्यों में कोई गुम व्यक्ति प्रकरण पंजीबद्ध हो। वर्तमान समय में ऐसे व्यक्तियों को समीपस्थ आधार केन्द्र पर ले जाकर उसके बायोमेट्रिक विवरण से पहचान सुनिश्चित किया जाना संभावित हो सकता है।

42. पुलिस अधीक्षक प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए गुम व्यक्ति की बरामदगी पर क्षमता अनुरूप पुरूस्कार की राशि घोषित करेंगे तथा आवश्यकता होने पर समीक्षा कर पुरूस्कार की राशि बढ़ाने हेतु ज़ोनल पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव प्रेषित करेंगे।

43. यदि गुम व्यक्ति मिल जाता है तो जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो आदि को तत्काल सूचित किया जाना चाहिए ताकि वे इस संबंध में अपना अभिलेख दुरूस्त कर लें।

44. जब कभी कोई गुम व्यक्ति विशेष रूप से कोई बालक/बालिका बरामद होता है अथवा लौट कर आ जाता है तो संबंधित विवेचक/जांचकर्ता उससे सभी संबंधित संभावनाओं जैसे मानव दुर्व्यापार, भिक्षावृत्ति, फिरौती, मानव अंगो कर तस्करी में लिप्त संगठित गिरोह की भूमिका, बंधुआ मजदूरी संबंधी संभावना आदि के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक पूछताछ कर तदनुसार जानकारी अभिलेख पर लेकर प्रकरण में संगठित गिरोह के सदस्यों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करे। उक्त कार्यवाही करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका क्रमांक 249/2009 में स्वतः संज्ञान लेकर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चत करने हेतु दिशा निर्देश भी जारी किए गये हैं।

45. प्रकरण जिनमें सूचनाकर्ता/शिकायतकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति पर शंका प्रकट की गई है ऐसे प्रकरणों में निम्न बिंदुओं पर कार्यवाही संबंधित विवेचना अधिकारी द्वारा अनिवार्यतः की जायेः–

1. संदेही/आरोपी का नाम, पिता का नाम, उम्र, निवास स्थान व हुलिए की जानकारी।
2. संदेही/आरोपी के परिवार की आर्थिक स्थिति का विवरण।
3. संदेही/आरोपी के परिवार के अन्य सदस्यों व उनके रहने का पता व फोन नंबर आदि की जानकारी। जैसे माता–पिता (सौतेले पिता अंथवा माता सहित, यदि कोई है तो) सभी भाई–बहनों आदि की जानकारी।
4. संदेही/आरोपी के बारे में पता लगाने के लिए उसके आसपास निवासरत लोगों से अवश्य पूछताछ की जावे।
5. संदेही/आरोपी के पितृ एवं मातृ पक्ष के सभी रिश्तेदारों के नाम–पते, फोन नंबर आदि की जानकारी तथा अन्य रिश्तेदारों की जानकारी।
6. संदेही/आरोपी के व्यवसाय के बारे में पता लगाकर उसके कार्यस्थल से संबंधित व्यक्तियों से भी पूछताछ कर उसके संबंध में पतारसी की जावे।
7. संदेही/आरोपी के परिजनों एवं साथ काम करने वाले लोगों से संदेही के जाने के संभावित स्थानों की जानकारी एवं मोबाईल नंबर लिए जाये।
8. संदेही/आरोपी के बैंक खातों की जानकारी लेकर संबंधित बैंक से सम्पर्क कर संदेही के बैंक आने–जाने की सूचना प्राप्त की जावे।
9. संदेही/आरोपी यदि छात्र है तो संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय से तथा साथ अध्ययनरत छात्रों से उसके बारे में पता लगाया जाये। संदेही/आरोपी के अन्य मित्रों का पता लगाकर उनसे भी पूछताछ की जो।
10. संदेही/आरोपी के मोबाईल नंबर के कॉल विवरण प्राप्त कर विश्लेषण करें, आवश्यकतानुसार आई.एम.ई.आई. नंबर सर्च करें।
11. संदेही/आरोपी यदि नशे का आदी है तो ऐसे स्थान जहां नशीले पदार्थों के क्रय–विक्रय से संबंधित अपराधियों/विक्रेताओं से भी उसके बारे में पूछताछ की जाये।
12. संदेही/आरोपी का पूर्व आपराधिक अभिलेख भी पता लगाया जाये व सहअपराधियों से उसके बारे में पूछताछ की जाये।
13. संदेही/आरोपी को अंतिम बार किसके साथ देखा गया है, उसका पता लगाया जाकर उससे पूछताछ कर तस्दीक की जाये।
14. संदेही/आरोपी का विवरण सीमावर्ती थानों एवं संबधित थाने के बीट अधिकारियों को दी जाये।
15. संदेही/आरोपी की तलाश के संबंध में पूछताछ बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, बाजार, धार्मिक स्थल, अन्य सार्वजनिक स्थान, अस्पताल व चाइल्ड केयर संसथान आदि स्थानों पर की जाये एवं ऐसे स्थानों पर यदि सी.सी.टी.वी. केमरे

लगे हैं वो उनकी फुटेज प्राप्त कर देखी जाये।

16. संदेही/आरोपी के निवास स्थान तथा उसके रिश्तेदारों के निवास स्थान के आसपास दूकानदारों या ठेलों पर व्यवसाय करने वाले लोगों से संदेही/आरोपी के आवागमन के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाये।
17. संदेही/आरोपी क्या काम के सिलसिले में कभी बाहर गया है ? यदि हॉ तो कब, कहॉ व किसके माध्यम से ?

गुम इंसान रजिस्टर :

प्रत्येक थाने पर एक पृथक् गुम इंसान रजिस्टर का संधारण अभिलेख हेतु रखा जावे। संबंधित अनुविभागीय पुलिस अधिकारी/थाना प्रभारी द्वारा उक्त रजिस्टर के समय समय पर अवलोकन की पुनरावृत्ति की जावे तथा संबंधित जांचकर्ता/विवेचक को इस संबंध में उचित निर्देश दिये जावें तथा वे प्रत्येक गुम इंसान प्रकरण की परिस्थितियों की समीक्षा कर उपर्युक्तता परीक्षण उपरांत घटना के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने हेतु जांचकर्ता को निर्देशित करें।

गुम इंसान केस डायरी :

प्रत्येक गुम इंसान के बारे में जांचकर्ता द्वारा पृथक् केस डायरी अभिलेख की जाये जिसमें गुम इंसान को खोजने के सभी प्रयासों का सिलसिलेवार उल्लेख हो तथा सभी संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां केस डायरी में संलग्न की गई हों। जांच के दौरान की गई कार्यवाही की सूची त्वरित संदर्भ हेतु संधारित की जावे। संबंधित थाना प्रभारी सुनिश्चित करें कि केस डायरी अद्यतन हो।

गुम इंसान का कम्प्यूटरीकृत अभिलेख :

प्रत्येक पुलिस थाने पर गुम इंसान का सम्पूर्ण विवरण फोटोग्राफ सहित अभिलेख किया जावे। यदि गुम व्यक्ति बालक/बालिका है तो उससे संबंधित जानकारी वेब पोर्टल – www.trackthemissingchild.com पर भी फोटोग्राफ सहित अपलोड की जावे। संबंधित थाना प्रभारी सुनिश्चित करें कि गुम इंसान की अद्यतन जानकारी थाने के कम्प्यूटर पर अपलोड की जा चुकी है।

पर्यवेक्षण द्वारा थाना प्रभारी/अनुविभागीय पुलिस अधिकारी :

1. समस्त अनुविभागीय पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी गुम इंसान की शिकायत प्राप्त होने पर पहले 15 दिवसों में प्रतिदिन जांच का पर्यवेक्षण कर संबंधित जांचकर्ता को आवश्यक निर्देश/मार्गदर्शन स्वयं की पर्यवेक्षण टीप सहित लिखित में दें एवं पूर्व में जांचकर्ता द्वारा की गई कार्यवाही का सत्यापन करें। पुलिस अधीक्षक भी जिले के समस्त थानों में लंबित गुम व्यक्ति प्रकरणों की प्रतिमाह समीक्षा करेंगे।

2. समस्त थाना प्रभारी सुनिश्चित करें कि गुम इंसान जांच संबंधी सभी रवानगी–वापसी की रोजनामचा प्रतियां केस डायरी में संलग्न की गई हैं।

3. समस्त थाना प्रभारी सुनिश्चित करें कि गुम इंसान की जानकारी अअवि, राज्य एवं राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, मानव दुर्व्यापार ईकाई को निर्धारित प्रारूप में गुमने एवं गुम इंसान की वापसी/बरामदगी होने पर भेजी गई हो।

4. समस्त अनुविभागीय पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक थाने के सूचना पटल पर गुम इंसान की जानकारी फोटोग्राफ एवं अन्य व्यक्तिगत विवरण सहित स्पष्ट रूप से चस्पा की गई है अथवा नहीं।

अन्य राज्यों की पुलिस से समन्वय :

हमारे राज्य के सीमावर्ती जिलों में कई पुलिस थानों की सीमा अन्य राज्यों की सीमा पर है। समस्त संबंधित अनुविभागीय पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी सुनिश्चित करें कि गुम व्यक्ति के फोटोग्राफ एवं अन्य व्यक्तिगत विवरण विशेष वाहक के द्वारा सीमावर्ती राज्य के संबंधित जिलों की जिला अपराध अभिलेख शाखा तथा अन्य राज्य के संबंधित सीमावर्ती थाना प्रभारीगणों को भी भेजें जायें। यदि किसी विशेष ज्ञात सूत्र पर जो कि सीमावर्ती राज्य से संबंधित हो के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जाना हो तो तत्काल अन्य राज्य के संबंधित थाने से इस संबंध में समन्वय किया जावे। अन्य राज्य के किसी संगठित गिरोह की संलिप्तता ज्ञात होने पर अपराध शाखा के द्वारा संबंधित राज्य की अपराध शाखा से समन्वय कर यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

–000–

चैक लिस्ट

गुम इंसान प्रकरण दर्ज करने के प्रथम 24 घंटों में की जाने वाली कार्यवाही

1. गुमशुदा अवयस्क होने पर तत्काल आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करना
2. गुमशुदा का अद्यतन फोटो प्राप्त करना
3. गुम व्यक्ति की उम्र, हुलिया एवं शरीर के सभी पहचान चिन्ह, व्यक्तिगत रूचि, दिनचर्या व आदतें, शारीरिक व मानसिक रूग्णता, गुमने के स्थान का विवरण आदि
4. गुम व्यक्ति का माता–पिता एवं अन्य परिजनों से व्यवहार
5. गुमशुदा के व्यक्तिगत विवरण का वितंतु संदेश जारी करना/पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना
6. गुम व्यक्ति/अपहृत के परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना
7. गुम व्यक्ति के माता–पिता (सौतेले पिता अथवा माता सहित, यदि हैं तो) सभी भाई एवं बहनों के नाम–पते एवं मोबाईल नंबर आदि की जानकारी प्राप्त करना
8. अन्य व्यक्ति जिसका परिवार में आना–जाना हो, का नाम–पता, मोबाईल नंबर आदि
9. गुम व्यक्ति के सभी रिश्तेदारों, मित्रों, जहां उसका जाना संभावित हो के नाम–पते एवं फोन नंबर की जानकारी प्राप्त करना।
10. गुम व्यक्ति का किससे अधिक लगाव था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर उसका नाम–पता एवं मोबाईल नंबर की जानकारी प्राप्त करना
11. गुम व्यक्ति/अपहृत के मोबाईल नंबर अथवा वह किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल फोन उपयोग करता था तो संबंधित मोबाईल नंबर प्राप्त करें
12. गुमशुदा के मोबाईल नंबर के आधार पर उसकी लोकशन ट्रेस करना एवं सी.डी.आर./आई.एम.ई.आई. नंबर सर्च हेतु सर्विस प्रोवायडर्स को ई–मेल करना
13. सूचनाकर्ता एवं गुमशुदा के बारे में अधिकतम जानकारी रखने वाले व्यक्ति के कथन अभिलेख करना एवं प्राप्त जानकारी अनुसार संभावित स्थानों पर तलाश करना
14. स्थानीय एवं आस–पास संभावित क्षेत्र के अस्पतालों में गुम व्यक्ति के बारे में पता लगाना।
15. गुम व्यक्ति की डायरी, लेपटॉप, कम्प्यूटर आदि का परीक्षण करना
16. व्हाट्स एप्प, फेस बुक सोशल मीडिया पर गुमशुदा का विवरण, फोटो आदि प्रसारित करना
17. मित्रों से किस प्रकार की बातें करता था/करती थी
18. किसी व्यक्ति विशेष पर घटना के संबंध में संदेह व्यक्त किया गया है तो कारण व सत्यापन

19. गुमशुदा यदि पहले भी गुम हुआ था/स्वतः भागा था, तो किन परिस्थितियों में दस्तयाब हुआ
20. अंतिम बार किसके साथ देखा गया उसका नाम–पता, उम्र एवं सम्पर्क विवरण
21. यदि स्कूल/कॉलेज जाता था तो किसके साथ व किस साधन से जाता था ?
22. क्या घर से नगद राशि, गहने आदि भी गायब हैं ?

गुम इंसान प्रकरण दर्ज करने के प्रथम तीन दिवसों में की जाने वाली कार्यवाही :

1. गुमशुदा के व्यक्तिगत विवरण व फोटोयुक्त पर्चा सार्वजनिक स्थानों पर वितरित/चस्पा करना
2. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो एवं राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो को सूचना
3. गुमशुदा के कॉल विवरण प्राप्त कर विश्लेषण उपरांत संबंधितों से पूछताछ करना
4. गुमशुदा के मोबाईल हेंडसेट का आई.एम.ई.आई. नंबर सर्च कराना
5. गुमशुदा से संबंधित व्यक्तियों/मित्रों/परिजनों से पूछताछ एवं कथन
6. बस स्टेण्ड/रेल्वे स्टेशन पर सी.सी.टी.वी. कैमरों के वीडियो में गुमशुदा को चेक करना
7. गरीब गृह, नारी निकेतन, धर्मशालाओं, धार्मिक स्थलों, वृद्धाश्रमों आदि में गुमशुदा की तलाश करना
8. गुम व्यक्ति/अपहृत के पितृ एवं मातृ पक्ष के सभी रिश्तेदारों तथा अन्य रिश्तेदारों के नाम–पते, फोन नंबर आदि की जानकारी
9. गुम व्यक्ति/अपहृत के मित्र, सहकर्मियों, व्यावसायिक सहयोगियों के नाम–पते, फोन नंबर आदि की जानकारी
10. क्या गुम व्यक्ति/अपहृत पहले किसी अन्य ग्राम अथवा शहर में परिवार के साथ अथवा अकेला रहा/रही है, तो किसके पास व कितने दिनों तक ? (संबंधितों के नाम पते व फोन नंबर आदि की जानकारी)
11. यदि गुम व्यक्ति/अपहृत अवयस्क है तो –
    - अ– जन्म घर पर हुआ है अथवा अस्पताल में
    - ब– क्या जन्म पंजीयन कराया है ? यदि हॉ तो जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
    - स– यदि जन्म पंजीयन नहीं कराया है तो जन्म के समय ऐसी कौन सी घटना हुई जो उसके माता–पिता को याद हो जिससे उम्र का निर्धारण किया जा सके
    - द– आवश्यकतानुसार पंचायत से जन्म संबंधी जानकारी लें
    - इ– क्या स्कॉलर रजिस्टर में उम्र लेख करते समय कोई जन्मतिथि संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था, यदि नही तो आधार जिसके अनुसार स्कॉलर रजिस्टर में दर्ज तिथि को न्यायालय में सही ठहराया जा सके

12.माता–पिता व अन्य परिजनों का गुम व्यक्ति से व्यवहार के बारे में मोहल्ले पड़ोस में पुष्टि की जाये

13.क्या रेल्वे स्टेशन/बस स्टेण्ड के आसपास देखा गया है ?

14.स्कूल की नोटबुक में कोर्स के अलावा क्या लिखता था ?

15.किस तरह का टी.वी. शो एवं मूवी देखता था ?

गुम इंसान प्रकरण दर्ज करने के प्रथम सात दिवसों में की जाने वाली कार्यवाही :

1. गुमशुदा के व्यक्तिगत विवरण व फोटो को समाचार पत्र/मीडिया में प्रकाशन/प्रसारण
2. गुमशुदा के ए.टी.एम., क्रेडिट/डेबिट कार्ड, ई–वॉलेट आदि के बारे में जानकारी व उस आधार पर लोकेशन ट्रेस करना
3. गुमशुदा के बैंक खातों के विवरण प्राप्त कर विश्लेषण करना
4. गुमशुदा के अन्य शहर में निवासरत परिजनों/मित्रों से सम्पर्क कर पूछताछ/कथन लेना
5. क्षेत्र में व आस–पास अन्य संभावित स्थानों पर पाये गये अज्ञात शवों से मिलान करना
6. गुम इंसान सूचना के गजट प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना

–000–

पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग) म0प्र0 भोपाल

क्र/अअवि/विधि/1 / MCRC / 391 / 18/935 /18 दिनांक– 10/07/2018

//::परिपत्र:://

प्रति,

उमनि (शहर) इंदौर, भोपाल,
समस्त पुलिस अधीक्षक,(म.प्र.)
समस्त रेल पुलिस अधीक्षक,(म.प्र.)

विषयः–विवेचकों एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा विवेचना/जाँच के अनुक्रम में विषयवस्तु से हटकर अभिमत अथवा अनुशंसा न करने के संबंध में।

–00–

हाल ही में एक प्रकरण में जाँचकर्ता /पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा एक आपराधिक प्रकरण की माननीय उच्च न्यायालय मे प्रस्तुत जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान उक्त आपराधिक प्रकरण में सी.बी.आई. जाँच करने संबंधी अनुशंसा बावत पत्र माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कड़ी आपत्ति व्यक्त कर इस प्रकार के विषयवस्तु से हटकर प्रस्तुत अभिमत/दस्तावेजों से आरोपियों को विवेचना एवं जमानत में लाभ मिलने की संभावना प्रकट की गई।

अतः निर्देशित किया जाता है कि जाँच अथवा अनुसंधान में जाँचकर्ता/विवेचक/पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा मूल विषयवस्तु से हटकर ऐसा कोई अभिमत/अनुशंसा न की जाये और ना ही माननीय न्यायालयों में अनावश्यक अभिमत/अनुशंसा संबंधी दस्तावेज जमानत याचिका अथवा अन्य किसी याचिका के किसी प्रक्रम में प्रस्तुत किये जावे जिससे आरोपी को जमानत अथवा अन्य किसी प्रकार का लाभ पहुँचने की संभावना हो।

कृपया उपरोक्त निर्देश आपके अधीनस्थ समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों के माध्यम से समस्त विवेचकों को पालनार्थ दिया जावें।

(कैलाश मकवाणा)
अति0पुलिस महानिदेशक,
अ.अ.वि.पु.मु.भोपाल
हेतु–पुलिस महानिदेशक,
मध्य प्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपिः–कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महिला अपराध पु.मु. भोपाल म.प्र.।
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अजाक पु.मु. भोपाल म.प्र.।
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस.टी.एफ. भोपाल म.प्र.।
4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सायबर सेल भोपाल म.प्र.।
5. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल भोपाल म.प्र.।
6. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इन्दौर जोन इन्दौर म.प्र.।
7. पुलिस महानिरीक्षक अ.अ.वि. प्रशासन/समन्वय पु.मु. भोपाल म.प्र.।
8. समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन म.प्र. म.प्र.।
9. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज म.प्र.।

1c/7/18

(कैलाश मकवाणा)
अति0पुलिस महानिदेशक,
अ.अ.वि.पु.मु.भोपाल
हेतु–पुलिस महानिदेशक,
मध्य प्रदेश, भोपाल

कमांक/पुमु/म0अप0/ W-2/23/18/4307/2018 भोपाल, दिनांक 31/07/2018

प्रतिलिपिः–

1. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक, (महिला अपराध) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (महिला अपराध) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु

31/7/18

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग) म0प्र0 भोपाल

क्रमांक / अअवि / विधि / 1 / डब्ल्यू पी / 252 / 18 / 100 / 19 दिनांक 17.01.2019

::परिपत्र::

प्रति,

उप पुलिस महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
भोपाल / इन्दौर
समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्य प्रदेश
समस्त पुलिस अधीक्षक, अजाक, मध्यप्रदेश
समस्त रेल पुलिस अधीक्षक, मध्य प्रदेश

विषयः— माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत एमसीआरसी क्र. 17896 / 18 अलीम उर्फ अन्नू खान विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य के संबंध में !

संदर्भः— सेक्शन ऑफिसर म.प्र. उच्च न्यायालय की प्रोसेस आई डी 178213 / 18 दि. 29.12.18 एवं संलग्न आदेश दिनांक 04.12.18 ।।

—

कृपया उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र एवं आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित आदेश के माध्यम से माननीय न्यायालय द्वारा साक्षियों के लिये जारी समंस तामील न कराये जाने के कारण साक्षियों के न्यायालयीन कथन रिकॉर्ड न होने से अभियुक्त को जमानत प्रदान की है, साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश के पैरा 29 के माध्यम से निर्देशित किया है कि:—

5- The police on its part, must secure the mobile number and E-mails ids of all witnesses, if they possess the same. This must be retained by them in the inner case diary to be used for transmitting the summons or messaging the witness regarding their date and time of appearance before the Trial Court to testify. The police must take care that the aforementioned details are NOT disclosed in the charge-sheet in order to ensure that the access of the accused to the witnesses is minimised to the greatest extent possible.

7- It shall not be open to the police to put forward reasons of law and order work or any other of their functions as excuses for not complying with the order of the Trial Court to secure the presence of their witness. Such non compliance on the part of the police may constitute contempt or the Trial Court's order, and the Trial Court shall be at liberty to initiate such proceedings against the police if it is not satisfied with the reply of the police for not complying with the order passed by it.

समस समय पर तामील न कराये जानें के लिये दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुये अपने जिले में समंस की तामीली समय पर कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

नोटः— निर्णय/आदेश म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर की बेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(राजेश व्यास)
सहायक पुलिस महानिरीक्षक(एल.एस.)
हेतु—अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
अ.अ.वि.पु.मु.भोपाल

कमांक/अअवि/विधि/1/डब्ल्यू.पी./252/18/ /19 दिनांक .01.2019

प्रतिलिपिः— कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—
1—समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश।
2—समस्त जोन पुलिस महानिरीक्षक मध्य प्रदेश
3—समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक मध्य प्रदेश ।
4—समस्त जोनल कार्यालय अ.अ.वि.।
5—विधि शाखा—1, अ.अ.वि.—"परिपत्र नस्ती" संधारण हेतु।
6—नि.स., अ.म.नि. अ.अ.वि., पु.मु. भोपाल।

16.01.2019
(राजेश व्यास)
सहायक पुलिस महानिरीक्षक(एल.एस.)
हेतु—अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
अ.अ.वि.पु.मु.भोपाल

कमांक/पुमु/म0अप0/W—2/ 12/19 / /2019 दिनांक— / /2019

प्रतिलिपि :— 1. समस्त पुलिस महानिरीक्षक (महिला अपराध), म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
2. डी0डी0पी0/ स0म0नि0 (I)/स0म0नि0 (II)/उ0पु0अ0 1090 समस्त उपखण्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. नि.स., अ.म.नि. (महिला अपराध), पु0मु0, भोपाल।
4. उपखण्ड डब्ल्यु—1 रिकार्ड संधारण हेतु

29/1/19
हेतु— अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

//कार्यालय राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पुलिस मुख्यालय भोपाल म.प्र.//

परिपत्र

पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 44 के अन्तर्गत रोजनामचा/जनरल डायरी को संधारित किया जाता है जिसमें पुलिस थानों/कार्यालयों मे प्रतिदिन संपादित की जाने वाली कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण लेख किया जाता है।

वर्तमान में प्रदेश के पुलिस थानों/कार्यालयों मे रोजनामचा की प्रविष्टि संख्या महीने की पहली तारीख को सरल कमांक 01 से प्रारंभ होकर महीने की आखिरी तारीख तक बढ़ते कम मे इंद्राज करने का प्रचलन है।

सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत एन.सी.आर.बी. द्वारा तैयार किये गये कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (CAS) में रोजनामचा/जनरल डायरी का प्रविष्टि कमांक प्रतिदिन सुबह 06 बजे सरल कमांक 01 से प्रारंभ होकर अगले दिन सुबह 05:59:59 बजे तक बढ़ते कम में आता है, तत्पश्चात अगले दिन सुबह 06 बजें स्वतः प्रविष्टि सरल कमांक 01 से प्रारंभ हो जाता है ।

अतएव रोजनामचा लेखन हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते है :–

01. अब हस्तलिखित रोजनामचा/जनरल डायरी लेखन के प्रविष्टि कमांक को मासिक आधार पर पुर्नआरंभ करने की प्रकिया को बंद करते हुये इसके स्थान पर प्रविष्टि कमांक को प्रतिदिन पुर्नआरंभ आरंभ किया जावेगा। रोजनामचा/जनरल डायरी का प्रविष्टि कमांक प्रतिदिन सुबह 06 बजे सरल कमांक 01 से प्रारंभ होकर अगले दिन सुबह 05:59:59 बजे तक बढ़ते कम में आवेगा, तत्पश्चात अगले दिन सुबह 06 बजे प्रविष्टि सरल कमांक 01 से प्रारंभ की जावेगी। अतः दैनिक आधार पर रोजनामचा संधारण किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

02-पुलिस थानों/कार्यालयों मे कोर एप्लीकेशन साफॅटवेयर में लेख की गई जनरल डायरी/रोजनामचा का प्रिंट आउट (हार्डकॉपी) प्रतिदिन लेने की आवश्यकता नही है। थाना प्रभारी/कार्यालय प्रभारी प्रतिदिन रोजनामचा/जनरल डायरी प्रारंभ होने के पश्चात पूर्व दिवस की रोजनामचा/जनरल डायरी मे की गई समस्त प्रविष्टियों के संबंध में कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (CAS) के रोजनामचा मे एक रिपोर्ट दर्ज करेगा कि उसके द्वारा समस्त प्रविष्टियों का अवलोकन कर लिया गया है और वह उन्हे सत्यापित/प्रमाणित करता है। उक्त प्रविष्टि अनिवार्य रुप से थाना प्रभारी स्वयं की यूजर आई.डी. से ही

करेगें, थाना प्रभारी की अनुपस्थिति मे उक्त गतिविधि प्रभारी थाना प्रभारी के द्वारा अपनी यूजर आई. डी. से की जावेगी।

03-कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत लेख किये गये दैनिक रोजनामचा/जनरल डायरी की सॉफ्टकॉपी (पी.डी.एफ फाईल) सिस्टम के सी.सी.टी.एन.एस. सॉफ्टवेयर से पृथक ड्राईव मे (डी अथवा अन्य ड्राईव मे) जनरल डायरी (उदाहरणार्थः रोजनामचा वर्ष 2015 के फोल्डर मे रोजनामचा माह अगस्त 2015, के अंर्तगत रोजनामचा तिथि 01/08/2015) के नाम से प्रतिदिन पी.डी.एफ. फाइल के रुप मे सुरक्षित (सेव) कर रखे।

04-उपरोक्त सुरक्षित (सेव) फाइल को माह के अंत में एक सी.डी. में कॉपी करके मालखाने में सुरक्षित रखा जावे ताकि आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठ कार्यालय/न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर उसका प्रिंट आउट (हार्डकॉपी) लेकर हार्ड कॉपी प्रदान की जा सके। इस कार्यवाही के संपादन की भी रोजनामचा में प्रविष्टि की जावे।

निर्देशित किया जाता है कि सभी थानों/कार्यालयों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(हस्ता.)
पुलिस महानिदेशक,
मध्यप्रदेश

कमांकः– पुमु/राअअब्यूरो/सीसीटीएनएस/केस/3171/15 दिनांक 18-8-15

प्रतिलिपि :–
1. पी.एस.ओ.,पुलिस महानिदेशक म.प्र.भोपाल ।
2. अति. पुलिस महानिदेशक – अजाक, महिला सेल, शिकायत, यातायात, रेल, एस.टी.एफ.,ए.टी.एस, सायबर सेल, सी.आई.डी, विशेष अभियान, एस.आई.एस. एफ., गुप्तवार्ता की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन म.प्र.।
4. उप पुलिस महानिरीक्षक भोपाल शहर, इंदौर शहर एवं समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज म.प्र.पुलिस ।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक जिला एवं इकाईयां म.प्र.।
6. समस्त नोडल अधिकारी सी.सी.टी.एन.एस. प्रोजेक्ट म.प्र.की ओर संबंधित अधीनस्थों को अवगत कराने हेतु ।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो
हेतु– पुलिस महानिदेशक,
मध्यप्रदेश

कार्यालय राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पुलिस मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

क्र.पुमु/राअअब्यूरो/सीसीटीएनएस/केस/9 79/16 भोपाल दिनांक 5/ 5 /16

प्रति,

उप पुलिस महानिरीक्षक भोपाल, इंदौर
समस्त पुलिस अधीक्षक
एवं
पुलिस अधीक्षक रेल (म.प्र)

विषयः- प्रदेश के समस्त थानों द्वारा दिनांक 1/4/16 से समस्त कार्यवाही सीसीटीएनएस केस के माध्यम से किये जाने के संबंध में।

विषयांतर्गत लेख है कि पुलिस महानिदेशक म.प्र. द्वारा दिनांक 11/3/2016 को कानून व्यवस्था एवं सीसीटीएनएस की समीक्षा हेतु आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान निर्देशित किया गया कि दि. 1/4/2016 से प्रदेश के समस्त थानों में संपूर्ण कार्य सीसीटीएनएस (केस) सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही संपादित किये जावें।

कृपया अपने अधीनस्थ थानों में दि. 1/4/2016 से केस के माध्यम से निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेः-

1. प्रथम सूचना प्रतिवेदन सहित समस्त विवेचना संबंधी फार्म (अपराध विवरण, गिरफ्तारी, जप्ती, न्यायालय निपटान, अपील फार्म)अनिवार्य रूप से केस सॉफ्टवेयर में इंद्राज किया जावे प्रकरण में धारा का परिवर्तन होने पर जांच में धारा अल्ट्रेशन मैमो में संशोधन किया जाना आवश्यक है जिससे तैयार होने वाली रिपोर्ट में भी धाराओं के परिवर्तन होने पर रिपोर्ट में संबंधित शीर्ष में दिखाई देवे, तथा चालान/ खात्मा/खारजी केस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही तैयार किये जावें।
2. अन्य पंजीकरण जैसे- मर्ग, गुम इंसान, एन.सी.आर.,आगजनी,लावारिस संपत्ति, गुम संपत्ति, सतर्कता कार्यवाही आदि से संबंधित समस्त कार्यवाही केस सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपादित की जावे।
3. अभियोजन संबंधी समस्त कार्यवाही जैसे- समन,जमानती,गिरफ्तारी,फरारी वारंट(299 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत) स्थायी वारंट, कुर्की वारंट तामीली केस सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपादित की जावे।
4. शिकायत के पंजीयन तथा जांच संबंधी समस्त कार्यवाही केस सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपादित की जावे।
5. जेल विवरणः- अभियोजन में जाकर जेल विवरण जो आरोपी जेल गये हैं को केस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भरा जावे।
6. मालखाने में जप्त संपत्ति संबंधी कार्यवाही एवं संपत्ति के मालखाना से रिलीज हेतु आवेदन को केस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवश्यक रूप से इंद्राज किया जावे।
7. नागरिक सेवाओं संबंधित कार्यवाही में निजी सुरक्षा एजेंसी सत्यापन, पासपोर्ट सत्यापन, हथियार लायसेंस का निवेदन, कार्यक्रम/प्रदर्शन का निवेदन,विरोध/हड़ताल का निवेदन, जुलूस

का निवेदन, घरेलू सहायता सत्यापन, किरायेदार / पीजी सत्यापन का निवेदन, कर्मचारी सत्यापन आदि जानकारी केस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवश्यक रूप से भरी जावें।

8. हिस्ट्रीशीटर एवं गुण्डा फाईल तैयार एवं अद्यतन केस सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जावे।
9. खोज और पूछताछ संबंधी कार्यवाही से सूझ पत्र उत्पन्न किये जावें तथा अपराध की पतारसी हेतु केस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मदद ली जावे।
10. डाटा बैंक सेवाओं के अंतर्गत आने वाली सेवाएं - सामान्य ग्राम सूचना, ग्राम अपराध विवरण,कैदी विवरण,रिट याचिका विवरण, हथियार लायसेंस विवरण,गोलीबारी/ लाठीचार्ज का विवरण,वरिष्ठ नागरिक सूचना,एकल महिला जानकारी,दवा गप्पी (ड्रग पेडलर) सूचना, सेक्स अपराधी सूचना, पुलिस सूचना के लिये सहायक नागरिक का केस सॉफ्टवेयर में इंद्राज किया जावे।
11. वाहन चोरी एवं लूट के प्रकरणों में वाहन का इंजन,चेसिस, पंजीकरण नंबर अंग्रेजी के कैपीटल लेटर में बिना किसी स्पेस दिये केस सॉफ्टवेयर में भरा जावे। जोकि प्रकरण के अनुसंधान के दौरान आई.आई.एफ-2 में भरा जावेगा।

उक्त कार्य का पर्यवेक्षण नगर पुलिस अधीक्षक/ अनुविभागीय अधिकारी पुलिस द्वारा अपने अधीनस्थ थानों का साप्ताहिक रूप से पर्यवेक्षण कर पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट सौंपेंगे।

आप अपने अधीनस्थ थानों के विवेचना अधिकारियों एवं राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे स्वयं भी केस सॉफ्टवेयर पर कार्य करें और आरक्षक पर अपनी निर्भरता समाप्त करें। जब वरिष्ठ अधिकारी स्वयं सॉफ्टवेयर पर कार्य करना प्रारंभ करेंगे तब वे सॉफ्टवेयर के गुण दोषों के बारे में जान सकेंगे एवं सॉफ्टवेयर के संबंध में अपनी राय भी रा.अ. अ.ब्यूरो को उपलब्ध करा सकेंगे, जिससे सॉफ्टवेयर में उत्तरोतर उन्नयन किया जा सके।

आप स्वयं भी प्रति सप्ताह अपने जिले के सीसीटीएनएस कार्य की समीक्षा करें तथा जिन थानों द्वारा अभी भी हस्तलिखित कार्य संपादित किया जा रहा है उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अति,पुलिस महानिदेशक
राअअब्यूरो,पुमु भोपाल(म.प्र.)

प्रतिलिपिः-

1. अति, पुलिस महानिदेशक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षक इंदौर एवं उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त जिला नोडल अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अति, पुलिस महानिदेशक
राअअब्यूरो, पुमु भोपाल(म.प्र.)

कार्यालय राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पुलिस मुख्यालय भोपाल (.प्र.म)

क्र./पु.मु./रा.अ.अ.ब्यूरो/सीसीटीएनएस/केस/NCRB file/899 / 2018 भोपाल दिनांक- 22/ 03/ 2018

प्रति,

1. अति.पुलिस महानिदेशक इंदौर/ उज्जैन/ होशंगाबाद एवं बालाघाट,
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक (म.प्र.),
3. समस्त रेंज उप-पुलिस महानिरीक्षक (म.प्र.),
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक (म.प्र.),
5. पुलिस अधीक्षक रेल- भोपाल जबलपुर ,एवं इंदौर,
6. पुलिस अधीक्षक नारकोटिक्स इंदौर,
7. सहायक पुलिस महानिरीक्षक
   एस.टी.एफ./ सायबर सेल/ अअवि

विषय:- सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट अंतर्गत केस (कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर) में उपलब्ध सभी 24 IIFs फॉर्म की इंट्री को बेहतर बनाने के संबंध में |

संदर्भ:- 1.एनसीआरबी का पत्र-No.CCTNS(103)/UK/03/NCRB/2017 Dated 23.02.2018
2.क्रमांक-पु.मु./रा.अ.अ.ब्यूरो/सीसीटीएनएस/केस/50/2017 भोपाल,दिनाक- 05/12/2017
3.क्रमांक-पु.मु./रा.अ.अ.ब्यूरो/सीसीटीएनएस/केस/3331/2017 भोपाल,दिनाक- 07/12/2017

सीसीटीएनएस के संदर्भ में गृह मंत्रालय भारत सरकार एनसीआरबी नई दिल्ली व्दारा संदर्भित पत्र क्रमांक 01 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से निर्देशित किया है कि -

1. सभी विवेचना अधिकारी सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर में IIF1से IIF5 फॉर्म के साथ सभी 24 फॉर्म कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफलाइन में उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट, अपराध विवरण फॉर्म, गिरफ़्तारी मेमो, जप्ती मेमो, अंतिम प्रपत्र, गुमइंसान पंजीकरण, अज्ञात व्यक्ति पंजीकरण, अज्ञात शव पंजीकरण, मर्ग पंजीकरण, जनरल डायरी, गैर संज्ञेय रिपोर्ट, गुम सम्पति पंजीकरण, लावारिस/परित्यक्त संपति, एम.एल.सी. पंजीकरण, अजनबी रोल पंजीकरण, गुम मवेशी पंजीकरण, आदि की अनिवार्यत: शत-प्रतिशत इंट्री करें |
2. सभी उप-पुलिस अधीक्षक एवं जिला पुलिस अधीक्षक व्दारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से पुलिस थानों में नियमित इंट्री होने की मॉनिटरिंग की जावें |
3. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, रेंज उप-पुलिस महानिरीक्षक एवं सीसीटीएनएस नोडल अधिकारी व्दारा यह सुनिश्चित किया जावे कि केस सॉफ्टवेयर में की गई डाटा इंट्री पूर्ण एवं त्रुटिरहित हो, इस संबंध में जिला भ्रमण के दौरान आवश्यक रूप से तस्दीक करें |
4. सभी IIFs फॉर्म की इंट्री सीधे केस सॉफ्टवेयर में ही की जावे थाना प्रभारी एवं विवेचक व्दारा केस सॉफ्टवेयर से उत्पन्न रिपोर्ट के प्रिंटआउट पर ही हस्ताक्षर कर संबंधित न्यायालय में हेतु प्रेषित किया जावे यह सुनिश्चित किया जावे |

सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन एवं समुचित उपयोग हेतु आवश्यक है कि समस्त कार्य केस में किया जावे, सभी रिपोर्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही उत्पन्न किया जावे तथा विभिन्न पैरामीटर पर अपराधियों की सर्च का कार्य भी केस के माध्यम से ही की जावे। कृपया तत्संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर पालन सुनिश्चित करावें।

संलग्नः- संदर्भित पत्र की छायाप्रति

अति.पुलिस महानिदेशक
रा.अ.अ.ब्यूरो, पु.मु.
भोपाल, मध्य प्रदेश

प्रतिलिपिः-

1. पी.एस.ओ. टू डीजीपी की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. समस्त नोडल अधिकारी सीसीटीएनएस म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. श्री संजय माथुर ज्वाइंट डॉयरेक्टर, एनसीआरबी काम्प्लेक्स, एनएच-8, महिपालपुर,नई दिल्ली-110037 की ओर कृपया सूचनार्थ।

अति.पुलिस महानिदेशक
रा.अ.अ.ब्यूरो, पु.मु.
भोपाल, मध्य प्रदेश

कार्यालय राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

क्र./पुमु/राअअब्यूरो/सीसीटीएनएस/केस-4/2914/18 भोपाल, दिनांक२० / 9 /2018

प्रति,

1. उप पुलिस महानिरीक्षक(शहर) भोपाल एवं इन्दौर
2. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश
3. पुलिस अधीक्षक रेल- भोपाल, जबलपुर, इन्दौर
4. पुलिस अधीक्षक नारकोटिक्स-इन्दौर
5. सहायक पुलिस महानिरीक्षक-
   एस टी एफ/ सायबर सेल/ अअवि
   पुलिस मुख्यालय, भोपाल

विषयः- सीसीटीएनएस में रोजनामचा एवं केस डायरी लेखन के संबंध में |

संदर्भः- 1.माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश अजा/अजजा (अत्याचार निवारण) इंदौर व्दारा पारित निर्णय दिनांक 18/05/2018

2.माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. का मेमो No.Reg(IT)(SA)/2017/AD4/do/c-1597Jabalpur, Dated-08/08/2017

3.पुलिस मुख्यालय का परिपत्र क्रः-पुमु/राअअब्यूरो/सीसीटीएनएस/केस/3117/15 दिनांक 18/08/2015

4.क्र.पुमु/राअअब्यूरो/सीसीटीएनएस/केस/महिला अपराध/2163/2018/भोपाल दिनांक 20/07/2018

--0--

कृपया विषयांतर्गत लेख है कि माननीय विशेष न्यायाधीश अजा/अजजा (अत्याचार निवारण) इंदौर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 255/18 आदेश दिनांक 18/05/2018 में सीसीटीएनएस से जनरेट रोजनामचा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर आपत्ति व्यक्त की है |

उक्त संदर्भ में अपने थानों को निर्देशित करें कि विवेचना से संबंधित कार्य सीसीटीएनएस के माध्यम से ही संपादित करें एवं सीसीटीएनएस से जनरेट प्रिंटआउट ही प्रदेश के न्यायालयों में प्रस्तुत करें |

कृपया आदेश का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें |

20/9/18

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कम्प्यूटर
हेतु अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो
पुलिस मुख्यालय भोपाल म.प्र.

<u>प्रतिलिपिः-</u> कृपया सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु |

1. पीएसओ टू डीजीपी की ओर कृपया सूचनार्थ |
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जोन- इंदौर की ओर कृपया सूचनार्थ |
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल- मुख्यालय भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ |
4. जोनल पुलिस महानिरीक्षक- भोपाल /जबलपुर /उज्जैन /सागर /होशंगाबाद /ग्वालियर /चंबल /रीवा / बालाघाट की ओर कृपया सूचनार्थ |

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कम्प्यूटर
हेतु-अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो
पुलिस मुख्यालय भोपाल म.प्र.

पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल

(POLICE HEADQUARTERS BHOPAL)

ांक/फाइल न../परिपत्र/ अमनि/ रा.अ.अ.ब्यूरो/ सीसीटीएनएस/ 2047 /2019 भोपाल, दिनांक-24/06/ 2019

:: परिपत्र ::

प्रति ,

1. उप-पुलिस महानिरीक्षक (शहर) भोपाल एवं इंदौर
2. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश
3. पुलिस अधीक्षक रेल- भोपाल इंदौर एवं जबलपुर
4. पुलिस अधीक्षक नारकोटिक्स इंदौर
5. सहायक पुलिस महानिरीक्षक- अ.जा.क./ महिला अपराध / अ.अ.वि./ सायबर सेल/ एस.टी.एफ

विषय:- सीसीटीएनएस मे उपलब्ध सर्च सुविधा के उपयोग संबंधी दिशा-निर्देश |

संदर्भ:- 1डिप्टी रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर का पत्र क्र.12700 दि. 29.04.2019
2डिप्टी रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर का पत्र क्र.15661 दि. 24.05.2019

—0000—

विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त पत्रों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि थाना प्रभारी एवं विवेचना अधिकारीयों व्दारा न्यायालयों/ अन्य संगठनो को अपराधी के अपराधिक रिकॉर्ड को केवल सीसीटीएनएस में सर्च कर रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है | अपराधियों का रिकॉर्ड थाने में उपलब्ध रिकॉर्ड से सर्च नहीं किया जा रहा है | जिससे न्यायालयों में अप्रिय स्थिति निर्मित हो रही है | सीसीटीएनएस में उपलब्ध विभिन्न सर्च सुविधाओं का उचित उपयोग भी नहीं किया जा रहा है | ऐसा प्रतीत होता है कि थाना प्रभारी तथा विवेचना अधिकारी अपराधिक सर्च को गंभीरता से नहीं ले रहे है |

समस्त थाना प्रभारीयों एवं विवेचना अधिकरियों को निर्देशित करें, कि किसी अपराधी का अपराधिक रिकॉर्ड थानें में उपलब्ध रिकॉर्ड में सर्च कर ही न्यायालयों/ अन्य एजेंसियों को अपराधिक सर्च की रिपोर्ट प्रेषित करें | उपरोक्त सर्च के पश्चात सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर में भी सर्च करें | किन्तु उससे प्राप्त जानकारी तस्दीक कर ही रिपोर्ट में शामिल करें।

इसके अलावा सहायक के तौर पर सीसीटीएनएस से इंट्रीगेट पोर्टल आई.सी.जे.एस. (इंटर ओपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) के माध्यम से भी थाना स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर आरोपी की सर्च कर पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की पुष्टि की जा सकती है |

कोई भी अपराधिक रिकॉर्ड की सर्च प्रथमत: थानों में उपलब्ध रिकॉर्ड पर ही आधारित होनी चाहिये तथा उसी के आधार पर रिपोर्ट न्यायालयों / अन्य एजेंसियों को प्रेषित की जावे |

संलग्न:- माननीय उच्च न्यायलय के संदर्भित पत्र की छायाप्रति |

19/6/19

(विजय कुमार सिंह)
पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश

क्रमांक/फाइल न../परिपत्र/ अमनि/ रा.अ.अ.ब्यूरो/ सीसीटीएनएस/ /2019 भोपाल, दिनांक- / / 2019

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक-अअवि/ साइबर सेल/ महिला अपराध/ अजाक/ एसटीएफ/ निजी सुरक्षा एजेंसी एवं इंदौर जोन इंदौर की ओर सूचनार्थ |
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक म.प्र. की ओर सूचनार्थ |

पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश

<u>कार्यालय राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)</u>

क्रमांक/सीसीटीएनएस/रा.अ.अ.ब्यूरो/केस एप्ली./ पोर्टल/ 2090 /2019 भोपाल, दिनांक- 26/06/ 2019

प्रति ,

1. उप-पुलिस महानिरीक्षक (शहर) भोपाल एवं इंदौर
2. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश
3. पुलिस अधीक्षक रेल- भोपाल इंदौर एवं जबलपुर
4. पुलिस अधीक्षक नारकोटिक्स इंदौर
5. सहायक पुलिस महानिरीक्षक- अ.जा.क./ महिला अपराध /अ.अ.वि./ सायबर सेल/ एस.टी.एफ

विषय:- आईसीजेएस पोर्टल के क्रियान्वयन/उपयोगिता के संबंध में दिशा-निर्देश ।

संदर्भ:- 1.पत्र क्रमांक/पु.मु./ रा.अ.अ.ब्यूरो/ सीसीटीएनएस/केसएप्ली./पोर्टल/1704/2019 भोपाल, दिनांक 24/05/2019

2. पत्र क्रमांक/पु.मु./रा.अ.अ.ब्यूरो/ सीसीटीएनएस/ 2911/2018 भोपाल, दिनांक 19/09/2018

3.पत्रक्रमांक/पु.मु./रा.अ.अ.ब्यूरो/सीसीटीएनएस/आईसीजेएसयूजर/1181/2019भोपाल, दिनांक 30/03/2019

कृपया विषयांकित संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली व्दारा इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS), पोर्टल को विकसित किया गया है | उक्त पोर्टल सीसीटीएनएस के माध्यम से समस्त थानों एवं कार्यालयों में एक्सेसिबल है | आईसीजेएस पोर्टल के उपयोग हेतु यूजर क्रिएशन की कार्यवाही किये जाने तथा उक्त पोर्टल का उपयोग कर राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टल में उपलब्ध पैरामीटर के आधार पर अपराधी की सर्च कर अभिलेख प्राप्त करने की उपयोगिता के संबंध में मय (SOP) के अवगत कराया गया था |

<u>ICJS पोर्टल की उपयोगिता के महत्तवपूर्ण बिन्दु:-</u>

I. आईसीजेएस पोर्टल में राष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों का अभिलेख उपलब्ध है |

II. आईसीजेएस पोर्टल में राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस विभाग के साथ, न्यायालय एवं जेल का डाटा भी संधारित है, जिसमें एफआईआर के content को भी सर्च किया जा सकता है |

III. आईसीजेएस पोर्टल के माध्यम से पोर्टल में उपलब्ध विभिन्न पैरामीटर जैसे- नाम, रिश्तेदार का नाम, सीसीटीएनएस एफआईआर पंजीकरण संख्या, धारा एवं अधिनियम, मोबाइल नंबर आदि के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर सर्च की जा सकती है |

IV. आईसीजेएस पोर्टल के माध्यम से थाना स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर (अन्तर्राज्यीय स्तर पर) एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों की सर्च कर पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड का अभिलेख प्राप्त किया जा सकता है |

V. आईसीजेएस पोर्टल के अंतर्गत सीसीटीएनएस डैशबोर्ड के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अपराध संबंधित आकडों का विश्लेषण ग्राफिकल व्यू में किया जा सकता है।

VI. आईसीजेएस पोर्टल में दिनांक वर्ष के आधार पर रिकॉर्ड सर्च किया जा सकता है

VII. अनुसंधानकर्ताओं / विवेचको व्दारा प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है |

VIII. अपराधियों की अपराधिक प्रोफाइल की जानकारी प्राप्त की जा सकती है |

IX. आईसीजेएस पोर्टल अनुसंधानकर्ताओं /विवेचको को अनुसंधान करने में सहायक है |

X. आईसीजेएस पोर्टल के संचालन की SOP सीसीटीएनएस के होमपेज "यूजर मैन्युअल/एसओपी" पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है | तथा विडियो टुटोरियल मध्यप्रदेश वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है|

लेख है की आईसीजेएस पोर्टल के उपयोग की मासिक समीक्षा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो एनसीआरबी नई दिल्ली व्दारा की जा रही है, जिसे मासिक प्रगति रिपोर्ट में भी शामिल किया गया है, अतएव आपके अधिनस्थ अधिकारीयों/ कर्मचारियों को पोर्टल की उपयोगिता के संबंध में जिलें की क्राइम मीटिंग में अवगत कराते हुए जिलों में उक्त पोर्टल का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें |

(नोट- आईसीजेएस में डिस्ट्रिक्ट एडमिन व्दारा यूजर क्रिएशन हेतु यूजर की जिस ज़िम्ब्रा ईमेल एड्रेस एवं मोबाइल नंबर का उपयोग किया गया है, उसी ज़िम्ब्रा ई-मेल पर ही (सिस्टम जेनरेटेड लॉग इन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त किये जा सकते है |)

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
रा.अ.अ.ब्यूरो पु.मु.भोपाल म.प्र

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक-अअवि/ साइबर सेल/ महिला अपराध/ अजाक/ एसटीएफ/ निजी सुरक्षा एजेंसी एवं इंदौर जोन इंदौर की ओर सूचनार्थ |
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक म.प्र. की ओर सूचनार्थ |

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
रा.अ.अ.ब्यूरो पु.मु.भोपाल म.प्र

कार्यालय राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक/सीसीटीएनएस/रा.अ.अ.ब्यूरो/केस एप्ली./ ITSSO **पोर्टल/** 2089 **/2019 भोपाल, दिनांक-**26/06/ **2019**

प्रति ,

1. उप-पुलिस महानिरीक्षक (शहर) भोपाल एवं इंदौर
2. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश
3. पुलिस अधीक्षक रेल- भोपाल इंदौर एवं जबलपुर
4. पुलिस अधीक्षक नारकोटिक्स इंदौर
5. सहायक पुलिस महानिरीक्षक- अ.जा.क./ महिला अपराध / अ.अ.वि./ सायबर सेल/ एस.टी.एफ

विषयः- आईटीएसएसओ (ITSSO) पोर्टल के क्रियान्वयन/उपयोगिता के संबंध में दिशा-निर्देश |

संदर्भः- 1.पत्र क्रमांक/पु.मु./रा.अ.अ.ब्यूरो/सीसीटीएनएस/केसएप्ली./पोर्टल/1704/2019 भोपाल, दिनांक 24/05/2019

2. पत्र क्रमांक /पु.मु./ रा.अ.अ.ब्यूरो/ सीसीटीएनएस/केसएप्ली./1091/2019 भोपाल, दिनांक 26/03/2019

-------000--------

कृपया विषयांकित संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली व्दारा इन्वेस्टीगेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ़ सेक्सुअल ओफेंसेस (ITSSO), पोर्टल को विकसित किया गया है | जिसके माध्यम से बलात्कार संबंधी प्रकरणों की विवेचना में "अपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018" जो 21 अप्रैल 2018 से लागू है, इसके अंतर्गत बलात्कार के प्रकरणों का अनुसंधान दो माह (60 दिवस) की अवधि में पूर्ण किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है | इस हेतु यौन अपराधों की ट्रैकिंग किये जाने हेतु ITSSO पोर्टल विकसित किया गया है |

ITSSO पोर्टल की उपयोगिता के महत्तवपूर्ण बिन्दुः-

I. आईटीएसएसओ पोर्टल महिलओं के विरुद्ध बलात्कार संबंधी अपराधों का ट्रैकिंग सिस्टम है |
II. आईटीएसएसओ पोर्टल 21 अप्रैल 2018 से पंजीबद्ध होने वाले बलात्कार संबंधी अपराधों की जानकरी संधारित करता है |
III. आईटीएसएसओ पोर्टल बलात्कार के प्रकरणों में अपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार कार्यवाही करने में उपयोगी एवं सहायक है | जिसके अनुसार दो माह की अवधि में यौन अपराधों का अनुसंधान पूर्ण किया जाना अनिवार्य है |
IV. आईटीएसएसओ पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में पंजीबद्ध धारा 376 भारतीय दंड विधान (समस्त उपखंड), एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पोक्सो एक्ट) की धारा 4 एवं 6 से संबंधित अपराधों के अनुसंधान की अद्यतन स्थिति की ट्रैकिंग की जा सकती है |
V. आईटीएसएसओ पोर्टल में उक्त धाराओं से संबंधित समस्त अपराधों की संख्यात्मक स्थिति एवं डेशबोर्ड की स्थिति भी प्रदर्शित होती है |
VI. जिलावार, थानावार फ़िल्टर लगाए जाने की सुविधा प्रदाय की गई है |
VII. आईटीएसएसओ पोर्टल में बलात्कार संबंधी अपराधों की पेंडिंग की जानकारी तथा ब्रीफ व्यू की सुविधा प्रदाय की गई है |
VIII. क्लाउड बेस्ड होने के कारण यूजर को लॉग इन करने में आसन है |
IX. आईटीएसएसओ पोर्टल में उक्त के प्रिंटआउट की सुविधा भी उपलब्ध है |
X. महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में एक मिशन मोड पहल है |

उपरोक्तानुसार ITSSO पोर्टल में ICJS हेतु क्रिएट किये गए लॉग इन आईडी एवं पासवर्ड का ही उपयोग किया जाना है | लेख है की उक्त पोर्टल के उपयोग की मासिक समीक्षा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो एनसीआरबी नई दिल्ली व्दारा की जा रही है, जिसे मासिक प्रगति रिपोर्ट में भी शामिल किया गया है, अतएव आपके अधिनस्थ अधिकारीयों/ कर्मचारियों को पोर्टल की उपयोगिता के संबंध में जिलें की क्राइम मीटिंग में अवगत कराते हुए जिलों में उक्त पोर्टल का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें |

(**नोट**:- ITSSO पोर्टल के संचालन की SOP सीसीटीएनएस के होमपेज "यूजर मैन्युअल/एसओपी" पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है|)

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
रा.अ.अ.ब्यूरो पु.मु.भोपाल म.प्र

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक-अअवि/ साइबर सेल/ महिला अपराध/ अजाक/ एसटीएफ/ निजी सुरक्षा एजेंसी एवं इंदौर जोन इंदौर की ओर सूचनार्थ |
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक म.प्र. की ओर सूचनार्थ |

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
रा.अ.अ.ब्यूरो पु.मु.भोपाल म.प्र

कार्यालय राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक/सीसीटीएनएस/रा.अ.अ.ब्यूरो/केस एप्ली./ NDSO **पोर्टल/**2088**/2019 भोपाल, दिनांक-**26/06/ **2019**

प्रति ,

1. उप-पुलिस महानिरीक्षक (शहर) भोपाल एवं इंदौर
2. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश
3. पुलिस अधीक्षक रेल- भोपाल इंदौर एवं जबलपुर
4. पुलिस अधीक्षक नारकोटिक्स इंदौर
5. सहायक पुलिस महानिरीक्षक- अ.जा.क./ महिला अपराध / अ.अ.वि./ सायबर सेल/ एस.टी.एफ

विषय:- एनडीएसओ पोर्टल के क्रियान्वयन/उपयोगिता के संबंध में दिशा-निर्देश |

संदर्भ:- 1.पत्र क्रमांक/पु.मु./रा.अ.अ.ब्यूरो/सीसीटीएनएस/केसएप्ली./पोर्टल/1704/2019 भोपाल,दि. 24/05/2019

2.पत्र क्रमांक/पु.मु./रा.अ.अ.ब्यूरो/सीसीटीएनएस/केसएप्ली/ 761/2019 भोपाल, दिनांक 01/03/2019

--------000--------

कृपया विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली व्दारा (NDSO), पोर्टल को विकसित किया गया है | National Database on Sexual Offenders (NDSO) पोर्टल में यौन अपराधियों का डाटाबेस संधारित किया गया है जोकि महिलाओं/बालिकाओं के विरूद्ध बलात्कार एवं अन्य यौन शोषण संबंधित प्रकरणों में त्वरित पहचान करने हेतु विकसित है।

NDSO पोर्टल की उपयोगिता के महत्त्वपूर्ण बिन्दु:-

1) एनडीएसओ पोर्टल मिशन मोड प्रोजेक्ट ई-प्रिजन डाटाबेस पर आधरित है |
2) एनडीएसओ पोर्टल में संपूर्ण भारत वर्ष के यौन अपराधियों का डाटाबेस संधारित किया गया है|
3) यौन अपराधियों की व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पिता का नाम, राष्ट्रीयता, पता ,जाति उम्र आदि के आधार पर सर्च सुविधा है |
4) यौन अपराधियों की राज्य, न्यायालय, प्रकरण , प्रकरण की स्थिति , अपराध का प्रकार (जमानती/अजमानती) प्रस्तुत किये जाने वाली जेल पैरोल, कोर्ट मोवमेंट के आधार पर सर्च सुविधा है
5) यौन अपराधियों के अपराधिक प्रोफाइल की जानकारी प्राप्त की जा सकती है |
6) एनडीएसओ पोर्टल चरित्र सत्यापन हेतु भी प्रभावी रूप से उपयोगी एवं सहायक है |
7) यौन अपराधियों की इतिहास वृत्त की जाँच में उपयोगी एवं सहायक है |
8) एनडीएसओ पोर्टल में यौन अपराधियों की स्थिति डेशबोर्ड के रूप में भी प्रदर्शित होती है |

उपरोक्तानुसार NDSO पोर्टल में ICJS हेतु क्रिएट किये गए लॉग इन आईडी एवं पासवर्ड का ही उपयोग किया जाना है | लेख है की उक्त पोर्टल के उपयोग की मासिक समीक्षा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो एनसीआरबी नई दिल्ली व्दारा की जा रही है, जिसे मासिक प्रगति रिपोर्ट में भी शामिल किया गया है, अतएव आपके अधिनस्थ अधिकारीयों/ कर्मचारियों को पोर्टल की उपयोगिता के संबंध में जिला की क्राइम मीटिंग में अवगत कराते हुए जिला में उक्त पोर्टल का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें | (**नोट**:- NDSO पोर्टल के संचालन की SOP सीसीटीएनएस के होमपेज "यूजर मैन्युअल/एसओपी" व video tutorial पुलिस वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है|)

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
रा.अ.अ.ब्यूरो पु.मु.भोपाल म.प्र

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक-अअवि/ साइबर सेल/ महिला अपराध/ अजाक/ एसटीएफ/ निजी सुरक्षा एजेंसी एवं इंदौर जोन इंदौर की ओर सूचनार्थ |
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक म.प्र. की ओर सूचनार्थ |

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
रा.अ.अ.ब्यूरो पु.मु.भोपाल म.प्र.

नोट्स –

CRIME AGAINST WOMEN

Call us :1090

CONTACT US ON

0755-2443568

mpcaw@mppolice.gov.in

cawmp1090@gmail.com

@MPCrimeagainstwomen